



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012024-251607
CG-DL-E-27012024-251607

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 2024/माघ 4, 1945

No. 58]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 2024/MAGHA 4, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 64(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2024 को प्रवृत्त होंगे।
- आयकर नियम, 1962 में, परिशिष्ट-II में, प्ररूप आईटीआर-6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:—

| | | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------------|---|---|---|---|---|
| प्ररूप | आकवि -6 | भारतीय आयकर विवरणी [धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कम्पनियों से भिन्न कम्पनियों के लिए] [आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखें] (कृपया अनुदेश देखें) | निर्धारण वर्ष | | | | | |
| | | | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 2 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------|--|
| भाग क-साधारण | | साधारण | | | | | |
| व्यक्तिगत सूचना | (क1) नाम | | | (क2) स्थायी लेखा सं० | | | |
| | (क3) क्या कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन है ? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें | | | (क4) कारपोरेट पहचान संख्या (का.प.स.) एम.सी.ए. द्वारा जारी | | | |
| | (क8) फ्लैट/द्वार/ब्लाक सं० | (क9) परिसर/भवन/ग्राम का नाम | (क5) निगमन की तारीख (दिन/मास/ वर्ष) | (क6) कारबार के प्रारंभ की तारीख (दिन/मास/वर्ष) | | | |
| | | | / / | / / | | | |
| | (क10) सड़क /मार्ग/डाक घर | (क11) क्षेत्र/अवस्थान | | (क7) कंपनी का प्रकार (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | | | | (i) देशी कंपनी | | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | (ii) विदेशी कंपनी | | <input type="checkbox"/> | |
| | (क12) कस्बा/शहर/जिला | (क13) राज्य | (क14) पिन कोड / ज़िप कोड | यदि पब्लिक कंपनी है तो 6, लिखें, और यदि प्राइवेट कंपनी हैं तो 7 लिखें (कंपनी अधिनियम की धारा 3 में यथापरिभाषित) | | | |
| | | देश | | | | | |
| | (क15) कार्यालय की दूरभा- संख्या एसटीडी कोड सहित/मोबाइल नं०-1 | (क16) मोबाइल नं०-2 | | (क17) ई मेल पता-1 | | | |
| | | | | | | | |
| (क18) ई मेल पता-2 | | | | | | | |
| (क19) (कां) | आय का रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख (ड्रॉप डाउन का उल्लेख करें) | | | | | | |
| | 1. 31 अक्तूबर | | | | | | |
| | 2. 30 नवंबर | | | | | | |

| | |
|-----|--|
| (ए) | क्या कंपनियों के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक नियम) 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के तैयार किए गए हैं (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| (ब) | क्या निर्धारिती की अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| (ड) | क्या निर्धारिती कम्पनी समापन के अधीन है (सही का निशान) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |

| | | |
|-----|---|--|
| (ब) | क्या एफ.आई.आई/एफ.पी.आई है? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रीकरण सं0 बताएं | |
| (ग) | क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581क में यथापरिभाषित उत्पादक कंपनी है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |
| (त) | क्या निर्धारिती के प्रतिनिधि द्वारा यह विवरणी फाइल की जा रही है? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें - | |
| (1) | निर्धारिती के प्रतिनिधि का नाम | |
| (2) | प्रतिनिधि की हैसियत (ड्रॉप डाउन का उल्लेख करें) | |
| (3) | निर्धारिती के प्रतिनिधि का पता | |
| (4) | निर्धारिती के प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या | |
| (थ) | क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्ट अप के रूप में मान्यता प्राप्त हैं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |
| 1 | यदि हां, तो कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आबंटित स्टार्ट अप मान्यता सं. का उल्लेख करें | |
| 2 | क्या अन्तर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |
| 3 | यदि हां, तो प्रमाणन संख्या का उल्लेख करें | |
| 4 | क्या डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा 5 के अनुसार प्ररूप-2 में घोषणा विवरणी के फाइल किए जाने से पूर्व फाइल की गई है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |
| 5 | यदि हां, तो प्ररूप-2 फाइल करने की तारीख का उल्लेख करें | |

| | | |
|------|--|--------------|
| (द) | विधिक अस्तित्व पहचानकर्ता(एल ई आई) ब्यौरे अनिवार्य है (यदि प्रतिदाय 50 करोड़ या अधिक हो) | |
| | एल ई आई संख्या | तक विधिमान्य |
| (ध) | क्या आप सुक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |
| | यदि हां, कृपया एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार आबंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या दें। | |
| (क1) | क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |
| (क2) | क्या निर्धारिती धारा 44कड./44ख/44खख/44खख/44घ के अंतर्गत ही आय की घोषणा कर रहा है निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |

| | |
|---------|---|
| (क2i) | यदि नहीं, वर्ष के दौरान क्या व्यवसाय की कुल बिक्री/टर्नओवर/सकल प्राप्तियां रु. 1 करोड़ से अधिक या 10 करोड़ से अधिक नहीं है? (निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> नहीं, टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक नहीं <input type="checkbox"/> नहीं, टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक |
| (क2ii) | क2i पर यदि हां का चयन किया गया है, क्या समस्त प्राप्त राशि का कुल योग जिसमें बिक्री टर्नओवर अथवा सकल प्राप्तियां अथवा पूंजीगत खाते जैसे कि पूंजीगत योगदान, ऋण इत्यादि पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान राशि शामिल है, नकद में तथा गैर खाता पेयी चेक/ डी.डी उक्त राशि से पांच प्रतिशत से अधिक न हो (निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| (क2iii) | क2i पर यदि हां का चयन किया गया है क्या भुगतान का कुल योग व्यय के लिए सम्मिलित राशि अथवा पूंजीगत खाता जैसे कि परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋण का भुगतान इत्यादि एवं गैर खाता पेयी चेक /डी.डी पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान नकद में उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक न हो? (निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| (ख) | क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (प्रणाली को टिप्पणी : यदि टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक हो यह स्वतः ही होना चाहिए) |
| | यदि (ख) का हां चयन किया गया है तो निम्नलिखित किस शर्त के अनुसार: |
| (खा) | विक्रम, आवर्त या सकल प्राप्तियां, धारा 44कख में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हैं। (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> |
| (खाii) | निर्धारित धारा 44खख के अधीन आता है किंतु अनुमानित आधार पर आय प्रस्तावित नहीं कर रहा है। (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> |
| (खाiii) | निर्धारित धारा 44खखख के अधीन आता है किंतु अनुमानित आधार पर आय प्रस्तावित नहीं कर रहा है। (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> |
| (खाiv) | अन्य (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> |
| (ग) | यदि (ख) है, तो क्या लेखाओं की लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गई है ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | (1) लेखा परीक्षा रिपोर्ट देने की तारीख का उल्लेख (दिन/मास/ वर्ष) |
| | (2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम |
| | (3) लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या |
| | (4) लेखा परीक्षक का पता (संपत्तिक/ फर्म) |
| | (5) स्वत्वाधिकार/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं० |
| | (6) लेखा परीक्षक (संपत्तिक/ फर्म) का स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) / आधार सं. |
| | (7) लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख |
| | (8) लेखा परीक्षा रिपोर्ट की पावती संख्या |
| | (9) यू डी आई एन |
| (घ) | क्या आप धारा 92ड के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |

| | | | | | |
|---------|---|-----------------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| (घाii) | यदि (घल) हं है, क्य धरर 93 अ के अधीन खरतों को संपरीक्षित क्यर ग्यर है | <input type="checkbox"/> हं | <input type="checkbox"/> नहीं | लेख परीक्षर प्रस्तुत करने की तररख दि./मर./वर्ष | पारवती संख्या |
| (घाiii) | यदि अन्य लेखर परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदरयी, वर्णन करें क्यर आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हं, कृपयर नीचे उल्लिखित विवरण प्रदरन करें [कृपयर अनुदेश 5 देखें] | | | | |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | क्र. सं. | अनुभरग कोड | तररख (दिन/मरस/वर्ष) | पारवती संख्या | |
| ड | यदि आयरकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षर प्रतिवेदन देने के लिए दरयी है, अधिनियम, धररर और संपरीक्षर प्रतिवेदन देने की तररख कर अभिकथन करें ? | | | | |
| | अधिनियम और धररर | (दिन/मरस/वर्ष) | अधिनियम और धररर | (दिन/मरस/वर्ष) | |
| (क) | कंपनी कर स्वरूप (यदि नियंत्री कंपनी है तो 1 चयन करें, यदि समनुंगी कंपनी है तो 2 चयन करें), यदि दोनों हैं तो 3 चयन करें, यदि कोई अन्य है तो 4 चयन करें | | | | |
| (ख) | यदि समनुंगी कंपनी है तो, कर उल्लेख करें | | | | |
| | पैन | धररक कंपनी कर नरम | धररक कंपनी कर पतर | धररित शेररों कर प्रतिशत | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (ग) | यदि धररक कंपनी है तो समनुंगी कंपनी कर उल्लेख करें | | | | |
| | पैन | समनुंगी कंपनी कर नरम | समनुंगी कंपनी कर पतर | धररित शेररों कर प्रतिशत | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (क) | समरमेलक कंपनी की दशर में, समरमेलित कंपनी कर उल्लेख करें | | | | |
| | पैन | समरमेलक कंपनी कर नरम | समरमेलक कंपनी कर पतर | समरमेलन की तररख | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (ख) | समरमेलित कंपनी की दशर में, समरमेलक कंपनी कर उल्लेख करें | | | | |
| | पैन | समरमेलित कंपनी कर नरम | समरमेलित कंपनी कर पतर | समरमेलन की तररख | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (ग) | अवीलीन कंपनी की दशर में, परिणरमिक कंपनी के ब्यररे दे | | | | |
| | पैन | परिणरमिक कंपनी कर नरम | परिणरमिक कंपनी कर पतर | निर्विलियन की तररख | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------------|---|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | (घ) परिणामिक कंपनी की दशा में, अवीलीन कंपनी के ब्यौरे दें | | | | |
| | पैन | अवीलीन कंपनी का नाम | अवीलीन कंपनी का पता | निर्विलियन की तारीख | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| प्रमुख व्यक्ति | उन प्रबंध निदेशक, निदेशक, सचिव तथा प्रधान अधिकारियों के ब्यौरे जो पूर्व वर्ष के दौरान कार्यालय में रहे हैं और पात्र व्यक्तियों के ब्यौरे जो विवरणी को सत्यापित कर रहे हैं | | | | |
| | क्रम सं० | नाम | पदनाम | स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार सं. | निदेशक की दशा में, एमसीए द्वारा जारी निदेशक पहचान संख्यांक (नि.प.सं) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| शेयरधारक की सूचना | उन व्यक्तियों की विशिष्टियां , जो पूर्व वर्ष में किसी समय दस प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति शेयर धारण के फायदाप्रद स्वामी थे । | | | | |
| | क्रम सं. | नाम और पता | धारित शेयरों का प्रतिशत | स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित है) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| स्वामित्व संबंधी जानकारी | असूचीबद्ध कंपनी के मामले में, प्राकृतिक व्यक्तियों की विशिष्टियां जिन्हें पूर्व वर्ष किसी भी समय मत शक्ति के 10% से अन्यून शेयर धारकों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असीमित हितधारी स्वामी थे । | | | | |
| | क्रम सं० | नाम | पता | धारित शेयरों का प्रतिशत | स्थायी लेखा संख्यांक/आधार सं.(यदि आबंटित किया गया है) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया अव्यवहित मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें । | | | | | |
| क्रम सं० | नाम | पता | निवास का देश | स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है) | निवास के देश में आबंटित कररदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या |

| विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया क्रमांतिम कंपनी मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें। | | | | | |
|---|---|-----|--------------|--|---|
| क्रम सं० | नाम | पता | निवास का देश | स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है) | निवास के देश में आबंटित करदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या |
| | | | | | |
| कंपनी का स्वरूप | | | | | (निशान लगाए) <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1 | क्या आप आयकर अधिनियम की धारा 2(36क) में यथा परिभाषित पब्लिक सेक्टर कंपनी हैं | | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |
| 2 | क्या आप भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्वाधीन वाली कंपनी हैं | | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |
| 3 | क्या आप ऐसी कंपनी हैं, जिसमें चालीस प्रतिशत से अन्तून शेयर सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या उस बैंक के स्वामित्वाधीन किसी निगम द्वारा (एकमात्र रूप से या साथ मिलकर) धारित किए हुए हैं। | | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |
| 4 | क्या आप बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंककारी कंपनी है | | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |
| 5 | क्या आप अनुसूचित बैंक हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक हैं | | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |
| 6 | क्या आप बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कंपनी है (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित) | | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |
| 7 | क्या आप गैर बैंककारी वित्तीय संस्थान की कंपनी है | | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |
| 8 | क्या कंपनी सूचीबद्ध है ? यदि हां, कृपया अनुसूची-धज-1 और अनुसूची-कठ-1 को भरना सुनिश्चित करें | | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |
| कारबार या वृत्ति की प्रकृति यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य कृत्य/उत्पाद उपदर्शित करें (उनसे भिन्न, जो धारा 44कड के अधीन आय की घोषणा करते हैं) | | | | | |
| क्र.सं. | कोड [कृपया अनुदेश संख्या 7 (ii) देखें] | | वर्णन | | |
| (i) | | | | | |
| (ii) | | | | | |
| (iii) | | | | | |

कंपनी का स्वरूप और उसका कारबार

भाग क-तुलन पत्र

31 मार्च, 2024 को या समामेलन की तारीख को तुलन पत्र

| | | | |
|-------------------------|---|---|-------|
| साधारण पूंजी और दायित्व | I साधारण पूंजी और दायित्व | | |
| | 1 शेयर धारक की निधि | | |
| | क शेयर पूंजी | | |
| | i | प्राधिकृत | का |
| | ii | पुरोधृत, अभिदत्त और पूर्णतः संदत्त | काii |
| | iii | अभिदत्त, किन्तु पूर्णतः संदत्त नहीं | काiii |
| | iv | कुल(काii + काiii) | काiv |
| | ख आरक्षित और अधिशेष | | |
| | i | पूंजी आरक्षित | खा |
| | ii | पूंजी मोचन आरक्षित | खाii |
| | iii | प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित | खाiii |
| | iv | डिबेन्चर मोचन आरक्षित | खाiv |
| | v | पुर्नमूल्यांकन आरक्षित | खv |
| | vi | शेयर विकल्प बकाया रकमे | खvi |
| | vii | अन्य आरक्षित (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करें) | |
| | क | | viiक |
| | ख | | viiख |
| | ग | कुल (viiक+viiख) | खvii |
| | viii | अधिशेष अर्थात् लाभ और हानि लेखा के लेखे में अतिशेष (नामं पक्ष का अतिशेष ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए) | खviii |
| | ix | कुल (खा + खाii + खाiii + खाiv + खv + खvi + खvii + खviii) (नामं पक्ष का अतिशेष यथा ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए) | खाix |
| ग | शेयर अधिपत्रों से प्राप्त रकम | 1 ग | |
| घ | शेयर धारक की कुल निधि (काiv + खाix+1 ग) | 1घ | |
| 2 | शेयर आवेदन की रकम, जिसका आबंटन लंबित है | | |

| | | | | | | |
|------|---|--|------------------------|------|--|------|
| | i | एक वर्ष से कम से लंबित है | i | | | |
| | ii | एक वर्ष से अधिक से लंबित है | ii | | | |
| | iii | कुल (i+ii) | | | | 2 |
| 3 | स्थगित दायित्व | | | | | |
| क | दीर्घकालिक उधार | | | | | |
| | i | बंधपत्र/डिबेंचर | | | | |
| | | क | विदेशी मुद्रा | i क | | |
| | | ख | रुपया | i ख | | |
| | | ग | कुल (i क +ii ख) | | | i ग |
| ii | आवधिक ऋण | | | | | |
| | | क | विदेशी मुद्रा | ii क | | |
| | | ख | ऋण रूप में | | | |
| | | 1 | बैंकों से | ख1 | | |
| | | 2 | अन्य से | ख2 | | |
| | | 3 | कुल (ख1+ख2) | ख3 | | |
| | | ग | कुल आवधिक ऋण (ii क+ख3) | | | ii ग |
| | iii | आस्थगित भुगतान का दायित्व | | | | iii |
| | iv | संबंधित पक्षकारों से निक्षेप (अनुदेशों को देखें) | | | | iv |
| | v | अन्य निक्षेप | | | | v |
| vi | संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें) | | | vi | | |
| vii | अन्य ऋण और अग्रिम | | | vii | | |
| viii | दीर्घकालिक वित्तपोषण पट्टा अनुबंध पत्र की परिपक्वता | | | viii | | |
| ix | कुल दीर्घकालिक (i ग+ii ग+iii+iv+v+vi+vii+viii) | | | 3क | | |
| ख | आस्थगित कर दायित्व (कुल) | | | 3ख | | |
| ग | अन्य दीर्घकालिक दायित्व | | | | | |
| | i | व्यापार संदेय | | i | | |
| | ii | अन्य | | ii | | |
| | iii | कुल अन्य दीर्घकालिक दायित्व (i+ii) | | 3ग | | |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|-----|----|
| घ | दीर्घकालिक विनिधान | | | | |
| | i | कर्मचारियों के फायदे के लिए विनिधान | i | | |
| | ii | अन्य | ii | | |
| | iii | कुल (i+ii) | | 3घ | |
| ड | कुल स्थगित दायित्व (3क+3ख+3ग +3घ) | | | 3ड | |
| 4 | चालू दायित्व | | | | |
| क | अल्पकालिक उधार | | | | |
| | i | मांग पर प्रतिसंदेय ऋण | | | |
| | | क बैंकों से | i क | | |
| | | ख गैर-बैंककारी कंपनियों से | i ख | | |
| | | ग अन्य वित्तीय संस्थाओं से | i ग | | |
| | | घ अन्य से | i घ | | |
| | ड | कुल प्रतिसंदेय ऋण, मांगे जाने पर (iक+iख+iग+iघ) | | iड | |
| | ii | संबंधित पक्षकारों से प्राप्त निक्षेप (अनुदेशों को देखें) | | ii | |
| | iii | संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें) | | iii | |
| | iv | अन्य ऋण और अग्रिम | | iv | |
| v | अन्य निक्षेप | | v | | |
| vi | कुल अल्पकालिक उधार (iड+ii+iii+iv+v) | | 4क | | |
| ख | व्यवसाय संदेय | | | | |
| ग | अन्य चालू दायित्व | i | एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया | i | |
| | | ii | अन्य | ii | |
| | | iii | कुल व्यवसाय संदेय (i+ii) | | 4ख |
| ग | अन्य चालू दायित्व | i | दीर्घकालिक ऋण की प्रचलित परिपक्वता | i | |
| | | ii | वित्तपोषण पट्टा अनुबंध पत्र की प्रचलित परिपक्वता | ii | |
| | | iii | उधार पर प्रोद्भूत व्याज जो शोध्य नहीं है | iii | |
| | | iv | उधार पर प्रोद्भूत और शोध्य व्याज | iv | |
| | | v | अग्रिम में प्राप्त आय | v | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|---|------|--|----|----|--|
| | | vi | असदत्त लाभांश | vi | | | | |
| | | vii | प्रतिभूति के आबंटन के लिए आवेदन हेतु प्राप्त हुई रकम तथा प्रतिदाय और उस पर प्रोद्भूत ब्याज के देय | vii | | | | |
| | | viii | असदत्त परिपक्व निक्षेप और उस पर प्रोद्भूत ब्याज | viii | | | | |
| | | ix | असदत्त डिबेंचर और उस पर प्रोद्भूत ब्याज | ix | | | | |
| | | x | अन्य संदेय | x | | | | |
| | | xi | कुल अन्य चालू दायित्व (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii+ix+x) | | | 4ख | | |
| | घ | अल्पकालिक उपबंध | | | | | | |
| | | i | कर्मचारिवृंद के फायदे के लिए उपबंध | i | | | | |
| | | ii | आय-कर के लिए उपबंध | ii | | | | |
| | | iii | प्रस्तावित लाभांश | iii | | | | |
| | | iv | लाभांश पर कर | iv | | | | |
| | | v | अन्य | v | | | | |
| | | vi | कुल अल्पकालिक उपबंध (i + ii +iii + iv + v) | | | 4घ | | |
| | ङ | कुल चालू दायित्व (4क + 4ख + 4ग + 4घ) | | | | | 4ङ | |
| | | कुल शेयर और दायित्व (1घ + 2 + 3ङ + 4ङ) | | | | | 1 | |
| II | आस्तियां | | | | | | | |
| 1 | गैर-चालू आस्तियां | | | | | | | |
| | क | स्थिर आस्तियां | | | | | | |
| | | i | मूर्त आस्तियां | | | | | |
| | | क | सकल ब्लाक | iक | | | | |
| | | ख | अवक्षयण | iख | | | | |
| | | ग | ह्रास से हुई हानियां | iग | | | | |
| | | घ | शुद्ध ब्लाक (iक- iख - iग) | iघ | | | | |
| | | ii | अमूर्त आस्तियां | | | | | |
| | | क | सकल ब्लाक | iiक | | | | |
| | | ख | क्रमिक अपाकरण | iiख | | | | |
| | | ग | ह्रास से हुई हानियां | iiग | | | | |

आस्तियां

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---|------|--|-----|
| | घ | शुद्ध ब्लाक (iiक- iiख - iiग) | iiघ | | |
| | iii | पूँजीगत चालू काम | iii | | |
| | iv | विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां | iv | | |
| | v | कुल स्थिर आस्तियां (iघ + iiघ + iii + iv) | | | क v |
| ख | गैर-चालू विनिधान | | | | |
| | i | संपत्ति में विनिधान | i | | |
| | ii | शेयर लिखतों में विनिधान | | | |
| | क | सूचीबद्ध शेयर | iiक | | |
| | ख | गैर-सूचीबद्ध शेयर | iiख | | |
| | ग | योग (ii क + ii ख) | iiग | | |
| | iii | अधिमानी शेयरों में विनिधान | iii | | |
| | iv | सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान | iv | | |
| | v | डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान | v | | |
| | vi | पारस्परिक निधियों में विनिधान | vi | | |
| | vii | भागीदारी फर्मों में विनिधान | vii | | |
| | viii | अन्य विनिधान | viii | | |
| | ix | कुल गैर-चालू विनिधान (i + iic + iii + iv + v + vi + vii + viii) | | | खix |
| ग | आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध) | | | | ग |
| घ | दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम | | | | |
| | i | पूँजी अग्रिम | i | | |
| | ii | प्रतिभूति निक्षेप | ii | | |
| | iii | संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम (अनुदेश देखें) | iii | | |
| | iv | अन्य ऋण और अग्रिम | iv | | |
| | v | कुल दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii + iii + iv) | | | घ v |
| | vi | घv में सम्मिलित दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम, जो | | | |
| | क | कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है | viक | | |
| | ख | कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है | viख | | |
| | ग | आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है | viग | | |

| | | | | | |
|------|--|---|---|-------|--|
| | ड | अन्य गैर-चालू आस्तियां | | | |
| | i | दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य | | | |
| | | क | प्रतिभूत, अच्छे समझे गए | िक | |
| | | ख | गैर-प्रतिभूत, अच्छे समझे गए | िख | |
| | | ग | शंकास्पद | िग | |
| | | घ | कुल अन्य गैर-चालू आस्तियां (िक + iख + iग) | िघ | |
| | ii | अन्य | | ii | |
| iii | योग (iघ + ii) | | | डiii | |
| | iv | ड iii में सम्मिलित कुल गैर-चालू आस्तियां, जो आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक से, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान से या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, देय है | iv | | |
| च | कुल गैर-चालू आस्तियां (कv+ खiख + ग+ घv + डiii) | | | 1च | |
| 2 | चालू आस्तियां | | | | |
| | क | चालू विनिधान | | | |
| | i | शेयर लिखतों में विनिधान | | | |
| | | क | सूचीबद्ध शेयर | िक | |
| | | ख | गैर-सूचीबद्ध शेयर | िख | |
| | | ग | योग (िक + i ख) | िग | |
| | ii | अधिमानी शेयरों में विनिधान | | ii | |
| | iii | सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान | | iii | |
| | iv | डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान | | iv | |
| | v | पारस्परिक निधियों में विनिधान | | v | |
| | vi | भागीदारी फर्मों में विनिधान | | vi | |
| | vii | अन्य विनिधान | | vii | |
| viii | कुल चालू विनिधान (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii) | | | कviii | |
| ख | संपत्ति-सूची | | | | |
| | i | कच्चा माल | i | | |
| | ii | चालू काम | ii | | |
| | iii | तैयार माल | iii | | |
| | iv | व्यवसाय - स्टॉक (व्यवसाय के लिए अर्जित माल) | iv | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|------|--------|---|
| | v | भंडार और स्पेयर | v | | |
| | vi | खुले औजार | vi | | |
| | vii | अन्य | vii | | |
| | viii | कुल संपत्ति-सूची (i + ii + iii + iv + v + vi + vii) | | ख viii | |
| ग | व्यापार प्राप्य | | | | |
| i | 6 मास से अधिक से बकाया | i | | | |
| ii | अन्य | ii | | | |
| iii | कुल व्यवसाय प्राप्य (i + ii + iii) | | गiii | | |
| घ | नकदी और नकद समतुल्य | | | | |
| i | बैंक नकद | i | | | |
| ii | चेक, ड्राफ्ट | ii | | | |
| iii | नकद अतिशे-1 | iii | | | |
| iv | अन्य | iv | | | |
| v | कुल नकदी और नकद समतुल्य (i + ii + iii + iv) | | घiv | | |
| ङ | अल्पकालिक ऋण और अग्रिम | | | | |
| i | पक्षकारों से संबंधित ऋण और अग्रिम (अनुदेशों देखें) | i | | | |
| ii | अन्य | ii | | | |
| iii | कुल अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii) | | ङii | | |
| iv | ङii में सम्मिलित अल्पकालिक ऋण और अग्रिम, जो | | | | |
| क | कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है | iv क | | | |
| ख | कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है | ivख | | | |
| ग | आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ङ) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है | ivग | | | |
| च | अन्य चालू आस्तियां | | | च | |
| छ | कुल चालू आस्तियां (कviii + खviii + गiii + घv + ङii + च) | | | 2छ | |
| कुल आस्तियां (1च+2छ) | | | | | ॥ |

भाग क-तुलन पत्र - भारतीय लेखा मानकों के रूप में

31 मार्च, 2024 को या व्यावसायिक संयोजन की तारीख के अनुसार [एक कंपनी के लिए लागू है, जिसका वित्तीय विवरण कंपनियों के उपाबंध (भारतीय लेखा मानकों) नियम, 2015 में निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में तैयार किए गए हैं]

| | | | |
|---|--|-------|--|
| I साधारण शेयर और दायित्व | | | |
| 1 साधारण शेयर | | | |
| अ साधारण शेयर पूंजी | | | |
| i | प्राधिकृत | का | |
| ii | जारी, अभिदत्त और पूरी तरह से भुगतान किया गया | काii | |
| iii | अभिदत्त लेकिन पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया | काiii | |
| iv | कुल (काi + काiii) | क+iv | |
| आ अन्य साधारण शेयर | | | |
| i अन्य रिजर्व | | | |
| | क पूंजी विमोचन आरक्षित | ik | |
| | ख डिबेंचर विमोचन रिजर्व | ix | |
| | ग शेयर विकल्प बकाया लेखा | ig | |
| | घ अन्य (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें) | ix | |
| | ड. कुल अन्य भंडार (ik+ ix + ig + ix) | id. | |
| ii प्रतिधारित आय (पी और एल के कथन नामों पक्ष का अतिशेष -वीई आंकड़े के रूप में दर्शित) | | ii | |
| iii कुल (खाड. + ii) (डेबिट शेष राशि को -ve आंकड़े के रूप में दिखाया जाएगा) | | खiii | |
| इ कुल साधारण शेयर (कiv + खiii) | | 1ग | |
| 2 दायित्व | | | |
| अ गैर मौजूदा दायित्व | | | |
| I वित्तीय दायित्व | | | |
| उधारी | | | |
| क बांड या डिबेंचर | | | |
| 1 | विदेशी मुद्रा | क 1 | |
| 2 | रुपए | क 2 | |
| 3 | कुल (1 + 2) | क 3 | |
| ख उधार अवधि | | | |
| 1 | विदेशी मुद्रा | ख 1 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|-------------------|-----|--|-----|--|
| | 2 | रुपया उधार | | | | | |
| | | i | बैंकों से | i | | | |
| | | ii | अन्य पार्टियों से | ii | | | |
| | | iii | कुल (i + ii) | ख 2 | | | |
| | 3 | कुल अवधि उधार (ख 1 + ख 2) | | | | ख 3 | |
| ग | आस्थगित संदाय दायित्व | | | | | ग | |
| घ | निकषेप | | | | | घ | |
| ड. | संबंधित पक्षों से उधार (अनुदेश देखें) | | | | | ड. | |
| च | वित्त पट्टा बाध्यता की दीर्घकालिक परिपक्वता | | | | | च | |
| छ | यौगिक वित्तीय लिखतों की दायित्व घटक | | | | | छ | |
| ज | अन्य उधार | | | | | ज | |
| झ | कुल उधारी (क 3 + ख 3 + ग + घ + ड. + च + छ + ज) | | | | | झ | |
| ञ | व्यापार उधार | | | | | ञ | |
| ट | अन्य वित्तीय दायित्व (उपबंधों के अधीन II में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त) | | | | | ट | |
| II | | उपबंध | | | | | |
| | क | कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध | क | | | | |
| | ख | अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें) | ख | | | | |
| | ग | कुल उपबंध | | | | IIग | |
| III | | आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) | | | | III | |
| IV | | अन्य गैर-तात्कालिक दायित्व | | | | | |
| | क | अग्रिम | क | | | | |
| | ख | अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें) | ख | | | | |
| | ग | कुल अन्य गैर-वर्तमान दायित्व | | | | IVग | |
| | | कुल गैर-वर्तमान देयताएं (IIझ + Iञ + IIट + IIग + III + IVग) | | | | 2क | |
| ख | वर्तमान दायित्व | | | | | | |
| I | वित्तीय दायित्व | | | | | | |
| | i | उधार लेना | | | | | |
| | क | मांग पर लौटाने वाले उधार | | | | | |
| | 1 | बैंकों से | 1 | | | | |
| | 2 | अन्य पक्षकारों से | 2 | | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---|----|--|------|
| | 3 | मांग पर प्रतिपूर्ति कुल उधार (1 + 2) | 3 | | |
| | ख | संबंधित पक्षकारों से उधार | ख | | |
| | ग | निक्षेप | ग | | |
| | घ | अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें) | घ | | |
| | | कुल उधार (क 3 + ख + ग + घ) | | | ii |
| ii | | व्यापार देनदारियां | | | iii |
| iii | | अन्य वित्तीय दायित्व | | | |
| | क | लंबी अवधि के उधार की चालू परिपक्वता | क | | |
| | ख | वित्त पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता | ख | | |
| | ग | प्रोद्भूत ब्याज | ग | | |
| | घ | अवैतनिक लाभांश | घ | | |
| | ड. | प्रतिदेयता के विस्तार की प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदन राशि और उस पर प्रोद्भूत ब्याज | ड. | | |
| | च | असंदत्त परिपक्व निक्षेप और उस पर प्रोद्भूत ब्याज | च | | |
| | छ | उस पर प्रोद्भूत असंदत्त परिपक्व डिबेंचर और ब्याज | छ | | |
| | ज | अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें) | ज | | |
| | झ | कुल अन्य वित्तीय दायित्व (क + ख + ग + घ + ड. + च + छ + ज) | | | iiii |
| iv | | कुल वित्तीय दायित्व (ii + iii + iiiii) | | | liv |
| II | | अन्य चालू दायित्व | | | |
| | क | अग्रिम में प्राप्त राजस्व | क | | |
| | ख | अन्य अग्रिम (प्रकृति निर्दिष्ट करें) | ख | | |
| | ग | अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें) | ग | | |
| | घ | कुल अन्य वर्तमान दायित्व (क + ख + ग) | | | IIघ |
| III | | उपबंध | | | |
| | क | कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध | क | | |
| | ख | अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें) | ख | | |
| | ग | कुल उपबंध (क + ख) | | | IIIग |
| IV | | वर्तमान कर दायित्व (शुद्ध) | | | IV |
| | | कुल मौजूदा दायित्व (IIiv + IIघ + IIIग + IV) | | | 2ख |
| | | कुल साधारण शेयर और दायित्व (1ग + 2क + 2ख) | | | I |

| | | | | | |
|----------|---|----------------------------|------------|-----|-----|
| आस्तियां | II आस्तियां | | | | |
| | 1 गैर तात्कालिक आस्तियां | | | | |
| | क | संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर | | | |
| | | क | सकल ब्लॉक | क | |
| | | ख | मूल्यहास | ख | |
| | | ग | हास हानि | ग | |
| | घ | शुद्ध ब्लॉक (क- ख-ग) | | | क घ |
| | ख | पूँजीगत कार्य-प्रगति | | | ख |
| | ग | निवेश सम्पत्ति | | | |
| | | क | सकल ब्लॉक | क | |
| | | ख | मूल्यहास | ख | |
| | | ग | हास हानि | ग | |
| | घ | शुद्ध ब्लॉक (क- ख-ग) | | | ग घ |
| | घ | साख | | | |
| | | क | सकल ब्लॉक | क | |
| | | ख | हास हानि | ख | |
| | ग | शुद्ध ब्लॉक (क- ख) | | | घ ग |
| | ड. | अन्य अमूर्त संपत्ति | | | |
| | | क | सकल ब्लॉक | क | |
| | | ख | उधारमुक्ति | ख | |
| | | ग | हास हानि | ग | |
| घ | शुद्ध ब्लॉक (क- ख-ग) | | | उ.घ | |
| च | विकास के अधीन अमूर्त संपत्ति | | | च | |
| छ | वाहक संयंत्रों के अतिरिक्त जैविक आस्तियां | | | | |
| | क | सकल ब्लॉक | क | | |
| | ख | हास हानि | ख | | |
| ग | शुद्ध ब्लॉक (क- ख) | | | छग | |
| ज | वित्तीय आस्तियां | | | | |
| | I निवेश | | | | |
| | i साधारण साम्या लिखत में निवेश | | | | |
| | क | सूचीबद्ध साधारण शेयर | क | | |
| | ख | असूचीबद्ध साधारण शेयर | ख | | |
| | ग | कुल (क + ख) | | | ग |
| | ii | वरीयता शेयरों में निवेश | | | |
| iii | सरकार या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश | | | | |

| | | | | |
|--|--|-----|--|-------|
| iv | डिवेंचर या बांड में निवेश | iv | | |
| v | म्युचुअल फंड में निवेश | v | | |
| vi | साझेदारी फर्मों में निवेश | vi | | |
| vii | अन्य निवेश(प्रकृति निर्दिष्ट करें) | vii | | |
| viii | कुल गैर-मौजूदा निवेश (ig + ii + iii + iv + v + vi + vii) | | | जा |
| II स्वीकार योग्य व्यापार | | | | |
| क | सुरक्षित, अच्छा माना जाता है | क | | |
| ख | असुरक्षित, अच्छा माना जाता है | ख | | |
| ग | संदिग्ध | ग | | |
| घ | कुल प्राप्य व्यापार | | | जाII |
| III उधार | | | | |
| i | सुरक्षा निक्षेप | i | | |
| ii | संबंधित पक्षों को उधार (अनुदेश देखें) | ii | | |
| iii | अन्य उधार | iii | | |
| iv | अन्य उधार (i + ii + iii) | | | जाIII |
| v | उक्त III में शामिल उधार, जो कि- | | | |
| क | कारबार या व्यवसाय के प्रयोजनके लिए | vक | | |
| ख | कारबार या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं | vख | | |
| ग | आयकर अधिनियम के खंड 2 (22) (ड) के अनुसार, ऐसे शेयरधारक को शेयर के फायदेमंद स्वामी या किसी भी समुत्थान या इस तरह के शेयरधारक की ओर से / लाभ के लिए दिया गया है। | vग | | |
| IV अन्य वित्तीय आस्तियां | | | | |
| i | 12 महीनों से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक निक्षेप | i | | |
| ii | अन्य | ii | | |
| iii | अन्य वित्तीय आस्तियां का कुल (i + ii) | | | जा IV |
| झ आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध) | | | | |
| ञ अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति | | | | |
| i | पूजीगत अग्रिम | i | | |
| ii | पूजी अग्रिम के अतिरिक्त अन्य अग्रिम | ii | | |
| iii | अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें) | iii | | |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|-----|--|
| | iv | कुल गैर-वर्तमान आस्तियां (i + ii + iii) | | ज | |
| | v | आय कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड.) के अनुसार गैर-वर्तमान आस्तियां उक्त झ सहित है जो कि शेयरधारक, शेयर के फायदेमंद मालिक, या इस तरह के शेयरधारक के रूप में किसी भी समुत्थान से या की ओर से / लाभ | v | | |
| | कुल गैर - मौजूदा आस्तियां(कघ + ख +गघ + घग + ड.घ +च +छग + जा + जाII + जाIII + जाIV + झ + ज) | | | 1 | |
| 2 | वर्तमान आस्ति | | | | |
| | क | तालिकाएं | | | |
| | i | कच्चा माल | i | | |
| | ii | कार्य प्रगति पर है | ii | | |
| | iii | तैयार माल | iii | | |
| | iv | स्टॉक-इन-ट्रेड (व्यापार के लिए प्राप्त वस्तुओं के संबंध में) | iv | | |
| | v | स्टोर और पुर्जों | v | | |
| | vi | ढीला उपकरण | vi | | |
| | vii | अन्य | vii | | |
| | viii | कुल तालिकाएं (i + ii + iii + iv + v + vi + vii) | | 2क | |
| | ख | वित्तीय आस्तियां | | | |
| | I | निवेश | | | |
| | i | साधारण शेयर लिखत में निवेश | | | |
| | | क | सूचीबद्ध साधारण शेयर | i क | |
| | | ख | असूचीबद्ध साधारण शेयर | i ख | |
| | | ग | कुल (i क + i ख) | iग | |
| | ii | वरीयता शेयरों में निवेश | | ii | |
| | iii | सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश | | iii | |
| | iv | डिवेंचर या बॉन्ड में निवेश | | iv | |
| | v | म्युचुअल फंड में निवेश | | v | |
| | vi | भागीदारी फर्मों में निवेश | | vi | |
| | vii | अन्य निवेश | | vii | |
| | viii | कुल वर्तमान निवेश (iग + ii + iii + iv + v + vi + vii) | | I | |
| | II | स्वीकार योग्य व्यापार | | | |
| | i | सुरक्षित, अच्छा माना जाता है | i | | |

| | | | | | |
|-----|---|--|-----|--|-----|
| | ii | असुरक्षित, अच्छा माना जाता है | ii | | |
| | iii | संदिग्ध | iii | | |
| | iv | प्राप्य कुल व्यापार (i + ii + iii) | | | II |
| III | नकद और नकद समकक्ष | | | | |
| | i | बैंकों के साथ अतिशेष (नकद और नकद समकक्षों की प्रकृति) | i | | |
| | ii | हाथ में चेक और ड्राफ्ट | ii | | |
| | iii | हाथ में पैसा | iii | | |
| | iv | अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें) | iv | | |
| | v | कुल नकद और नकद समकक्ष (i + ii + iii + iv) | | | III |
| IV | उपरोक्त III के अतिरिक्त बैंक अतिशेष | | | | IV |
| V | उधार | | | | |
| | i | सुरक्षा निक्षेप | i | | |
| | ii | संबंधित पक्षों को उधार (निर्देश देखें) | ii | | |
| | iii | अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें) | iii | | |
| | iv | कुल उधार (i + ii + iii) | | | V |
| | v | जो उपरोक्त V में शामिल उधार और अग्रिम हैं- | | | |
| | क | कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए | vक | | |
| | ख | कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए नहीं | vख | | |
| | ग | आय कर अधिनियम की धारा 2(22)ड. के अनुसार शेयरधारक को दिया, लाभकारी मालिक होने के नाते के शेयर, या किसी भी समुत्थान या ओर से / लाभ का शेयरधारक | vग | | |
| VI | अन्य वित्तीय आस्तियां | | | | VI |
| | कुल वित्तीय आस्तियां (I + II + III + IV + V + VI) | | | | 2ख |
| ग | चालू कर आस्तियां (शुद्ध) | | | | 2ग |
| घ | अन्य मौजूदा आस्तियां | | | | |
| | i | पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम | i | | |
| | ii | अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें) | ii | | |
| | iii | कुल | | | 2घ |
| | कुल चालू आस्तियां (2क+2ख+2ग+2घ) | | | | 2 |
| | कुल आस्तियां (1 + 2) | | | | II |

भाग क-

विनिर्माण लेखा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विनिर्माण लेखा (उस दशा में मद 1 से मद 3 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरे)

| | | | | |
|---|---|---------------------------------------|------|----|
| 1 | विनिर्माणकारी खाते का विकलन | | | |
| | क प्रारम्भिक तालिका | | | |
| | i | कच्ची सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक | i | |
| | ii | प्रगतिशील सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक | ii | |
| | iii | योग (i + ii) | कiii | |
| | ख क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हों, का योग) | | | ख |
| | ग प्रत्यक्ष मजदूरी | | | ग |
| | घ प्रत्यक्ष कर (घा + घii + घiii) | | | घ |
| | i | आवक वहन व्यय | i | |
| | ii | विद्युत् और ईंधन | ii | |
| | iii | अन्य प्रत्यक्ष व्यय | iii | |
| | ङ कारखाना अधिव्यय | | | |
| | i | अप्रत्यक्ष मजदूरी | i | |
| | ii | कारखाना किराया और दर | ii | |
| | iii | कारखाना बीमा | iii | |
| | iv | कारखाना ईंधन और विद्युत् | iv | |
| | v | कारखाना साधारण व्यय | v | |
| | vi | कारखाना मशीनरी का अवक्षयण | vi | |
| | vii | योग (i+ii+iii+iv+v+vi) | ङvii | |
| | च विनिर्माण खाते में किए गए विकलनों का योग (कiii+ख+ग+घ+ङvii) | | | 1च |
| 2 | अंत स्टॉक | | | |
| | i | कच्ची सामग्री | 2i | |
| | ii | प्रगतिशील कार्य | 2ii | |
| | योग (2i + 2ii) | | | 2 |
| 3 | व्यापार लेखा में उत्पाद किए गए-अंतरित किए गए माल की लागत (1च - 2) | | | 3 |

भाग क – व्यापार
लेखा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए व्यापार लेखा (उस दशा में मद 4 से मद 12 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरे)

| | | | | | |
|-----------------------|---|--|-------|----|-------|
| व्यापार लेखे में जमा | 4 | प्रचालनों से प्राप्त राजस्व | | | |
| | क | विक्रय/सकल कारबार की प्राप्तियां (विवरणियों तथा प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग) | | | |
| | i | माल का विक्रय | i | | |
| | ii | सेवाओं का विक्रय | ii | | |
| | iii | अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें) | | | |
| | क | | iii क | | |
| | ख | | iii ख | | |
| | ग | योग (iii क + iii ख) | | | iii ग |
| | iv | योग (i + ii + iii ग) | | | कiv |
| | ख | व्यवसाय से सकल प्राप्तियां | | | ख |
| व्यापार लेखा में आकलन | ग | विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क कर और उपकर | | | |
| | i | संघ उत्पाद कर | i | | |
| | ii | सेवा कर | ii | | |
| | iii | मूल्य वर्धितकर/विक्रय कर | iii | | |
| | iv | केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) | iv | | |
| | v | राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) | v | | |
| | vi | एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) | vi | | |
| | vii | संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी) | vii | | |
| | viii | कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर | viii | | |
| | ix | योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii) | | | गix |
| घ | प्रचालनों से कुल राजस्व (कiv + ख + गix) | | | 4घ | |
| 5 | तैयार वस्तुओं का अंतिम (क्लोजिंग) स्टॉक | | | 5 | |
| 6 | व्यापार खाते में जमाओं का योग (4घ + 5) | | | 6 | |
| 7 | तैयार मालों का आरम्भिक स्टॉक | | | 7 | |
| 8 | क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग) | | | 8 | |
| 9 | प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii) | | | 9 | |
| i | आवक वहन व्यय | i | | | |
| ii | विद्युत और ईंधन | ii | | | |
| iii | अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण : प्रत्यक्ष कर की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है | iii | | | |
| 10 | क्रय किए गए माल और सेवाओं के सम्बन्ध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर | | | | |
| i | सीमा शुल्क | 10i | | | |
| ii | प्रतिरोधी शुल्क | 10ii | | | |

| | | | | | |
|-----|------|---|--------|-------|--|
| | iii | विशेष अतिरिक्त शुल्क | 10iii | | |
| | iv | संघ उत्पाद शुल्क | 10iv | | |
| | v | सेवा कर | 10v | | |
| | vi | मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर | 10vi | | |
| | vii | केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) | 10vii | | |
| | viii | राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) | 10viii | | |
| | ix | एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) | 10ix | | |
| | x | संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी) | 10x | | |
| | xi | संदत्त या संदेय कोई अन्य कर | 10xi | | |
| | xii | योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi) | | 10xii | |
| 11 | | विनिर्माण खाते से उत्पादित-उपांतरित माल की लागत | | 11 | |
| 12 | | कारबार/व्यवसाय से लाभ और हानि लेखा में अंतरित सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11) | | 12 | |
| 12क | | दिनभर व्यापार से आवर्त | | 12क | |
| 12ख | | दिन भर व्यापार से आय - लाभ व हानि लेख में अंतरित | | 12ख | |

भाग क - लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लाभ और हानि लेखा (उस दशा में मद 13 से मद 60 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरे)

| | | | | | |
|----------------------|------|---|------|----|--|
| | 13 | व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ 12 + 12ख | | 13 | |
| | 14 | अन्य आय | | | |
| लाभ हानि लेख में जमा | i | किराया | i | | |
| | ii | कमीशन | ii | | |
| | iii | लाभांश आय | iii | | |
| | iv | ब्याज आय | iv | | |
| | v | नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ | v | | |
| | vi | प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ | vi | | |
| | vii | अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ | vii | | |
| | viii | धारा 43कक के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि) | viii | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|-----------------|------------|--|-------|
| | ix | धारा 28(vi) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य) | ix | | | |
| | x | कृषि आय | x | | | |
| | xi | अन्य कोई आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें) | | | | |
| | | क | | xiक | | |
| | | ख | | xiख | | |
| | | ग | योग (xiक + xiख) | xiग | | |
| | xii | अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग) | | | | 14xii |
| 15 | लाभ और हानि लेखा में जमाओं का योग (13+14xii) | | | 15 | | |
| 16 | जावक भाड़ा | | | 16 | | |
| 17 | भण्डारों और पुर्जों का उपभोग | | | 17 | | |
| 18 | विद्युत और ईंधन | | | 18 | | |
| 19 | किराया | | | 19 | | |
| 20 | भवन की मरम्मत | | | 20 | | |
| 21 | मशीनरी की मरम्मत | | | 21 | | |
| 22 | कर्मचारियों को प्रतिकर | | | | | |
| | i | वेतन और मजदूरी | 22i | | | |
| | ii | बोनस | 22ii | | | |
| | iii | चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति | 22iii | | | |
| | iv | छुट्टी नकदीकरण | 22iv | | | |
| | v | छुट्टी यात्रा फायदे | 22v | | | |
| | vi | अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय | 22vi | | | |
| | vii | मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय | 22vii | | | |
| | viii | मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय | 22viii | | | |
| | ix | किसी अन्य निधि में अभिदाय | 22ix | | | |
| | x | कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है | 22x | | | |
| | xi | कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग) | | 22xi | | |
| | xii | क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है | xiiक | हां / नहीं | | |

| | | | | |
|----|--|--|-------|----|
| | यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम | xiiiख | | |
| 23 | बीमा | | | |
| | i | चिकित्सीय बीमा | 23i | |
| | ii | जीवन बीमा | 23ii | |
| | iii | की-मैन बीमा | 23iii | |
| | iv | अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी हैं | 23iv | |
| | v | बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv) | 23v | |
| 24 | कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय | | | 24 |
| 25 | मनोरंजन | | | 25 |
| 26 | आतिथ्य | | | 26 |
| 27 | सम्मेलन | | | 27 |
| 28 | विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है | | | 28 |
| 29 | विज्ञापन | | | 29 |
| 30 | कमीशन | | | |
| | i | किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त | i | |
| | ii | अन्य को | ii | |
| | iii | योग (i + ii) | 30iii | |
| 31 | स्वामिस्व | | | |
| | i | किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त | i | |
| | ii | अन्य को | ii | |
| | iii | योग (i + ii) | 31iii | |
| 32 | तकनीकी सेवाओं के लिए व्यवसायिक/परामर्श फीस/फीस | | | |
| | i | किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त | i | |
| | ii | अन्य को | ii | |
| | iii | योग (i + ii) | | |
| 33 | होटल, बोर्डिंग, आवास | | | 33 |

| | | | |
|----|--|---------|--|
| 34 | विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय | 34 | |
| 35 | विदेशी यात्रा व्यय | 35 | |
| 36 | प्रवहण व्यय | 36 | |
| 37 | टेलीफोन व्यय | 37 | |
| 38 | अतिथि गृह व्यय | 38 | |
| 39 | क्लब व्यय | 39 | |
| 40 | उत्सव समारोह व्यय | 40 | |
| 41 | छात्रवृत्ति | 41 | |
| 42 | उपहार | 42 | |
| 43 | दान | 43 | |
| 44 | सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त किराया और कर या संदेय दर और कर (आय पर करों को छोड़कर) | | |
| | i संघ उत्पाद शुल्क | 44i | |
| | ii सेवा कर | 44ii | |
| | iii मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर | 44iii | |
| | iv उपकर | 44iv | |
| | v केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) | 44v | |
| | vi राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) | 44vi | |
| | vii एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) | 44vii | |
| | viii संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी) | 44viii | |
| | ix कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है | 44ix | |
| | x संदत्त या संदेय कुल दर और कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix) | 44x | |
| 45 | संपरीक्षा फीस | 45 | |
| 46 | अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें) | | |
| | i | i | |
| | ii | ii | |
| | iii योग (i + ii) | 46iii | |
| 47 | डूबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक आधार, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए डूबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें) | | |
| | (i1) | 47i (1) | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-------|-----|------------|------------|-----|--|
| | (i2) | | | | | | | | | 47i (2) | | | |
| | (i3) | | | | | | | | | 47i (3) | | | |
| | पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है | | | | | | | | | | | | |
| | कुल (47i(1)+47i(2)+47i(3)) | | | | | | | | | | 47i | | |
| | ii जहां स्थायी लेखा संख्यांक/आधार उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) (नाम और पूरे पते का उल्लेख करें) | | | | | | | | | | 47ii | | |
| | क्र.सं. | नाम | फ्लैट/ द्वार/ ब्लाक सं0 | परिसर/ भवन/ ग्राम का नाम | सड़क / मार्ग/ डाक घर | क्षेत्र/ अवस्थान | करबा/ शहर/ जिला | राज्य | देश | पिन कोड | जिप कोड | रकम | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है | | | | | | | | | | | | |
| | iii अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम) | | | | | | | | | | 47iii | | |
| | iv योग डूबन्त ऋण (47i + 47ii + 47iii) | | | | | | | | | | 47iv | | |
| 48 | डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध | | | | | | | | | | 48 | | |
| 49 | अन्य उपबंध | | | | | | | | | | 49 | | |
| 50 | व्याज, अवक्षयण और करों से पहले लाभ [15 – (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)] | | | | | | | | | | 50 | | |
| 51 | व्याज | | | | | | | | | | | | |
| | i | किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में संदत्त | | | | | | | i | | | | |
| | ii | अन्य को | | | | | | | ii | | | | |
| | iii योग (i + ii) | | | | | | | | | | | | |
| 52 | अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण | | | | | | | | | | 52 | | |
| 53 | करों से पहले शुद्ध लाभ (50 – 51iii – 52) | | | | | | | | | | 53 | | |
| 54 | वर्तमान कर के लिए उपबंध | | | | | | | | | | 54 | | |
| 55 | आस्थगित कर के लिए उपबंध | | | | | | | | | | 55 | | |
| 56 | कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55) | | | | | | | | | | 56 | | |
| 57 | पूर्व वर्ष से अग्रणीत अतिशेष | | | | | | | | | | 57 | | |
| 58 | विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57) | | | | | | | | | | 58 | | |
| 59 | विनियोग | | | | | | | | | | | | |
| | i | आरक्षितियों और अधिशेष में अन्तरण | | | | | | | 59i | | | | |

| | | | | |
|----|--|---|------------|-------|
| | ii | प्रस्तावित लाभांश/अन्तरिम लाभांश | 59ii | |
| | iii | लाभांश पर कर/पूर्वतर वर्षों के लिए लाभांश पर कर | 59iii | |
| | iv | कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर क्रियाकलापों के लिए विनियोग (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन आने वाली कंपनियों की दशा में) | 59iv | |
| | v | कोई अन्य विनियोग | 59v | |
| | vi | योग (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v) | 59vi | |
| 60 | तुलन पत्र में लिए गए अतिशेष (58 - 59vi) | | | 60 |
| 61 | धारा 44कड के अधीन माल वाहकों से प्रकल्पित आय की संगणना | | | |
| | क्र. सं. | कारबार का नाम | कारबार कोड | वर्णन |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | माल गाड़ी का रजिस्ट्रीकरण सं. | क्या स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर ली गई थी | माल गाड़ी की टर्नभार क्षमता (एमटी में) | उन मासों की संख्या, जिनके लिए माल गाड़ी निर्धारित की स्वामित्वाधीन था/उसके द्वारा पट्टे पर/किराए पर ली गई थी था | माल गाड़ी के लिए धारा 44कड के अधीन प्रकल्पित आय (12 मैट्रिक टन से अधिक टन भार की दशा में प्रतिमास 1000 रुपए की दर से या अन्यथा 7500 रुपए प्रतिमास की दर से संगणित) या वास्तविक रूप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, इनमें जो भी अधिक हो |
|--|-------------------------------|---|--|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | (i) | | | | |
| | (क) | | | | |
| | (ख) | | | | |
| | कुल | | | | |
| यथा अपेक्षित पंक्तियों का विकल्प बढ़ाएं (कृपया नोट करें: वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 वाहन से अधिक नहीं होनी चाहिए) | | | | | |
| | (ii) | धारा 44कड के अधीन माल गाड़ी से कुल प्रकल्पित आय [सारणी 61(i) के स्तम्भ (5) का योग] | | | 61(ii) |
| टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कड के अधीन विहित किए गए से कम है या वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर लिए गए माल गाड़ी का संख्या दस से अधिक है तो धारा 44कख के अधीन लेखाबहियां बनाए रखना या कर संपरीक्षा कराना अनिवार्य है | | | | | |
| लेखारहित मामला | 62 | ऐसी विदेशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय धारा 44ख, धारा 44खख, धारा 44खखक, धारा 44खखख या 44घ में निर्दिष्ट कारबार से एक मात्र लाभों और अभिलाभों से मिलकर बनती है, वहां निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें | | | |
| | क | सकल प्राप्ति/आवर्त | | | 62क |
| | ख | शुद्ध लाभ | | | 62ख |

**भाग क - विनिर्माण लेखा
भारतीय - लेखा मानक**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विनिर्माण लेखा [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होंगी]

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|----------------------------------|------|--|---|--|
| 1 | विनिर्माणकारी खाते का विकलन | | | | | | |
| | क | आरम्भिक तालिक | | | | | |
| | | i | कच्ची सामग्री का आरम्भिक स्टॉक | i | | | |
| | | ii | प्रगतिशील कार्य का आरम्भिक स्टॉक | ii | | | |
| | | iii | योग (i + ii) | कiii | | | |
| | ख | ऋय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग) | | | | ख | |
| | ग | प्रत्यक्ष मजदूरी | | | | ग | |
| | घ | प्रत्यक्ष व्यय | | | | घ | |
| | i | आवक वहन व्यय | | i | | | |
| | | विद्युत और ईंधन | | ii | | | |
| | | अन्य प्रत्यक्ष व्यय | | iii | | | |
| | ङ | कारखाना उपरिव्यय | | | | | |
| | i | अप्रत्यक्ष मजदूरी | | | | | |
| | | कारखाना किराया और दर | | | | | |
| कारखाना बीमा | | | | | | | |
| कारखाना ईंधन और विद्युत | | | | | | | |
| कारखाना साधारण व्यय | | | | | | | |
| कारखाना मशीनरी का अवक्षयण | | | | | | | |
| Vii योग (i+ii+iii+iv+v+vi) | | ङvii | | | | | |
| च | विनिर्माण खाते में विकलनों का योग (कiii+ख +ग +घ +ङvii) | | | 1च | | | |
| 2 | अन्त स्टॉक | | | | | | |
| | i | कच्ची सामग्री | 2i | | | | |
| | ii | प्रगतिशील कार्य | 2ii | | | | |
| | योग (2i +2ii) | | | 2 | | | |
| 3 | व्यापार लेखा में उत्पादित-अंतरित माल की लागत (1च - 2) | | | 3 | | | |

**भाग क - व्यापार लेखा
भारतीय - लेखा मानक**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए व्यापार लेखा [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होंगी]

| | | | | | |
|----------------------|---|--|-------|-----|--|
| व्यापार लेखा में जमा | 4 | प्रचालनों से राजस्व | | | |
| | क | विक्रय/कारबार की कुल प्राप्तियां (विवरणियों और प्रतिदायों तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग) | | | |
| | i | माल का विक्रय | i | | |
| | ii | सेवाओं का विक्रय | ii | | |
| | iii | अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें) | | | |
| | क | | iii क | | |
| | ख | | iii ख | | |
| | ग | योग (iii क + iii ख) | iii ग | | |
| | iv | योग (i + ii + iii ग) | | कiv | |
| | ख | व्यवसाय से सकल प्राप्तियां | | ख | |
| ग | विक्रीत या प्रदाय की गई माल और सेवाओं के सम्बन्ध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर | | | | |
| i | संघ उत्पाद शुल्क | i | | | |
| ii | सेवा कर | ii | | | |
| iii | मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर | iii | | | |
| iv | केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) | iv | | | |
| v | राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) | v | | | |
| vi | एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) | vi | | | |
| vii | संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी) | vii | | | |
| viii | कोई अन्य शुल्क कर और उपकर | viii | | | |
| ix | योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii) | | गix | | |
| घ | प्रचालनों से कुल राजस्व (कiv + ख + गix) | | 4घ | | |
| 5 | तैयार वस्तुओं का अंतिम (क्लोजिंग) स्टॉक | | 5 | | |
| 6 | व्यापार लेखा में जमाओं का योग (4घ + 5) | | 6 | | |
| व्यापार लेखा में देय | 7 | तैयार माल का आरम्भिक स्टॉक | | 7 | |
| | 8 | क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग) | | 8 | |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|-------|-----|--|
| 9 | प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii) | | | 9 | | |
| | i | आवक वहन व्यय | i | | | |
| | ii | विद्युत और ईंधन | ii | | | |
| | iii | अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण : प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है | iii | | | |
| 10 | करय किए गए मालों और सेवाओं के सम्बन्ध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर | | | | | |
| | i | सीमा शुल्क | 10i | | | |
| | ii | प्रतिरोधी शुल्क | 10ii | | | |
| | iii | विशेष अतिरिक्त शुल्क | 10iii | | | |
| | iv | संघ उत्पाद शुल्क | 10iv | | | |
| | v | सेवा कर | 10v | | | |
| | vi | मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर | 10vi | | | |
| | vii | केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) | 10vii | | | |
| | viii | राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) | 10viii | | | |
| | ix | एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) | 10ix | | | |
| | x | संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी) | 10x | | | |
| | xi | संदत्त या संदेय कोई अन्य कर | 10xi | | | |
| | xii | योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi) | | 10xii | | |
| 11 | विनिर्माण खाते से उत्पादित-अंतरित माल की लागत | | | | 11 | |
| 12 | लाभ और हानि लेखा में अंतरित-कारवार/व्यवसाय से सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11) | | | | 12 | |
| 12क | दिन भर व्यापार से आवर्त | | | | 12क | |
| 12ख | दिन भर व्यापार से आय - लाभ व हानि लेख में अंतरित | | | | 12ख | |

**भाग क – लाभ और हानि
भारतीय लेखा मानक**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लाभ और हानि लेखा [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]

| | | | | | |
|----------------------|----|---|-----------|-----|----|
| लाभ हानि लेख में जमा | 13 | व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ (12 + 12ख) | | | 13 |
| | 14 | अन्य आय | | | |
| | | i | किराया | i | |
| | | ii | कमीशन | ii | |
| | | iii | लाभांश आय | iii | |
| | iv | ब्याज आय | iv | | |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|------------|------|-------|
| | v | नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ | v | | | |
| | vi | प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ | vi | | | |
| | vii | अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ | vii | | | |
| | viii | धारा 43कक के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि) | viii | | | |
| | ix | धारा 28(vिक) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य) | ix | | | |
| | x | कृषि आय | x | | | |
| | xi | अन्य कोई आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें) | | | | |
| | | क | | xiक | | |
| | | ख | | xiख | | |
| | | ग | योग (xiक + xiख) | xiग | | |
| | | xii | अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग) | | | 14xii |
| 15 | लाभ और हानि लेखा में जमाओं का योग (13+14xii) | | | | 15 | |
| 16 | जावक भाड़ा | | | | 16 | |
| 17 | भण्डारों और पुर्जों का उपभोग | | | | 17 | |
| 18 | विद्युत और ईंधन | | | | 18 | |
| 19 | किराया | | | | 19 | |
| 20 | भवन की मरम्मत | | | | 20 | |
| 21 | मशीनरी की मरम्मत | | | | 21 | |
| 22 | कर्मचारियों को प्रतिकर | | | | | |
| | i | वितन और मजदूरी | 22i | | | |
| | ii | बोनस | 22ii | | | |
| | iii | चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति | 22iii | | | |
| | iv | छुट्टी नकदीकरण | 22iv | | | |
| | v | छुट्टी यात्रा फायदे | 22v | | | |
| | vi | अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय | 22vi | | | |
| | vii | मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय | 22vii | | | |
| | viii | मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय | 22viii | | | |
| | ix | कोई अन्य निधि में अभिदाय | 22ix | | | |
| | x | कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है | 22x | | | |
| | xi | कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग) | | | 22xi | |
| | xii | क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है | xiiक | हां / नहीं | | |
| | | यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम | xiiख | | | |
| 23 | बीमा | | | | | |
| | i | चिकित्सीय बीमा | 23i | | | |
| | ii | जीवन बीमा | 23ii | | | |
| | iii | की-मैन बीमा | 23iii | | | |
| | iv | अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी हैं | 23iv | | | |
| | v | बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv) | | | 23v | |
| 24 | कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय | | | | 24 | |
| 25 | सनोरंजन | | | | 25 | |
| 26 | आतिथ्य | | | | 26 | |
| 27 | सम्मेलन | | | | 27 | |
| 28 | विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है | | | | 28 | |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|--|------------|--|
| 29 | विज्ञापन | | | | 29 | |
| 30 | कमीशन | | | | | |
| | i | किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त | i | | | |
| | ii | अन्य को | ii | | | |
| | iii | योग (i + ii) | | | 30iii | |
| 31 | स्वामिस्व | | | | | |
| | i | किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त | i | | | |
| | ii | अन्य को | ii | | | |
| | iii | योग (i + ii) | | | 31iii | |
| 32 | व्यवसायिक/परामर्श फीस/ तकनीकी सेवाओं के लिए फीस | | | | | |
| | i | किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त | i | | | |
| | ii | अन्य को | ii | | | |
| | iii | योग (i + ii) | | | 32iii | |
| 33 | होटल, बोर्डिंग, आवास | | | | 33 | |
| 34 | विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय | | | | 34 | |
| 35 | विदेशी यात्रा व्यय | | | | 35 | |
| 36 | प्रवहण व्यय | | | | 36 | |
| 37 | टेलीफोन व्यय | | | | 37 | |
| 38 | अतिथि गृह व्यय | | | | 38 | |
| 39 | क्लब व्यय | | | | 39 | |
| 40 | उत्सव समारोह व्यय | | | | 40 | |
| 41 | छात्रवृत्ति | | | | 41 | |
| 42 | उपहार | | | | 42 | |
| 43 | दान | | | | 43 | |
| 44 | सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दर और कर (आय पर कर को छोड़कर) | | | | | |
| | i | संघ उत्पाद शुल्क | 44i | | | |
| | ii | सेवा कर | 44ii | | | |
| | iii | मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर | 44iii | | | |
| | iv | उपकर | 44iv | | | |
| | v | केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) | 44v | | | |
| | vi | राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) | 44vi | | | |
| | vii | एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) | 44vii | | | |
| | viii | संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी) | 44viii | | | |
| | ix | कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है | 44ix | | | |
| | x | संदत्त या संदेय कुल दर और कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix) | | | 44x | |
| 45 | संपरीक्षा फीस | | | | 45 | |
| 46 | अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें) | | | | | |
| | i | | i | | | |
| | ii | | ii | | | |
| | iii | योग (i + ii) | | | 46iii | |
| 47 | डूबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए डूबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें) | | | | | |
| | (i1) | | | | 47i (1) | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------|------|------------|-------------|------------|-------|--|
| | (i2) | | | | | | | | | | | 47i (2) | | |
| | (i3) | | | | | | | | | | | 47i (3) | | |
| | पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है कुल (47i1+47i2+47i3) | | | | | | | | | | 47i | | | |
| | ii | जहाँ स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार उपलब्ध नहीं है, वहाँ अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) (नाम और पूरे पते का उल्लेख करें) | | | | | | | | | | 47ii | | |
| | क्र.सं. | नाम | फ्लैट/ द्वार/ ब्लॉक सं० | परिसर/ भवन/ ग्राम का नाम | सड़क / मार्ग/ डाक घर | क्षेत्र/ अवस्थान | कस्बा/ शहर/ जिला | राज्य | देश | पिन कोड | ज़िप कोड | रकम | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है | | | | | | | | | | | | | |
| | iii | अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम) | | | | | | | | | | 47iii | | |
| | iv | योग दूबन्त ऋण (47i + 47ii + 47iii) | | | | | | | | | | | 47iv | |
| | 48 | दूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध | | | | | | | | | | | 48 | |
| | 49 | अन्य उपबंध | | | | | | | | | | | 49 | |
| | 50 | ब्याज, अवक्षयण और करों से पहले लाभ [15 – (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)] | | | | | | | | | | | 50 | |
| | 51 | ब्याज | | | | | | | | | | | | |
| | i | किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में संदत्त | | | | | | | i | | | | | |
| | ii | अन्य को | | | | | | | ii | | | | | |
| | iii | योग (i + ii) | | | | | | | | | | | 51iii | |
| | 52 | अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण | | | | | | | | | | | 52 | |
| | 53 | करों से पहले शुद्ध लाभ (50 – 51iii – 52) | | | | | | | | | | | 53 | |
| कर और विनियोग के लिए उपबंध | 54 | वर्तमान कर के लिए उपबंध | | | | | | | | | | | 54 | |
| | 55 | आस्थगित कर के लिए उपबंध | | | | | | | | | | | 55 | |
| | 56 | कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55) | | | | | | | | | | | 56 | |
| | 57 | पूर्व वर्ष से अग्रणीत अतिशेष | | | | | | | | | | | 57 | |
| | 58 | विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57) | | | | | | | | | | | 58 | |
| | 59 | विनियोग | | | | | | | | | | | | |
| | i | आरक्षितियों और अधिशेष में अन्तरण | | | | | | | 59i | | | | | |
| | ii | प्रस्तावित लाभांश/अन्तरिम लाभांश | | | | | | | 59ii | | | | | |
| iii | लाभांश पर कर/पूर्वतर वर्षों के लिए लाभांश पर कर | | | | | | | 59iii | | | | | | |
| iv | कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर क्रियाकलापों के लिए विनियोग (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन आने वाली कंपनियों की दशा में) | | | | | | | 59iv | | | | | | |
| v | कोई अन्य विनियोग | | | | | | | 59v | | | | | | |
| vi | योग (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v) | | | | | | | 59vi | | | | | | |
| | 60 | तुलन पत्र में लिए गए अतिशेष (58 - 59vi) | | | | | | | | | | | 60 | |
| | 61 | क ऐसी मदें, जो लाभ और हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएंगी | | | | | | | | | | | | |
| | i | पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन | | | | | | | i | | | | | |
| | ii | परिभाषित फायदा योजनाओं का पुनःपरिमाणन | | | | | | | ii | | | | | |
| | iii | ओसीआई के माध्यम से साम्या लिखतें | | | | | | | iii | | | | | |
| | iv | एफवीपीटीएल में पदाभिहित वित्तीय दायित्वों के अपने ही जमा जोखिम से सम्बन्धित उचित मूल्य परिवर्तन | | | | | | | iv | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|--|-----|-----|--|
| | v | सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक अन्य व्यापक आय के अंश, जिन्हें लाभ और हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाना है | v | | 61क | |
| | | vi | अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें) | vi | | |
| | | vii | उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी | vii | | |
| | | viii | योग | | | |
| | ख | वे मदें, जो लाभ और हानि के पुनःवर्गीकृत की जाएंगी | | | 61ख | |
| | i | विदेशी प्रचालन की वित्तीय विवरणियों को परिवर्तित करने में विनिमय अंतर | i | | | |
| | | ii | ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखते | ii | | |
| | | iii | नकद प्रवाह नियंत्रण में नियंत्रणकारी लिखतों पर अभिलाओं और हानि का प्रभावी लाभ | iii | | |
| | | iv | सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक ओसीआई का अंश, जो लाभ और हानि में वर्गीकृत की जाए | iv | | |
| | | v | अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें) | v | | |
| vi | | उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत की जाएंगी | vi | | | |
| vii | | योग | | | | |
| 62 | कुल व्यापक आय (56 + 61A + 61B) | | | 62 | | |

भाग क- अन्य जानकारी

अन्य जानकारी (यदि धारा 44कख के अधीन दायी हो, तो आज्ञापक, अन्य के लिए, यदि लागू हो, भरें)

| | | | |
|--------------|--|---|---|
| अन्य जानकारी | 1 | पूर्व वर्ग में नियोजित लेखा पद्धति नकद | (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> वाणिज्य <input type="checkbox"/> |
| | 2 | यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है | (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | 3क | धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ XI(3)] | 3क |
| | 3ख | धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ XI(4)] | 3ख |
| | 4 | पूर्व वर्ग में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति (व्यवसायों के मामले में वैकल्पिक) | |
| | क | कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें) | <input type="checkbox"/> |
| | ख | तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें) | <input type="checkbox"/> |
| | ग | क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |
| | घ | धारा 145(2क) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी | 4घ |
| | ङ | धारा 145(2ख) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि | 4ङ |
| 5 | लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई रकम, जो-- | | |
| क | धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं | 5क | |

| | | | | |
|---|---|----|----|--|
| ख | प्रोफार्मा जमाओं, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर का प्रतिदाय या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां ऐसे प्रत्यय वापसी या प्रतिदाय सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा शोधय के रूप में स्वीकार की जाए | 5ख | | |
| ग | पूर्ववर्ग के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे | 5ग | | |
| घ | आय की कोई अन्य मद | 5घ | | |
| ङ | पूँजी प्राप्ति, यदि कोई हो | 5ङ | | |
| च | लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ) | | 5च | |
| 6 | सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें | | | |
| क | स्टाक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)] | 6क | | |
| ख | कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1) (i ख)] | 6ख | | |
| ग | किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)] | 6ग | | |
| घ | उधार ली गई पूँजी की बावत संदत्त ब्याज की कोई रकम [36(1)(iii)] | 6घ | | |
| ङ | जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iii क)] | 6ङ | | |
| च | किसी मान्यताप्राप्त भवि-य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)] | 6च | | |
| छ | अनुमोदित अधिवर्जिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)] | 6छ | | |
| ज | धारा 80 ग ग घ में निर्दिष्ट एक पेंशन स्कीम के लिए अभिदाय रकम [36(1)(iv क)] | 6ज | | |
| झ | मान्यताप्राप्त भवि-य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)] | 6झ | | |
| ञ | किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम | 6ञ | | |
| ट | नियत तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में जमा की गई सीमा तक किसी भवि-य निधि या अधिवर्जिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि [36(1)(vi)] | 6ट | | |
| ठ | डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)] | 6ठ | | |
| ड | डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)] | 6ड | | |
| ढ | किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम [36(1)(viii)] | 6ढ | | |
| ण | कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय [36(1)(ix)] | 6ण | | |
| त | प्रतिभूति के संव्यवहार के संबंध में सदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारवार आय में सम्मिलित न किया हो [36(1) (xv)] | 6त | | |
| थ | धारा 145(2) [36(1)(xviii)] अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि के लिए चिन्हित | 6थ | | |
| द | कोई अन्य अनुज्ञेय | 6द | | |

| | | | | |
|---|-----|--|-----|--|
| | ध | धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ध) | 6ध | |
| | न | कंपनी द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (यदि कंपनी में मान्यताप्राप्त भविष्य निधि है तो आवश्यक) | | |
| | i | भारत में अभिनियोजित | i | |
| | ii | भारत के बाहर अभिनियोजित | ii | |
| | iii | कुल | iii | |
| 7 | | धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें | | |
| | क | पूंजी स्वरूप का व्यय | 7क | |
| | ख | व्यक्तिगत स्वरूप का व्यय | 7ख | |
| | ग | कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्ण या अन्य रूप से उपगत या किया गया व्यय न हो [37(1)] | 7ग | |
| | घ | किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(1)] | 7घ | |
| | ङ | तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय | 7ङ | |
| | च | कोई अन्य शास्ति या जुर्माना | 7च | |
| | छ | ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिनिद्ध है | 7छ | |
| | ज | कारपोरेट समाजिक दायित्व पर उपगत व्यय (सी.एस.आर.) | 7ज | |
| | झ | आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम | 7झ | |
| | ञ | धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम | 7ञ | |
| | ट | धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7 झ का योग) | 7 | |
| 8 | अ | धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम | | |
| | क | अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i) के अधीन अननुज्ञेय रकम | अक | |
| | ख | अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क(i) के अधीन अननुज्ञेय रकम | अख | |
| | ग | वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(iख) के अधीन अननुज्ञेय रकम | अग | |
| | घ | अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क(iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम | अघ | |
| | ङ | लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम 40 क(ii) | अङ | |
| | च | धनकर के रूप में संदत्त रकम 40 क(ii क) | अच | |
| | छ | धारा 40 क(ii ख) के अनुसार स्वामित्व अनुज्ञप्ति फीस सेवा फीस आदि के रूप में संदत्त रकम | अछ | |
| | ज | व्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, अथवा धारा [40(ख)/ 40(खक)] के अंतर्गत स्वीकार्य किसी सहभागी अथवा सदस्य को भुगतान किए गए पारिश्रमिक की राशि | अज | |
| | झ | कोई अन्य अननुज्ञेय | अझ | |
| | ञ | धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग) | 8अञ | |
| | आ | किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अननुज्ञेय रकम | 8आ | |
| 9 | | धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें | | |
| | क | धारा 40क(2) (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें | 9क | |
| | ख | धारा 40क(3) के अंतर्गत अस्वीकृति योग पाने वाले के खाते में देय बैंक अथवा पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के जरिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का प्रयोग करके अथवा ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भिन्न अदा की गई राशि जिसे विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। | 9ख | |

| | | | | |
|----|---|---|------|--|
| | ग | उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क(7)] | 9ग | |
| | घ | किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारित द्वारा संदत्त कोई राशि [40 क(9)] | 9घ | |
| | ङ | कोई अन्य अननुज्ञेय | 9ङ | |
| | च | धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (9क से 9ङ का योग) | 9च | |
| 10 | किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ती के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम | | | |
| | क | किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि | 10क | |
| | ख | कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भवि-य निधि या अधिवा-की निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि | 10ख | |
| | ग | किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि | 10ग | |
| | घ | किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि | 10घ | |
| | घक | किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऐसे वर्ग से जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ऐसे ऋण या उधार को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि | 10घक | |
| | ङ | प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि | 10ङ | |
| | च | छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम | 10च | |
| | छ | रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि | 10छ | |
| | ज | सुधम, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आने वाले किसी सुधम या लघु उद्यम के लिए संदेय रकम | 10ज | |
| | झ | धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10ज का योग) | 10झ | |
| 11 | पूर्व वर्ष के लाभ-हानि लेखे में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम | | | |
| | क | किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि | 11क | |
| | ख | कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भवि-य निधि या अधिवा-की निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि | 11ख | |
| | ग | किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि | 11ग | |
| | घ | किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि | 11घ | |
| | घक | किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऐसे वर्ग से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ऐसे ऋण या उधार को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि | 11घक | |
| | ङ | प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि | 11ङ | |
| | च | छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम | 11च | |
| | छ | रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि | 11छ | |

| | | | | | |
|----|---|---|-----|-----|--|
| | ज | सुधम, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आने वाले किसी सुधम या लघु उद्यम के लिए संदेय रकम | 11ज | | |
| | झ | धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग) | | 11झ | |
| 12 | | निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम | | | |
| | क | संघ उत्पाद शुल्क | 12क | | |
| | ख | सेवा कर | 12ख | | |
| | ग | मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर | 12ग | | |
| | घ | केन्द्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी) | 12घ | | |
| | ङ | राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी) | 12ङ | | |
| | च | एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी) | 12च | | |
| | छ | संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर (यूटीजीएसटी) | 12छ | | |
| | ज | कोई अन्य कर | 12ज | | |
| | झ | अधिशेष कुल रकम (12क से 12ज का योग) | | 12झ | |
| 13 | | धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें | | 13 | |
| 14 | | धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम | | 14 | |
| 15 | | लाभ-हानि लेखे में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम | | 15 | |
| 16 | | धारा 14 के अधीन अननुज्ञात व्यय की रकम | | 16 | |
| 17 | | क्या निर्धारिती धारा 92 गड. की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं [यदि हां, तो कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें] | | 17 | |

भाग क - मात्रात्मक ब्यौरे

मात्रात्मक ब्यौरे (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हो, तो आज्ञापक)

मात्रात्मक ब्यौरे

| | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|-----|--|
| (क) | | व्यवसायगत समुत्थान की दशा में | | |
| | 1 | आरंभिक स्टाक | 1 | |
| | 2 | पूर्व वर्ष के दौरान क्रय | 2 | |
| | 3 | पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय | 3 | |
| | 4 | अंतिम स्टाक | 4 | |
| | 5 | कमी/आधिक्य, यदि कोई हो | 5 | |
| (ख) | | विनिर्माण समुत्थान की दशा में | | |
| | 6 | कच्चा माल | | |
| | क | आरंभिक स्टाक | 6 क | |
| | ख | पूर्व वर्ष के दौरान क्रय | 6 ख | |
| | ग | पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग | 6 ग | |
| | घ | पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय | 6 घ | |
| | ङ | अंतिम स्टाक | 6 ङ | |
| | च | प्राप्त तैयार किए गए उत्पाद | 6 च | |
| | छ | प्राप्त का प्रतिशत | 6 छ | |
| | ज | कमी/आधिक्य, यदि कोई हो | 6 ज | |
| | 7 | तैयार उत्पाद/उपोत्पाद | | |
| | क | आरंभिक स्टाक | 7 क | |
| | ख | पूर्व वर्ष के दौरान क्रय | 7 ख | |
| | ग | पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा | 7 ग | |

| | | | |
|---|----------------------------|-----|--|
| घ | पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय | 7 घ | |
| ङ | अंतिम स्टाक | 7 ङ | |
| च | कमी/आधिक्य यदि कोई हो | 7 च | |

भाग क—ओ एल

समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता

| | | | | | | |
|---|---|--|-------|---|---|--|
| समापन के अधीन कम्पनी की प्राप्तियां और संदाय लेखा | 1 | आरम्भिक अतिशेष | | | | |
| | i | हाथ नकदी | 1i | | | |
| | ii | बैंक | 1ii | | | |
| | iii | कुल आरम्भिक अतिशेष | 1iii | | | |
| | 2 | प्राप्तियां | | | | |
| | i | ब्याज | 2i | | | |
| | ii | लाभांश | 2ii | | | |
| | iii | आस्तियों का विक्रय (कृपया प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें) | | | | |
| | क | | 2iiiक | | | |
| | ख | | 2iiiख | | | |
| | ग | | 2iiiग | | | |
| | घ | कुल (iiiक + iiiख + iiiग) | 2iiiघ | | | |
| | iv | देय/ऋणी का वसूल करना | 2iv | | | |
| | v | अन्य (कृपया बताएं क्या राजस्व/पूँजीगत/प्रकृति एवं राशि) | | | | |
| | क | | 2vक | | | |
| | ख | | 2vख | | | |
| | ग | कुल अन्य प्राप्तियां (vक + vख) | 2vग | | | |
| | vi | कुल प्राप्तियां (2i + 2ii + 2iiiघ + 2iv + 2vग) | 2vi | | | |
| | 3 | कुल आरंभिक अतिशेष और प्राप्तियां | | | 3 | |
| | 4 | संदाय | | | | |
| | i | प्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय | 4i | | | |
| | ii | अप्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय | 4ii | | | |
| | iii | लेनदारों को प्रतिसंदाय | 4iii | | | |
| | iv | कमीशन | 4iv | | | |
| v | अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) | | | | | |
| क | | 4vक | | | | |
| ख | | 4vख | | | | |
| ग | अन्य संदायों का योग (4vक + 4vख) | 4vग | | | | |
| vi | कुल संदाय (4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4vग) | 4vi | | | | |
| 5 | अंत अतिशेष | | | | | |
| i | हाथ नकदी | 5i | | | | |
| ii | बैंक | 5ii | | | | |
| iii | कुल अंत अतिशेष (5i + 5ii) | 5iii | | | | |
| 6 | कुल अंत अतिशेष और संदाय (4vi + 5iii) | | | 6 | | |

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरे)

अनुसूची एच पी

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ट्राय डाउन का उपबंधित करें)

गृह संपत्ति

| | | | | | |
|----|---|---|----------------------------------|-----|--------------------|
| 1 | संपत्ति 1 का पता | नगर/ शहर | राज्य | देश | पिन कोड / ज़िप कोड |
| | क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें) | | | | |
| | संपत्ति में निर्धारित अंश की प्रतिशतता % | | | | |
| | सह स्वामी (स्वामियों) का नाम | सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्यांक/ आधार सं. | संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%) | | |
| I | | | | | |
| II | | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| /लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] | किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो) | किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें) | किराएदार(रों) का पैन/ टैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है) |
| | (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो | I | | |
| <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया | II | | |

| | | | |
|---|--|----|--|
| क | प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य | 1क | |
| ख | किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती | 1ख | |
| ग | स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर | 1ग | |
| घ | योग (1ख + 1ग) | 1घ | |
| ङ | वार्षिक मूल्य (1क - 1घ) | 1ङ | |
| च | स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ) | 1च | |
| छ | 1च का 30% | 1छ | |
| ज | उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज | 1ज | |
| झ | योग (1छ + 2ज) | 1झ | |
| ञ | वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया /वसूल न होने वाला किराया घटा 30% | 1ञ | |
| ट | गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ) | 1ट | |
| | (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक रूप से ब्यौरा भरे।) | | |
| 2 | आय/हानि के माध्यम से पास, यदि कोई हो* | 2 | |
| 3 | " गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 2अ का अंक लें) | 3 | |

टिप्पण ▶

यदि धारा 194अख के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार सं. प्रस्तुत करना आज्ञापक है।

यदि धारा 194-अ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है।

अनुसूची - बीपी

कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

कारबार या वृत्ति से आय

| अ | | सद्वृत्त के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति | | | |
|----|---|---|---|------|--|
| 1 | लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क - पी और एल की मद 53, 61(iii) और 62(ख) (भाग क-लाभ और हानि भारतीय लेखा मानकों के रूप में की मद 53) | | | 1 | |
| 2क | 1 में सम्मिलित सद्वृत्त के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में --चिह्न प्रवि-ट करें) | 2क | | | |
| 2ख | 1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -- चिह्न प्रवि-ट करें) | 2ख | | | |
| 3 | लाभ और हानि लेखा में जमा आय या पावती को आय के अन्य शीर्ष के अधीन या धारा 115खखच के अधीन या धारा 115खखछ के अधीन या धारा 115खखज के अधीन प्रभार्य समझा जाएगा | क | गृह संपत्ति | 3क | |
| | | ख | पूँजी अभिलाभ | 3ख | |
| | | ग | अन्य स्रोत | 3ग | |
| | | गा | लाभांश आय | 3गा | |
| | | गii | लाभांश आय से भिन्न | 3गii | |
| | | घ | 115खखच के | 3घ | |
| | | ङ | 115खखछ के अधीन अधीन | 3ङ | |
| | धारा 115खखज के अधीन अधिग्रहण की लागत (यदि कोई) | 3च | | | |
| 4क | 1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44ख/ 44खख/ 44खखक/ 44खखख/ 44कड/ 44घ/ 44घक/44घख/ अध्याय 12छ/ पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है (115ख से भिन्न) (ड्रॉपडाउन को उपबंधित करें) | 4क | | | |
| 4ख | धारा 115 में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ | 4ख | | | |
| 4ग | नियम 7, 7क, 7ख (1), 7ख (1क) और 8 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्रॉपडाउन को उपबंधित करें) | 4ग | | | |
| 5 | (1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है | | | | |
| | क | फार्म/ फार्मों से आय का अंश | 5क | | |
| | ख | एओपी/बीओए से आय के शेरर | 5ख | | |
| | ग | कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें) | | | |
| | i | | गii | | |
| | ii | | गiii | | |
| | iii | कुल (गा + गii) | 5गiii | | |
| | घ | कुल आय पर छूट (5क + 5ख + 5गiii) | 5घ | | |
| 6 | अतिशेष (1- 2क - 2ख - 3 क - 3ख - 3ग - 3घ - 3ङ - 3च - 4- 5घ) | | | 6 | |
| 7 | लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो धारा 115खखच के अधीन या धारा 115खखछ के अधीन या धारा 115खखज के अधीन आय से संबंधित है आय के अन्य शीर्ष के अधीन प्रभार्य समझा जाएगा | क | गृह संपत्ति | 7क | |
| | | ख | पूँजी अभिलाभ | 7ख | |
| | | ग | अन्य स्रोत | 7ग | |
| | | घ | 115खखच के अधीन | 7घ | |
| | | ङ | 115खखछ के अधीन अधीन | 7ङ | |
| | | च | धारा 115खखज के अधीन अधिग्रहण की लागत के अतिरिक्त (यदि कोई हो) | 7च | |

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 8क | लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो कर छूट से संबंधित है | 8क | |
| 8ख | लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय, जो आय छूट से सम्बन्धित हैं, धारा 14क (भाग क-ओआई का 16) के अधीन अननुज्ञात हैं | 8ख | |
| 9 | कुल (7क + 7ख + 7ग + 7घ + 7ङ + 7च + 8क + 8ख) | 9 | |
| 10 | समायोजित लाभ या हानि (6+9) | 10 | |
| 11 | लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और अपकरण | 11 | |
| 12 | आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण | | |
| | i धारा 32(1) ii) और धारा 32(1)(ii क) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6) | 12i | |
| | ii धारा 32(1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आय कर नियम की परिशि-ट 1 को निर्दि-ट करते हुए स्वयं अपनी संगणना करें) | 12ii | |
| | iii कुल (12i + 12ii) | 12iii | |
| 13 | अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 +11 - 12iii) | 13 | |
| 14 | धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क- ओआई का 6 ध) | 14 | |
| 15 | धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क- ओआई का 7ट) | 15 | |
| 16 | धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क- ओआई का 8कज) | 16 | |
| 17 | धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क- ओआई का 9 च) | 17 | |
| 18 | पूर्व वर्ग के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं (भाग क- ओआई का 11झ) | 18 | |
| 19 | सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज | 19 | |
| 20 | धारा 41 के अधीन समझी गई आय | 20 | |
| 21 | धारा 32कग/33कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक/35कखख/ 32कग/40क(3क) / 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन समझी गई आय | 21 | |
| 22 | धारा 43गक के अधीन समझी गई आय | 22 | |
| 23 | धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद | 23 | |
| 24 | लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अननुज्ञेय नहीं है (फर्मों से आय जिसमें कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन बोनस और ब्याज सहित आय) | 24 | |

| | | | |
|----|--|--------|--------------------------------------|
| 25 | आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में बढ़त या हानि में कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनुसूची 25 क- ओआइ का 4घ) | 25 | |
| 26 | कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25) | 26 | |
| 27 | धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती | 27 | |
| 28 | धारा 32कग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम | 28 | |
| 29 | लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 या 35 गगग या 35गगघ के अधीन अनुज्ञेय कटौती (अनुसूची इएसआर का मद 4 यदि धारा 35 गगग या 35गगघ के अधीन रकम लाभ और हानि लेखा की विकसित रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएगी) | 29 | |
| 30 | किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग क- ओआइ का 8ख) | 30 | |
| 31 | किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ग के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क- ओआइ का 10झ) | 31 | |
| 32 | कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम | 32 | |
| 33 | आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में कमी या हानि में बढ़त कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनुसूची | 33 | |
| 34 | कुल (27+28+29+30+31+32+33) | 34 | |
| 35 | आय (13+26-34) | 35 | |
| 36 | कारबार या वृत्ति के लाभ या हानि निम्नलिखित के अधीन समझी जाएगी - | | |
| | i धारा 44कड (अनुसूची लाभ और हानि की | 36i | |
| | ii धारा 44ख | 36ii | |
| | iii धारा 44खख | 36iii | |
| | iv धारा 44खखक | 36iv | |
| | v धारा 44खखख | 36v | |
| | vi धारा 44घ | 36vi | |
| | vii धारा 44घक | 36vii | (प्ररूप 3 ग.ड की मद 4) |
| | viii अध्याय-XII-छ (सकल भार) | 36viii | (प्ररूप 6 के मद 10 के स्तंभ 7 का कुल |
| | ix आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची (115ख से भिन्न) | 36ix | |
| | x कुल (36i से 36ix) | 36x | |
| 37 | सट्टे और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (36 + 36भ) | 37 | |
| 38 | नियम 7क, 7ख या 7ग 8 यदि लागू हों, लागू करने के पश्चात् सट्टे के कारबार या विनिर्दिष्ट व्यवसाय से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू नहीं है तो 35 की वही रकम यथाप्रविट करें (38क + 38ख + 38ग + 38घ + 38ड + 38च) | 38 | |
| | क नियम 7 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय | 38क | |
| | ख नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय | 38ख | |
| | ग नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय | 38ग | |
| | घ नियम 7ख(1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय | 38घ | |
| | ड नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय | 38ड | |
| | च नियम 7क, नियम 7ख और नियम 8 के अधीन (मद सं. 37) से भिन्न आय | 39च | |
| 39 | वित्त अधिनियम [4ग -(38क+38ख+38ग+38घ+38ड)] के अनुसार आय के संकलन के प्रयोजन के लिए नियम 7, नियम 7क, नियम 7ख(1), नियम 7ख(1क) और नियम 8 लागू करने के पश्चात् कृषि से प्राप्त हुई समझी गई आय का अतिशेष | 39 | |

| आ सट्टे के कारबार से आय की संगणना | | | | |
|---|--|--|-------------------|---------------------------------|
| 40 | लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि | 40 | | |
| 41 | धारा 28 से 44घख के अनुसार परिवर्धन | 41 | | |
| 42 | धारा 28 से 44घख के अनुसार कटौतियां | 42 | | |
| 43 | सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (40+ 41 - 42) (यदि हानि है तो अनुसूची सीएफएल का अंक | आ | | |
| ब धारा 35कघ के अधीन विनिर्दि-ट कारबार से आय की संगणना | | | | |
| 44 | लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दि-ट कारबार से कुल लाभ या हानि | 44 | | |
| 45 | धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार परिवर्धन | | | |
| 46 | धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार कटौतियां (धारा (i) 35कघ (i i)32 या 35 जिसमें धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया के अधीन कटौती से भिन्न) | 46 | | |
| 47 | विनिर्दि-ट कारबार से लाभ या हानि (44 + 45 - 46) | 47 | | |
| 48 | धारा 35कघ(1) के अनुसार कटौतियां | 48 | | |
| 49 | विनिर्दि-ट कारबार से लाभ या हानि (47 - 48) (यदि हानि हो तो अनुसूची सीएफएल का अंक | इ49 | | |
| 50 | धारा 35कघ की उपधारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड जो विनिर्दि-ट कारबार को सम्मिलित करते हैं (डॉप डाउन मेन्स से चयन करने के लिए) | इ50 | | |
| शुद्ध | लाभ और हानि शी-ई के अधीन प्रभार्य आय (अ38+आ43+ इ49) | शुद्ध | | |
| उ चालू वर्ग में कारबार हानि का अन्तःशीर्ष मुजरा | | | | |
| क्र. सं. | कारबार आय का प्रकार | चालू वर्ग की आय (इस स्तंभ को उसी दशा में भरें यदि अंक शून्य या सकारात्मक है) | कारबार हानि मुजरा | मुजरा पश्चात् बची हुई कारबार आय |
| | | (1) | (2) | (3) = (1) - (2) |
| i | हानि का मुजरा(इस पंक्ति को तभी भरें यदि अंक नकारात्मक है) | | (क38) | |
| ii | सट्टे के कारबार से आय | (ख43) | | |
| iii | विनिर्दि-ट कारबार से आय | (ग49) | | |
| iv | धारा 115 ख के अधीन जीवन बीमा व्यवसाय से आय | (4ख) | | |
| v | कुल हानि मुजरा (ii + iii) | | | |
| vi | मुजरा पश्चात् हानि (i - v) | | | |

अनुसूची - डीपीएम

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

| 1 | आस्तियों का ब्लाक | संयंत्र और मशीनरी | | | |
|---|---|-------------------|------|-------|------|
| | | 15 | 30 | 40 | 45 |
| 2 | दर (%) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| 3 | पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य | | | | |
| 4 | पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन | | | | |
| 5 | 3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन | | | | |
| 6 | रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें) | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 7 | पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन | | | | |
| 8 | 7 में से वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन | | | | |
| 9 | रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें) | | | | |
| 10 | पूरी दर से 6 पर अवक्षयण | | | | |
| 11 | आधी दर से 9 पर अवक्षयण | | | | |
| 12 | 4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो | | | | |
| 13 | 7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो | | | | |
| 14 | आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण | | | | |
| 15 | कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14) | | | | |
| 16 | आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण (स्तंभ 15 के बाहर) | | | | |
| 17 | शुद्ध सकल अवक्षयण (15-16) | | | | |
| 18 | अन्तरवर्तन,समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षरण (स्तंभ 17 के बाहर) | | | | |
| 19 | आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय | | | | |
| 20 | धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाम/हानि (5+8-3-4-7-19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है) | | | | |
| 21 | पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+9-15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें) | | | | |

अनुसूची डीओए, अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

| अन्य आस्तियों पर अवक्षयण | 1 | भूमि | भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है) | | | फनीचर और फिटिंग | अमूर्त आस्तियां | पोत |
|--------------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|------|-----------------|-----------------|-------|
| 2 | दर (%) | शून्य | 5 | 10 | 40 | 10 | 25 | 20 |
| | | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) |
| 3 | पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन | | | | | | | |
| 5 | 3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन | | | | | | | |
| 6 | रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें) | | | | | | | |
| 7 | पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन | | | | | | | |
| 8 | 7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन | | | | | | | |
| 9 | रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें) | | | | | | | |
| 10 | पूरी दर से 6 पर अवक्षयण | | | | | | | |
| 11 | आधी दर से 9 पर अवक्षयण | | | | | | | |
| 12 | कुल अवक्षयण। (10+11) | | | | | | | |
| 13 | आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण (स्तंभ 12 के बाहर) | | | | | | | |
| 14 | शुद्ध सकल अवक्षयण (12-13) | | | | | | | |
| 15 | अन्तरवर्तन,समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षरण (स्तंभ 14 के बाहर) | | | | | | | |
| 16 | आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय | | | | | | | |
| 17 | धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं) | | | | | | | |
| 18 | पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें) | | | | | | | |

| अनुसूची - डीईपी | | आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूँजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है) | |
|--|---|--|--|
| 1 | संयंत्र और मशीनरी | | |
| | क 15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i जैसा लागू है) | 1क | |
| | ख 30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii जैसा लागू है) | 1ख | |
| | ग 40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii जैसा लागू है) | 1ग | |
| | घ 45 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम-17iv अथवा 18iv जैसा लागू हो) | 1घ | |
| | ङ संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ) | 1ङ | |
| 2 | भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है) | | |
| | क 5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii जैसा लागू है) | 2क | |
| | ख 10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii जैसा लागू है) | 2ख | |
| | ग 40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv जैसा लागू है) | 2ग | |
| घ भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग) | 2घ | | |
| 3 | फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 14v या 15v जैसा लागू हो) | 3 | |
| 4 | अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi जैसा लागू हो) | 4 | |
| 5 | पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii जैसा लागू हो) | 5 | |
| 6 | कुल अवक्षयण (1ङ + 2घ + 3 + 4 + 5) | 6 | |

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार

अनुसूची - डीसीजी

अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर समझे गए पूंजी अभिलाभ

| | | | | |
|---|---|--|----|----|
| 1 | संयंत्र और मशीनरी | | | |
| | क | 15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20i) | 1क | |
| | ख | 30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20ii) | 1ख | |
| | ग | 40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20iii) | 1ग | |
| | घ | 45 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए हकदार पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-20iii) | 1घ | |
| | ड | कुल (1क+1ख+1ग + 1घ) | | 1ड |
| 2 | भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है) | | | |
| | क | 5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 17ii) | 2क | |
| | ख | 10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 17iii) | 2ख | |
| | ग | 40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 17iv) | 2ग | |
| | घ | योग (2क + 2ख + 2ग) | | 2घ |
| 3 | फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची घ ड क 17v) | | | 3 |
| 4 | अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 17vi) | | | 4 |
| 5 | पोत (अनुसूची घ ड क 17vii) | | | 5 |
| 6 | कुल (1ड + 2घ + 3 + 4 + 5) | | | 6 |

अनुसूची - इएसआर

वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या धारा 35 गगग या धारा 35 गगघ के अधीन कटौती)

| क्र.सं. | धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1) | लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2) | अनुज्ञेय कटौती की रकम (3) | लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक कटौती की रकम (4) = (3) - (2) |
|---------|---|--|------------------------------|---|
| i | 35(1)(i) | | | |
| ii | 35(1)(ii) | | | |
| iii | 35(1)(ii क) | | | |
| iv | 35(1)(iii) | | | |
| v | 35(1)(iv) | | | |
| vi | 35(2कक) | | | |
| vii | 35(2कख) | | | |
| viii | 35गगग | | | |
| ix | 35गगघ | | | |
| x | योग | | | |

टिप्पण ► यदि धारा 35(1)(ii) या धारा 35(1)(iik) या धारा 35(1)(iii) या धारा 35(2कक) के अधीन किसी कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची दक के अनुसार ब्यौरे दें

| अनुसूची-सीजी | | पूँजी अभिलाम | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---|---|---|---|-----------------------|--------------|-----------------------------------|---------|-------|
| क | लघु अवधि पूँजी अभिलाम | लघु अवधि पूँजी अभिलाम (एसटीसीजी) (उपमद 4 और उपमद 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है) | | | | | | | | |
| | | 1 | भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक रूप से ब्यौरे भरे)/सह-स्वामित्व की दशा में अपने पूँजी अभिलाम अंश प्रविष्ट करें | | | | | | | |
| | | क | i | प्राप्त/प्रायः प्रतिफल का पूरा मूल्य | | | | का | | |
| | | | | क्रय/अर्जन की तारीख | दिदि/मामा/वव | विक्रय अंतरण की तारीख | दिदि/मामा/वव | | | |
| | | | ii | स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य | | | | काii | | |
| | | | iii | पूँजी अभिलाम के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [यदि (काii) 1.10 गुणा (काi) से अधिक नहीं है तो इस आंकड़े को (काi) के रूप में लें या अन्यथा (काii) के रूप में लें] | | | | काiii | | |
| | | | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियाँ | | | | | | |
| | | | | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | | | | ख i | |
| | | | | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | | | | ख ii | |
| | | | | iii | पूर्णतया और अनन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय | | | | ख iii | |
| | | | | iv | योग (ख i + ख ii + ख iii) | | | | ख iv | |
| | | | | ग | अतिशेष काiii - ख iv) | | | | 1 ग | |
| | | | | घ | धारा 54 छ/54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद् घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) | | | | 1 घ | |
| | | | | ङ | स्थावर संपत्ति पर लघु अवधि पूँजी अभिलाम (1 ग - 1 घ) | | | | क 1 ङ | |
| | | | | च | स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (टिप्पण देखें) | | | | | |
| | | | क्र. सं. | क्रेता(क्रेताओं) के नाम | क्रेता(क्रेताओं) का पैन/ आधार सं. | शेयर प्रतिशत | रकम | संपत्ति का पता, देश कोड, ज़िप कोड | पिन कोड | राज्य |
| | | | | | | | | | | |
| | | | टिप्पण ▶ | यदि क्र धारा 194क के अधीन काटा गया है तो पैन/ देना अनिवार्य है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें | | | | | | |
| | | 2 | स्लम्प विक्री से | | | | | | | |
| | | | क | i | नियम 11प.क.ड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य | | | 2का | | |
| | | | | ii | नियम 11प.क.ड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य | | | 2काii | | |
| | | | | iii | प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम) | | | 2काiii | | |
| | | | ख | बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य | | | 2 ख | | | |
| | | | ग | स्लम्प की विक्री से लघु अवधि पूँजी अभिलाम (2काiii - 2 ख) | | | | | | क 2 ग |
| | | 3 | इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (विदेशी के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है | | | | | | | |
| | | | क | प्रतिफल का पूरा मूल्य | | | 3 क | | | |
| | | | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियाँ | | | | | | |
| | | | | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | | | ख i | | |
| | | | | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | | | ख ii | | |
| | | | | iii | पूर्णतया या अनन्यतः अंतरण से संबंधित व्यय | | | ग iii | | |
| | | | | iv | योग(i + ii + iii) | | | ख iv | | |
| | | | ग | शे- (3 क - ख iv) | | | 3 ग | | | |
| | | | घ | धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुसूच्य हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/वोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें) | | | 3 घ | | | |
| | | | ङ | साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूँजी अभिलाम (एसटीटी संदत्त) (3 ग +3 घ) | | | | | | क 3 ङ |
| | | 4 | अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांशों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समावोजन के साथ की जाएगी) | | | | | | | |
| | | | क | संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त किया गया है | | | | | | क 4 क |
| | | | ख | संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त नहीं किया गया है | | | | | | क 4 ख |
| | | 5 | अनिवासियों की दशा में धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न) | | | | | | | |
| | | | क | i | प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनों के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए:- | | | | | |
| | | | | क | कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य । | | | i क | | |
| | | | | ख | विहित सीते से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य | | | i ख | | |
| | | | | ग | पूँजी अभिलाम के उद्देश्य के लिए धारा 50 गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक) | | | i ग | | |
| | | | | ii | कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य | | | काii | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | | iii कुल (ग + ii) | क iii | |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटीतियां | | |
| | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | ख i | |
| | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | ख ii | |
| | iii | पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय | ख iii | |
| | iv | योग (i + ii + iii) | ख iv | |
| | ग | शेन (5 क iii- ख iv) | 5 ग | |
| | घ | धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें) | 5 घ | |
| | ङ | साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत) (3 ङ +3 च) | | क 5 ङ |
| 6 | पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से | | | |
| | क | i आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:- | | |
| | | क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य । | क | |
| | | ख विहित सति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित वाजार मूल्य | ख | |
| | | ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक) | ग | |
| | | ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य | कां | |
| | | iii कुल (ग + ii) | क iii | |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटीतियां | | |
| | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | ख i | |
| | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | ख ii | |
| | iii | पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय | ख iii | |
| | iv | योग (i + ii + iii) | ख iv | |
| | ग | शेन (6 क iii - ख iv) | 6 ग | |
| | घ | धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें) | 6 घ | |
| | ङ | अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजीका 6) | 6 ङ | |
| | च | धारा 54 छ/54 छक के अधीन कटीती | 6 च | |
| | छ | पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसी जी (6 ग+6 घ +6 ङ+6 च) | | क 6छ |
| 7 | अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि | | | |
| | क | क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं | | |
| | क्रम सं. | पूर्व वर्ग में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं | वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में कटीती का दावा किया गया है | नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं |
| | i | 2020-21 | 54छ/54छक | नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि |
| | ii | 2021-22 | 54छ/54छक | |
| | iii | 2022-23 | 54छ/54छक | |
| | ख | धारा 54 ख /54 घ /54 छ / 54 छ क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि | | |
| | | धारा (xi+xi+xi+xi)लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि | | |
| | | | | क7 |
| 8 | अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए प्राप्त (अनुसूची पीटीआई भरें) (क,क+ क,ख+क,ग) | | | |
| | क | 15%की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास | | क8क |
| | ख | 30% की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास | | क8ख |
| | ग | लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास | | क8ग |
| 9 | एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार भारत में दावाकृत कर प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभार्य है: | | | |
| | क्रम सं. | आय की राशि | उपरोक्त पद सं. का से क8 जिसमें सम्मिलित है | देश का नाम और कोड |
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| | i | | | |
| | | | | डीटीए की धारा |
| | | | | संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो शून्य लिखें) |
| | | | | क्या टीआरसी प्राप्त है (हाँ/नहीं) |
| | | | | आयकर अधिनियम की धारा |
| | | | | आयकर अधिनियम के अनुसार दर |
| | | | | लागू दर (6) या(9)] |
| | | | | (5) |
| | | | | (6) |
| | | | | (7) |
| | | | | (8) |
| | | | | (9) |
| | | | | (10) |

| | | II | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--------------|-----|----------------------------------|---------|-------|--|--------|-------|------|--|
| | क | डीटीएए के अधीन भारत एसटीसीजी दावाकृत प्रभार्य कर की कुल राशि | | | | | | | | | | क9क | |
| | ख | डीटीएए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर दावाकृत कर से प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम | | | | | | | | | | क9ख | |
| | 10 | कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाम (क1 ड+ क2 ग+ क3 ड+ क4 क+ क4 ख+ क5 ड+ क6 छ+ क7 + क 8 - क9क) | | | | | | | | | | क 10 | |
| | ख | दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाम (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए उप-मद, 6, 7 और 8 लागू नहीं हैं) | | | | | | | | | | | |
| दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाम | 1 | भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथक रूप से भरें) | | | | | | | | | | | |
| | क | i | प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य | | | | | | | कां | | | |
| | | ii | स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य | | | | | | | कांii | | | |
| | | iii | पूजी अभिलाम के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [यदि (काii) 1.10 गुणा (का), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़ें को (का) के रूप में लें या अन्यथा (काii) लें] | | | | | | | कांiii | | | |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | | | | | | | | | | |
| | | i | अर्जन की लागत | | | | | | | ख i | | | |
| | | ii | सूचीकरण के साथ अर्जन की लागत | | | | | | | ख i क | | | |
| | | iii | सूचीकरण के साथ सुधार की लागत | | | | | | | ख iiख | | | |
| | | | (क) सुधार की लागत | | | | | | | | | | |
| | | | (ख) सुधार का वर्ष | | | | | | | | | | |
| | | | (ग) सूचीकरण के साथ सुधार की लागत | | | | | | | | | | |
| | | | मंक्ति जोड़ें | | | | | | | | | | |
| | | iii | पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय | | | | | | | ख iii | | | |
| | | iv | योग (ख i + ख ii + ख iii) | | | | | | | ख iv | | | |
| | ग | शेन (क iii - ख iv) | | | | | | | | | | 1 ग | |
| घ | धारा 54 घ / 54 डग/54 छ /54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) | | | | | | | | | | 1 घ | | |
| ङ | स्थावर संपत्ति पर दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाम (1 ग - 1 घ) | | | | | | | | | | ख 1 ड | | |
| च | अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (कृपया टिप्पण दें) | | | | | | | | | | | | |
| | क्र. सं. | क्रेता(क्रेताओं) के नाम | क्रेता(क्रेताओं) का पैन / आधार नं. | शेयर प्रतिशत | रकम | संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड | पिन कोड | राज्य | | | | | |
| | टिप्पण ▶ | यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैन/आधार नं देना अनिवार्य है । एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें । | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|-------|--|
| 2 | स्लम्य विक्री से | | | | | | | | | | | |
| क | i | नियम 11 प.क.ड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य | | | | | | | 2कां | | | |
| | ii | नियम 11 प.क.ड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य | | | | | | | 2कांii | | | |
| | iii | प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम) | | | | | | | 2कांiii | | | |
| ख | बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य | | | | | | | | | | 2 ख | |
| ग | शेन (2कांiii - 2 ख) | | | | | | | | | | 2 ग | |
| घ | धारा 54 ड.ग के अंतर्गत कटौती | | | | | | | | | | 2 घ | |
| ङ | स्लम्य के विक्रय से दीर्घावधि पूंजी अभिलाम (2 ग-2 घ) | | | | | | | | | | ख 2 ड | |
| 3 | बंध पत्रों या डिबेंचरों विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न) | | | | | | | | | | | |
| क | प्रतिफल का पूरा मूल्य | | | | | | | | | | 3क | |
| ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | | | | | | | | | | |
| | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | | | | | | | ख i | | | |
| | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | | | | | | | ख ii | | | |
| | iii | पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय | | | | | | | ख iii | | | |
| | iv | योग (ख i + ख ii + ख iii) | | | | | | | ख iv | | | |
| ग | एलटीसीजी बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाम (3क - 3 ख iv) | | | | | | | | | | ख 3 ग | |
| 4 | सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्रों के विक्रय से जहां धारा 112(1)के अधीन परंतुक लागू होता है। | | | | | | | | | | | |
| क | प्रतिफल का पूरा मूल्य | | | | | | | | | | 4क | |
| ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | | | | | | | | | | |
| | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | | | | | | | ख i | | | |
| | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | | | | | | | ख ii | | | |
| | iii | पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय | | | | | | | ख iii | | | |

| | | | | |
|---|----|---|-------|-------|
| | iv | योग (ख i + ख ii + ख iii) | ख iv | |
| | ग | पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ ख4 (4क - 4 ख iv) | | ख 4 ग |
| 5 | | किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारवार न्यास की ईकाई में जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है | | |
| | | उपरोक्त ख5 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की विक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची 112क का कॉलम 14) | | ख5 |
| 6 | | अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा) | | |
| | | सूचकांक (इंडेक्सेशन) लाभ के बिना संगणित शेयर अथवा डिबेंचर पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ | | ख 6 |
| 7 | | अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से (धारा 112 क में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 मरा जाएगा) | | |
| | क | i प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:- | | |
| | | क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य | i क | |
| | | ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य | i ख | |
| | | ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक) | i ग | |
| | | ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य | क ii | |
| | | iii कुल (iग + ii) | क iii | |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | |
| | | i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | ख i | |
| | | ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | ख ii | |
| | | iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय | ख iii | |
| | | iv योग (ख i + ख ii + ख iii) | ख iv | |
| | ग | अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (क iii - ख iv) | | ख7ग |

| | | | | |
|---|--|--|--|----|
| 8 | | अनिवासियों के लिए किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारवार न्यास की ईकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है | | |
| | | उपरोक्त ख8 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की विक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ (अधिसूचना 115कघ(1)(ख)(iii) का कॉलम 14 | | ख8 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 9 | | आस्तियों के विक्रय से जहां ऊपर ख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं | | |
|---|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | क | i आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:- | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|----|---|---|-------|-----|
| | | क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा | | |
| | | ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य | | |
| | | ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक) | i ग | |
| | | ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य | | |
| | | iii कुल (iग + ii) | क iii | |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | |
| | | i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | ख i | |
| | | ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | ख ii | |
| | | iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय | ख iii | |
| | | iv योग (ख i + ख ii + ख iii) | ख iv | |
| | ग | शे-न (9 क iii - खiv) | | 9 ग |
| | घ | धारा 54घ/धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरा विनिर्दिष्ट करें) | | 9 घ |
| | ङ | ऊपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (9ग - 9घ) | | ख 9 |
| 10 | | दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि | | |
| | क | क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लानी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? | | |
| | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं | | |

| क्रम सं. | पूर्व वा में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है | वह धारा जिसके अधीन उस वा में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है। | नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है | | नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (X) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि | |
|----------|---|---|--|---|---|---------|
| | | | पूर्व वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है | पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि | | |
| i | 2020-21 | 54घ/54छ/54छक | | | | |
| ii | 2021-22 | 54घ/54छ/54छक | | | | |
| iii | 2022-23 | 54घ/54छ/54छक | | | | |
| ख | क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि | | | | | |
| | दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (Xi+Xii+Xiii+ख) | | | | | ख1 0 |
| 11 | दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें)(ख12क1+ख12क2 + ख12ख) | | | | | ख1 |
| क1 | धारा 112क के अंतर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास | | | | ख11क1 | |
| क2 | धारा 112क को छोड़कर 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास | | | | ख11क2 | |
| ख | दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ के रूप में पास श्रु आय 20 प्रतिशत की दर से प्रभार्य | | | | ख 11ख | |
| 12 | एलटीसीजी की रकम जो ख1-ख11 में सम्मिलित है परंतु डीटीएए के अनुसार भारत में दावाकृत कर प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभार्य है: (अनुसूची एसआई को लिया जाना है) | | | | | |

| क्रम सं. | आय की राशि | उपरोक्त पद सं. ख 1 से ख 11 जिसमें सम्मिलित है | देश का नाम और कोड | डीटीएए की धारा | संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो शून्य लिखें) | क्या टीआरसी प्राप्त है (हाँ/नहीं) | आयकर अधिनियम की धारा | आयकर अधिनियम के अनुसार दर | लागू दर (6) या(9) | |
|----------|--|---|-------------------|----------------|--|------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| I | | | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | | | |
| क | डीटीएए के अधीन दावाकृत एलटीसीजी कर प्रभार्य नहीं है की कुल राशि | | | | | | | | | ख 12 क |
| ख | डीटीएए के अनुसार भारत में दावाकृत विशेष दर पर कर प्रभार्य एलटीसीजी की कुल राशि | | | | | | | | | ख 12 ख |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 13 | कुल दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (ख 1ड + ख 2ड + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8घ - ख9ड + ख 10 + ख 11 - ख12क) (यदि क्षति हो तो ख13 को शून्य के रूप में लें) | | | | | | | | ख 13 |
| ग1 | पूंजीगत लाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की पूंजीगत लाभ राशि (क10 + ख13) (यदि हानि तो ख13 को शून्य लिखें) | | | | | | | | ग1 |
| ग2 | आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (अनुसूची वी.डी.ए के स्तंभ 7 में समस्त सकारात्मक आय की राशि) | | | | | | | | ग2 |
| ग3 | “पूंजीगत लाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (ग1+ग2) | | | | | | | | ग3 |
| घ | पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती की जानकारी | | | | | | | | |
| 1 | धारा 54घ / धारा 54डग/ धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दें। | | | | | | | | |

| क | धारा 54 घ के अधीन दावाकृत कटौती | | |
|-----|---|--------------|------------------|
| i | मूल अस्ति के अर्जन की तारीख | क i | दिन/मास/वर्ष |
| ii | औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि/भवन के क्रय/निर्माण की लागत | क ii | |
| iii | नए भूमि या भवन के क्रय की तारीख | क iii | दिन/मास/वर्ष |
| iv | नियत तारीख से पहले पूंजी अभिलाभ योजना में जमा राशि | क iv | |
| ivक | जमा करने की तारीख | ivख खाता सं. | ivग आई एफ एस कोड |
| v | दावाकृत कटौती की राशि | क v | |
| ख | धारा 54 ड ग के अधीन दावाकृत कटौती | | |
| i | मूल अस्ति के स्थानांतरण की तारीख | ख i | दिन/मास/वर्ष |
| ii | विनिर्दिष्ट/अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम (पचास लाख से ज्यादा | ख ii | |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--------------|------------------|
| | iii | निवेश की तारीख | ख iii | दिन/मास/वर्ष |
| | iv | दावाकृत कटौती की राशि | ख iv | |
| ग | घारा 54 छ के अधीन दावाकृत कटौती | | | |
| | i | शहरी क्षेत्रसे मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख | ग i | दिन/मास/वर्ष |
| | ii | नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत | ग ii | |
| | iii | शहरी क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में खरीदी/बनाई गई आस्ति की तारीख | ग iii | दिन/मास/वर्ष |
| | iv | नियत तारीख के पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि | ग iv | |
| | ivक | जमा करने की तारीख | ivख खाता सं. | ivग आई एफ एस कोड |
| | v | दावाकृत कटौती की राशि | ग v | |
| घ | घारा 54 छक के अधीन दावाकृत कटौती | | | |
| | i | शहरी क्षेत्रसे मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख | घ i | दिन/मास/वर्ष |
| | ii | नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत | घ ii | |
| | iii | एसईजेड में नई आस्ति के क्रय निर्माण की तारीख | घ iii | दिन/मास/वर्ष |
| | iv | नियत तारीख के पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि | घ iv | |
| | ivक | जमा करने की तारीख | ivख खाता सं. | ivग आई एफ एस कोड |
| | v | दावाकृत कटौती की राशि | घ v | |
| ङ | कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ) | | | 1 ङ |

ङ पूंजी अभिलाभ चालू वर्ग की पूंजी हानि को चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (क9क तथा ख 121क में सम्मिलित राशि को छोड़कर जो डीटीएए के अंतर्गत प्रभाय नहीं है)

| क्र. सं. | पूंजी अभिलाभ का प्रकार | चालू वर्ग क अभिलाभ (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो) | मुजराई की गई पूंजी हानि | | | | मुजराई की गई दीर्घ अवधि पूंजी हानि | | | मुजराई के पश्चात चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ 7= 1-2-3-4-5-6) |
|----------|--|--|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|---|---|-----------|--|
| | | | 15% | 30% | लागू दर | डीटीएए दर | 10% | 20% | डीटीएए दर | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| i | मुजराई की जाने वाली हानि (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक नकारात्मक हो) | | (अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*) | अ5ड*+ * | (अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*) | अ9ख* | आ4ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8च*+ आ9ड*+ आ11क1*+आ11क2*) | (आ1ड*+ आ2ड*+ आ3ग*+ आ6ग*+ आ9ड*+ आ10*+ आ11ख*) | आ12ख | |
| ii | | 15% | (अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*) | | | | | | | |
| iii | लघु अवधि पूंजी अभिलाभ | 30% | अ5ड*+ अ8ख* | | | | | | | |
| iv | लागू दर | | (अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------|---|--|--|--|--|--|--|
| v | डीटीएए दर | अ9ख* | | | | | | | |
| vi | दीर्घ अवधि पूँजी हानि | 10% | आ4ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8च*+ आ9ड*+ आ11क1*+आ11क2*) | | | | | | |
| vii | | 20% | आ4ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8च*+ आ9ड*+ आ11क1*+आ11क2*) | | | | | | |
| viii | डीटीएए दर दर | आ12ख | | | | | | | |
| ix | मुजराई की गई कुल हानि (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii) | | | | | | | | |
| x | मुजराई के बाद शे-ग हानि (i – ix) | | | | | | | | |
| इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (अ1ड*) स्तंभ (अ1-अ8) में क्रमशः संग्रहित एसटीसीजी की वह रकम है जिसमें एसटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीएए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, घटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है। | | | | | | | | | |
| इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (अ1ड*) स्तंभ (अ1-अ8) में क्रमशः संग्रहित एलटीसीजी की वह रकम है जिसमें एलटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीएए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, घटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है। | | | | | | | | | |
| घपूँजी अभिलाभ के उद्भूत /प्राप्ति के वि-य में सूचना | | | | | | | | | |

| | पूँजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख | 15/6 तक (i) | 16/6 से 15/9 (ii) | 16/9 से 15/12 (iii) | 16/12 से 15/3 (iv) | 16/3 से 31/3 (v) |
|---|---|----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 15% की दर से प्रभाय अल्पकालिक अवधि पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो | | | | | |
| 2 | 30% की दर से प्रभाय अल्पकालिक अवधि पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो y. | | | | | |
| 3 | लागू दर से प्रभाय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5viii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो | | | | | |

| अनुसूची 115कघ(1)(ख)(iii) | | एक कंपनी में इक्विटी शेयर अथवा निधि उम्बूख इक्विटी की यूनिट अथवा विजनेस ट्रस्ट की यूनिट की विक्री से जिनपर धारा 112 क के अन्तर्गत एमटीटी अदा किया गया है। | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|------------------|---|--|--|--|------------------|---|--|
| क्रम | अर्जित शेयर/यूनिट | आईएस आईएन कोड | शेयर/यूनिट/ का नाम | शेयर यूनिटों की / संख्या | विक्री मूल्य प्रति शेयर/यूनिट/ | प्रतिफल का पूरा मूल्य :- यदि शेयर 31.01.2018वा उमसे पहले अर्जित किए गए हैं। (ल विक्री मूल्यकु) (4*5) यदि शेयर 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रतिष्ठ करें। | इंडेक्सेशन के विना अधिग्रहण की लागत अथवा 8 तरका उच्च 9 | अधिग्रहण की लागत | यदि दीर्घावधि परिसंपत्ति -2-01 से पूर्व 2018 अधिग्रहित की गई थी | 31 जनवरी को उचित 2018 बाजार मूल्य प्रति शेयर यूनिट | धारा 2 56 कग के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य 4 10 में | अनुसरण के संबंध में पूर्णतया तथा वशिषकर व्यव | कुल कटौतियां 3 7 | शेप(6-13)- आईटम 8 का एनटीसीजी शेड्यूल का आईटीआर 6 | |
| (कॉलम 1) | (कॉलम 1BEE) | (कॉलम 2) | (कॉलम 3) | (कॉलम 4) | (कॉलम 5) | (कॉलम 6) | (कॉलम 7) | (कॉलम 8) | (कॉलम 9) | (कॉलम 10) | (कॉलम 11) | (कॉलम 12) | (कॉलम 13) | (कॉलम 14) | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| पंक्तियां जोड़े | | | | | | | | | | | | | | | |
| योग | | | | | | | | | | | | | | | |

| अनुसूची वी.डी.ए आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (टिप्पण: प्रत्येक संव्यवहार का ब्यौरा भारा जाए जिसमें प्रत्येक 'अंतरण' एक संव्यवहार है।) | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|--|---|-----------------|--|
| क्रम सं. | अधिग्रहण की तारीख | अंतरण की तारीख | पूंजी अभिलाभ का प्रकार अल्पकालिक/ (दीर्घकालिक) | अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा 56(2)(x) के अधीन राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें। | प्राप्त प्रतिफल | आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आमहानि के मामले में) (शून्य दर्ज करें स्तंभ 6)– स्तंभ 5) |
| (स्तंभ 1) | (स्तंभ 2) | (स्तंभ 3) | (स्तंभ 4) | (स्तंभ 5) | (स्तंभ 6) | (स्तंभ 7) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| सम्मिलित पंक्तियां | | | | | | |
| क. कुल(स्तंभ 7 में कारबार आय की समस्त सकारात्मक आय की राशि) | | | | | | (अनुसूची सी जी का मद संसी 2) |
| ख. कुल (स्तंभ 7 में पूंजी अभिलाभ की समस्त सकारात्मक आय की राशि) | | | | | | |

अनुसूची-अन्य स्रोत

| | | | | | | |
|---|---|---|--|-------|------|--|
| 1 | सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ) | | | | 1 | |
| | क | लाभांश, सकल | | | 1क | |
| | i | (ii) के अतिरिक्त लाभांश आय | | | का | |
| | ii | धारा 2(22)(ड) के अधीन लाभांश आय | | | काii | |
| | ख | व्याज, सकल (खां + खाii + खाiii + खाiv + खv) | | | 1ख | |
| | i | वचत बैंक खाता | | खा | | |
| | ii | जमा राशि (बैंक/ डाकखाना/ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी) | | खाii | | |
| | iii | आय कर प्रतिदाय से | | खाiii | | |
| | iv | आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में | | खाiv | | |

| v | | अन्य | खv | | |
|------|---|---|--------|-------|--|
| ग | मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय | | | 1ग | |
| घ | धारा 56 (2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घा + घii + घiii + घiv + घv) | | | 1घ | |
| | i | प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य | घा | | |
| | ii | यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य | घii | | |
| | iii | यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य | घiii | | |
| | iv | प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य | घiv | | |
| | v | यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य | घv | | |
| 1ङ | कोई अन्य आय कृपया प्रकृति का उल्लेख करें | | | | |
| | क्रम सं | प्रकृति | | राशि | |
| | 1 | धारा 56(2)(xii) में निर्दिष्ट अनुसार पूर्व वर्ष के दौरान इकाई धारक द्वारा किसी कारबार न्यास से प्राप्त कोई विनिर्दिष्ट राशि। | | 1 | |
| | लाइन जोड़े | | | | |
| 2 | विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2का + 2 काii + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रम सं से 1) | | | 2 | |
| का | लाटरी वर्ग पहिली दौड़, कार्ड गेम इत्यादि की जीत के रूप में आय धारा 115खख | | | 2का | |
| काii | धारा 115खख के अधीन आनलाईन गेम जीतने के माध्यम से प्रभार्य आय | | | 2काii | |
| ख | धारा 115खख के अधीन प्रभार्य आय (खा + खii + खiii + खiv + खv + खvi) | | | 2ख | |
| | i | धारा 68 के अधीन उधार रोकड़ | खाi | | |
| | ii | धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान | खाii | | |
| | iii | धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि | खाiii | | |
| | iv | धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि | खाiv | | |
| | v | धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि | खv | | |
| | vi | धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम | खvi | | |
| ग | विशेष दर पर प्रभार्य कोई आय (ग i से गxiii का कुल योग) | | | 2ग | |
| | i | धारा 115 क(1)(क)(क) के परंतुक से भिन्न, धारा 115 क(1)(क)(i) के अधीन विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश | ग i | | |
| | ik | धारा 115 क(1)(क)(क) के परंतुक के अधीन प्रभार्य धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी इकाई से अनिवासी(गैर कंपनी) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश | ग ik | | |
| | ii | धारा 115 क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या विदेशी करेन्सी श्रृण पर भारतीय समुन्यान से प्राप्त ब्याज | ग ii | | |
| | iii | धारा 115 क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना श्रृण निधि से प्राप्त ब्याज | ग iii | | |
| | iv | धारा 115क(1)(क)(i)(कक) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज | ग iv | | |
| | v | धारा 115क(1)(क)(ii)(कक) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) के परंतुक @4% में निर्दिष्ट ब्याज | ग v | | |
| | vi | धारा 115क(1)(क)(ii)(कख) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठघ में निर्दिष्ट ब्याज | ग vi | | |
| | vii | धारा 115क(1)(क)(ii)(कग) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठखक में निर्दिष्ट वितरित आय जो ब्याज है | ग vii | | |
| | viii | धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य यूटीआई की इकाई या धारा 10 (23घ) में विनिर्दिष्ट अन्य पारस्परिक निधि से आय | ग viii | | |
| | ix | धारा 115क(1)(ख)(क) तथा 115(1)(ख)(ख) सरकार या भारतीय समुन्यान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस से आय | ग ix | | |
| | x | धारा 115 कग के अधीन प्रभार्य अनिवासियों द्वारा ब्याज के रूप में या बाँण्डस या विदेशी करेन्सी में क्रय किया गये लाभांश से आय | ग x | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|--------------------------|-------------------|---|--|------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| | xi | धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय | | | | | ग xi | | | | | |
| | xii | पारिस्परिक निधि-115कख(1) के द्वारा विदेशी मुद्रा की इकाइयों की खरीद के संबंध में प्राप्त आय | | | | | ग xii | | | | | |
| | xiii | धारा 115 कघ (1)(i) के अधीन प्रभार्य प्रतिभूतियों (धारा 115 कख में निर्दिष्ट इकाइयों के सिवाय) के संबंध में एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त ब्याज के रूप में आय | | | | | ग xiii | | | | | |
| | xiv | धारा 115 कघ (1)(i) के परन्तुक के अनुसार प्रभार्य किसी एफ.आई.आई द्वारा बाण्ड पर या धारा 194 ठघ में निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज के रूप में आय | | | | | ग xiv | | | | | |
| | xv | धारा 115 खखक के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ी या खेल संगठनों पर कर | | | | | ग xv | | | | | |
| | xvi | धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य कतिपय मामलों में गुप्त दान | | | | | ग xvi | | | | | |
| | xvii | भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से रायल्टी के रूप में आय -धारा 115खखच के अधीन प्रभार्य | | | | | ग xvii | | | | | |
| | xviii | धारा 115 खखछ के अधीन प्रभार्य कार्बन क्रेडिट के अंतरण के द्वारा आय | | | | | ग xviii | | | | | |
| | Xix | रायल्टी से आय जहां करार 31.3.1961 से 31.3.1976 के मध्य और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क से आय जहां करार 29.2.1964 से 31.3.1976, के मध्य केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है . | | | | | | | | | | |
| | xx | धारा 115कघ(1)(i)के अधीन प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाइयों के अतिरिक्त एफ आई आई द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त) | | | | | गxx | | | | | |
| | xxi | धारा 115कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाइयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्राप्त लाभांश आय | | | | | गxxi | | | | | |
| | xxii | धारा 115कघ(1)(i)के अधीन प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाइयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त) | | | | | गxxii | | | | | |
| | घ | विशेष दरों पर दावाकृत प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय को प्रकृति में पास थ्रू आय (लॉप डाउन दिया जाए) | | | | | | | | | 2घ | |
| | ङ | डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर दावाकृत प्रभार्य है उपरोक्त 1 और 2 में सम्मिलित राशि (नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 का कुल योग) | | | | | | | | | 2ङ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | क्रम सं. | आय की रकम | मद सं.1क से 1घ, 2ग & 2घ में जो सम्मिलित है | देश का नाम और कूट | धनकक की मद | संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है) | क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां/नहीं) | आय-कर अधिनियम की धारा | आय-कर अधिनियम के अनुसार दर | लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर) | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | | |
| | I | | | | | | | | | | | |
| | II | | | | | | | | | | | |
| 3 | धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख, 2ग और 2घ के अधीन विशेष दर पर प्रभार्य आय से संबंधित कटौतियों के सिवाय अन्य कटौतियां | | | | | | | | | | | |
| | क | व्यय/ कटौतियां "ग" में इंदराज के अतिरिक्त | | | 3क | | | | | | | |
| | ख | अवकाश (तभी उपलब्ध यदि आय 1 ग में प्रस्तुत की गई) | | | 3ख | | | | | | | |
| | ग | धारा 57(1) के अधीन लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल तभी) | | | 3ग | | | | | | | |
| | गां | धारा 57(i) के अधीन योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि | | | 3गां | | | | | | | |
| | घ | योग | | | 3घ | | | | | | | |
| 4 | धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम | | | | | | | | | 4 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 5 | धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ | | | | 5 | | |
| 6 | सामान्य लागू दर (1 (डीटीएए हिस्से से संबंधित आय कम करने के बाद - 3 + 4 + 5) पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से शुद्ध आय (यदि नकारात्मक है तो सीवाईएलए अनुसूची के 3 x में अंकों को रखें) | | | | 6 | | |
| 7 | अन्य स्त्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें) | | | | 7 | | |
| 8 | धुड़ दौड़ के स्वामियों के क्रियाकलापों से आय। | | | | | | |
| | क | प्राप्तियां | 8क | | | | |
| | ख | केवल 8क की प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां | 8ख | | | | |
| | ग | धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम | 8ग | | | | |
| | घ | धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ | 8घ | | | | |
| | ङ | अतिशो (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 11xvii के अंक प्रविष्टि करे) | | 8ङ | | | |
| 9 | “अन्य स्त्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें) | | | | 9 | | |
| 10 | अन्य स्त्रोतों से आय की प्रोद्घन/प्राप्ति के बारे में जानकारी | | | | | | |
| | क्र.सं. | अन्य स्त्रोतों से आय | 15/6 तक | 16/6 से 15/9 तक | 16/9 से 15/12 तक | 16/12 से 15/3 तक | 16/3 से 31/3 तक |
| | | | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) |
| | 1 | धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लाटरी, वर्ग पहलियों दौड़, खेलों, घुत, शर्तो इत्यादि से जीती हुई राशि | | | | | |
| | 2 | धारा 115खखज के अधीन जीती हुई राशि के रूप में आय | | | | | |
| | 3 | क्रम सं. 1क(i) में संदर्भित लाभांश पर आय | | | | | |
| | 4 | धारा 115(1)(क)(अ) के परंतुक से भिन्न धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन 20% की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल) | | | | | |
| | 5 | धारा 115(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन 10% दर से लाभांश (पी टी आई आय शामिल) | | | | | |
| | 6 | धारा 115कग के अधीन 10% की दर से लाभांश आय | | | | | |
| | 7 | धारा 115कघ (1)(i) के अधीन किसी एफआईआई द्वारा 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश के रूप में आय (पी.टी.आई आय सहित) | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | धारा 115कघ (1)(i) के अधीन 10% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि से लाभांश के रूप में आय (पी.टी.आई आय सहित) | | | | | | |
| 9 | डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय | | | | | | |

अनुसूची सीवाईएलए

चालू वर्षों की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्योरे

| क्र.सं. | आय का शीर्ष/स्रोत | चालू वा की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है) | मुजरा की गई चालू वा की गृह संपत्ति हानि | मुजरा की गई चालू वा की कारबार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारबार की हानि से भिन्न) | अन्य स्रोतों से चालू वा के लिए मुजराई की गई हानि (दोड़ के घोड़ों से हानि और विशेष दर पर कर से प्रभार्य रकम से भिन्न) | मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वा की आय |
|---------|---|--|---|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1-2-3-4 |
| i | हानि की मुजराई की जानी है (यदि आकड़े नकारात्मक हो तभी इस पंक्ति को भरें) | | (अनुसूची एच.पी का 3) | (अनुसूची बी.पी की मद च का 2) | (अनुसूची ओ.एस का 6) | |
| ii | गृह संपत्ति | (अनुसूची एच.पी का 3) | | | | |
| iii | बिजनेस धारा 115ख के अन्तर्गत जीवन बीमा बिजनेस से आय तथा सट्टा बिजनेस से आय तथा आय | (अनुसूची बी.पी का क 38) | | | | |
| iv | धारा 115ख के अन्तर्गत जीवन बीमा बिजनेस से आय | (बी.पी अनुसूची की मद ड का 3) | | | | |
| v | सट्टे से आय | (बी.पी अनुसूची की मद ड का 3ii) | | | | |
| vi | धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय | (बी.पी अनुसूची की मद ड का 3iii) | | | | |
| vii | 15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सी.जी की मद ड का 9ii) | | | | |
| viii | 30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सी.जी की मद ड का 9 iii) | | | | |
| ix | लामू दर पर कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सी.जी की मद ड का 9iv) | | | | |
| x | डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सी.जी की मद ड का 9v) | | | | |
| xi | 10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सी.जी की मद ड का 9vi) | | | | |
| xii | 20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सी.जी की मद ड का 9 vii) | | | | |
| xiii | डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सी.जी की मद ड का 9 viii) | | | | |

चालू वर्ष हानि समायाजन

| | | | | | | |
|-------|--|--------------------------|--|--|--|--|
| xiv | सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय | (अनुसूची ओ.एस की मद 6) | | | | |
| xv | दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व रखने और उनके पोषण करने से लाभ | (अनुसूची ओ.एस की मद 8ड) | | | | |
| xvi | डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय | (अनुसूची ओ.एस की मद 2 च) | | | | |
| xvii | मुजरा की गई कुल हानि | | | | | |
| xviii | मुजरे के पश्चात् शेष हानि (i - xvii) | | | | | |

अनुसूची-बीएफएलए

पूर्व वर्षों की अग्रनीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के ब्यौरे

| क्र.सं. | आय का शीर्ष/स्रोत | अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् आय | मुजरा की गई अग्रनीत हानि | मुजरा किया गया अग्रनीत अवक्षयण | मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रनीत मोक (रिबेट) | मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ष की आय |
|---------|--|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| i | गृह संपत्ति | (अनुसूची सीवाईएलए का 5ii) | (ख यदि गृह संपत्ति से हानि है) | | | |
| ii | विजनेस (बीमा विजनेस सट्टा विजनेस से आय तथा विनिर्दिष्ट विजनेस से आय को छोड़कर) | (अनुसूची सीवाईएलए का 5iii) | (ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है) (टिप्पण : मुजरा की गई अग्रनीत हानि धारा 44खख और धारा 44खखख के अधीन आय को छोड़कर कारबार आय तक सीमित रहेगी) | (टिप्पण : मुजरा की गई अग्रनीत अवक्षयण धारा 44खख और धारा 44खखख के अधीन आय को छोड़कर कारबार आय तक सीमित रहेगी) | | |
| iii | धारा 115 ख के अधीन जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ | (अनुसूची सीवाईएलए का 5iv) | (ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है) | | | |
| iv | सट्टे से आय | (अनुसूची सीवाईएलए का 5v) | (ख यदि सट्टेबाजी से हानि है) | | | |
| v | विनिर्दिष्ट कारबार आय | (अनुसूची सीवाईएलए का 5vi) | (ख विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है) | | | |
| vi | 15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीवाईएलए का 5 vii) | (ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है) | | | |
| vii | 30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii) | (ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है) | | | |
| viii | लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix) | (ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है) | | | |
| ix | डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीवाईएलए का 5 x) | (ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है) | | | |
| x | 10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीवाईएलए का 5xi) | (ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है) | | | |
| xi | 20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीवाईएलए का 5xii) | (ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है) | | | |

अग्रनीत हानि समायोजन

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|
| xv | पूर्ववर्ष की हानियों का योग ख/ च | | | | | | | | | |
| xvi | अनुसूची बीएफएलए में उपरोक्त हानियों का समायोजन | (अनुसूची बीएफएलए का 2i) | (अनुसूची बीएफएलए का 2ii) | (अनुसूची बीएफएलए का 2iv) | (अनुसूची बीएफएलए का 2v) | (अनुसूची बीएफएलए का 2iii) | | | | (अनुसूची बीएफएलए का 2xii) |
| xvii | 2024-25 चालू वर्ष की हानियाँ | (अनुसूची सीवाईएलए का 2xiv) | (अनुसूची सीवाईएलए का 3xviii) | (अनुसूची बीएफ का ख43, यदि -vड) | (अनुसूची बीएफ का ग49, यदि -vड) | अनुसूची बीपी का 4ख (यदि -vड) | (अनुसूची सीजी की मद ड का 24+34+44) | अनुसूची सीजी की मद ड का (64+74) | | (अनुसूची ओएस का 8ड यदि -vड) |
| xviii | यूनिट धाराकों के मध्य चालू वर्ष हानि वितरित(निवेश निधि के लिए लागू) | | | | | | | | | |
| xix | चालू वर्ष की हानियाँ अग्रनीत (xvii-xviii) | | | | | | | | | |
| xx | भावी वर्षों को अग्रनयन की गई कुल हानि (xv - xvi + xix) | | | | | | | | | |

अनुसूची -अनामेलित अवक्षयण

धारा 35(4) के अधीन अमामेलित अवक्षयण और भत्ते

| क्र.सं. | निर्धारण वर्ष | अवक्षयण | | | धारा 35(4) के अधीन भत्ते | | |
|---------|--------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | | अग्रनीत अनामेलित अवक्षयण की रकम | चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम | अगले वर्ष के लिए अग्रनीत शे-1 रकम | अग्रनीत अमामेलित भत्ते की रकम | चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए भत्ते की रकम | अगले वर्ष के लिए अग्रनीत शे-1 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| i | चालू निर्धारण वर्ष | | | | | | |
| ii | | | | | | | |
| iii | योग | | (बीएफएलए का 3xvi) | | | (बीएफएलए का 4xvi) | |

अनुसूची आ.स.प्र.मा.

लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव

| क्रम.सं. | आ.स.प्र.मा. | लाभ में वृद्धि (रू.) | लाभ में कमी (रू.) | शुद्ध प्रभाव (रू.) |
|----------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| i | लेखा नीति | | | |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| II | तालिकाओं का मूल्यांकन (145 क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क-ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथक रूप से सूचित किया गया है) | | | |
| III | संनिर्माण संविदाएं | | | |
| IV | राजस्व मान्यता | | | |
| V | मूर्त नियत आस्तियां | | | |
| VI | विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन | | | |
| VII | सरकारी अनुदान | | | |
| VIII | प्रतिभूतियां (145 क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क-ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथक रूप से सूचित किया गया है) | | | |
| IX | उधार लेने की लागत | | | |
| X | समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था | | | |
| XI | लाभ पर आई सी डी एस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | | | |

| सूची-10कक | | धारा 10कक के अधीन कटौती | | |
|-------------------------|--|--|--|---|
| धारा 10कक के अधीन कटौती | विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती | | | |
| | क्र० सं० | उपक्रम | निर्धारण वर्ष जिसमें इकाई निर्माण/उत्पादन शुरू करती है | क्र० सं० रकम |
| | क | उपक्रम सं० 1 | | क (उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56च के उपाबंध अ का मद 17) |
| | ख | उपक्रम सं० 2 | | ख (उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56च के उपाबंध अ का मद 17) |
| | ग | धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां (क + ख) | | |

अनुसूची 80छ धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

| | | | | | | |
|---------------|---------------------|---|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| दान के ब्यौरे | क | बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान | | | | |
| | | आदाता का नाम और पता | आदाता का पैना | संदान की रकम | | संदान के लिए उपयुक्त रकम |
| | | | | नकद संदान | अन्य रीति से संदान | कुल संदान |
| | | i | | | | |
| | | ii | | | | |
| | | iii कुल | | | | |
| | ख | बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान | | | | |
| | आदाता का नाम और पता | आदाता का पैना | संदान की रकम | | संदान के लिए उपयुक्त रकम | |

| | | नकद संदान | अन्य रीति से संदान | कुल संदान | | |
|---|---|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| | i | | | | | |
| | ii | | | | | |
| | iii कुल | | | | | |
| ग | अर्हता सीमा के अध्याधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान | | | | | |
| | आदाता का नाम और पता | आदाता का पैना | संदान की रकम | | संदान के लिए उपयुक्त रकम | |
| | | | नकद संदान | अन्य रीति से संदान | कुल संदान | |
| | i | | | | | |
| | ii | | | | | |
| | iii कुल | | | | | |
| घ | अर्हता सीमा के अध्याधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान | | | | | |
| | आदाता का नाम और पता | आदाता का पैना | ए.आर.एन (संदान संदर्भ संख्या) | संदान की रकम | | संदान के लिए उपयुक्त रकम |
| | | | | नकद संदान | अन्य रीति से संदान | कुल संदान |
| | i | | | | | |
| | ii | | | | | |
| | iii कुल | | | | | |
| ङ | कुल संदान (कiii + खiii + गiii + घiii) | | | | | |

अनुसूची 80छछक

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान का ब्यौरा

| क.सं. | सुसंगत खंड जिसके अधीन अनुदान का दावा किया गया है (ड्राप डाउन दिया जाए) | संदान आदाता का नाम और पता | संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या | अनुदान की राशि | | | संदान की उपयुक्त राशि |
|-------|--|---------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | नकद संदान | अन्य रीति से संदान | कुल संदान | |
| | | | | | | | |
| i | | | | | | | |
| ii | | | | | | | |
| | कुल संदान | | | | | | |

| अनुसूची 80 छद्म | | राजनैतिक दलों को किए अभिदाय के व्यौरे | | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|---------------------|--|--------------------|
| क्र.सं. | तारीख | अभिदाय की रकम | | | अभिदाय की पात्र रकम | यू पी आई अंतरण की संव्यवहार संदर्भ संख्या या बैंक आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस संख्या | बैंक का आईएफसी कोड |
| | | नकद में अभिदाय | अन्य रीति में अभिदाय | कुल अभिदाय | | | |
| I | | | | | | | |
| | (पंक्तियां जोड़े) | | | | | | |
| | कुल अभिदाय | | | | | | |

| अनुसूची 80 अकग | | पात्र स्टार्ट-अप के संबंध में कटौती(केवल तब भरा जाए यदि क19(थ) का उत्तर हां है) | | | | |
|----------------|------------------------------|--|--|---|---|--|
| क्र.सं. | स्टार्ट-अप के निगमन की तारीख | कारबार की प्रकृति | अंतर-मंत्रालय प्रमाणीकरण बोर्ड से प्राप्त प्रमाण पत्र संख्या | पहली ए वाई जिसमें कटौती का दावा किया गया था | चालू ए वाई के लिए दावा की गई कटौती की रकम | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| | | | | | | |

| अनुसूची 80 ठक | | अपतट बैंककारी ईकाईयों या आईएफएससी के संबंध में कटौती | | | | | |
|--|----------------|--|--|-----------------------|---------------------|---|---|
| उपधारा जिसमें कटौती का दावा किया गया है। | | | | | | | |
| क्र.सं. | ईकाई का प्रकार | ईकाई की आय का प्रकार | रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाला प्राधिकारी | रजिस्ट्रीकरण की तारीख | रजिस्ट्रीकरण संख्या | पहली ए वाई जिसमें कटौती का दावा किया गया था | चालू ए वाई के लिए दावा की गई कटौती की रकम |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | |
| (पंक्तियां जोड़ने का विकल्प प्रदान किया जाए) | | | | | | | |
| कुल | | | | | | | |

अनुसूची आरए अनुसंधान संगम इत्यादि को संदान के व्यौरे [धारा 35(1)(ii) या 35(1)(ii) या 35(1)(iii) या 35(2कख) के अधीन कटौतियां]

| | संदान आदाता का नाम और पता | संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या | संदान की राशि | | | संदान की उपयुक्त राशि |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-----------|-----------------------|
| | | | नकद संदान | अन्य रीति से संदान | कुल संदान | |
| i | | | | | | |
| ii | | | | | | |
| iii | योग | | | | | |

अनुसूची 80-अक

धारा 80-अक के अधीन कटौतियां

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|----|--------------|-----------------------------------|
| धारा 80-अक के अधीन कटौतियां | क | धारा 80-अक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा) | क1 | उपक्रम सं0 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | | | क2 | उपक्रम सं0 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | ख | धारा 80-अक(4)(iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत) | ख1 | उपक्रम सं0 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | | | ख2 | उपक्रम सं0 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | ग | धारा 80-अक(4)(v) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरुज्जीवन) | ग1 | उपक्रम सं0 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| घ | धारा 80-अक के अधीन कुल कटौती (क 1 + क 2 + ख1 + ख2 + ग1) | | | | घ |

अनुसूची 80-अख

धारा 80-अख के अधीन कटौती

| | | | | | |
|---|---|-----|--------------|-----------------------------------|---|
| क | ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है [धारा80अख(9)] | क 1 | उपक्रम सं0 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | |
| | | क 2 | उपक्रम सं0 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | |
| ख | गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80अख(10)] | ख 1 | उपक्रम सं0 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | |
| | | ख 2 | उपक्रम सं0 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | |
| ग | फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80अख(11क)] | ग 1 | उपक्रम सं0 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | |
| | | ग 2 | उपक्रम सं0 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | |
| घ | अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80अख(11क)] | घ 1 | उपक्रम सं0 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | |
| | | घ 2 | उपक्रम सं0 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | |
| ङ | धारा 80अख के अधीन कुल कटौती (क1 से घ 2 का योग) | | | | ङ |

अनुसूची-80-अग या 80-अङ

धारा 80-अग या धारा 80अङ के अधीन कटौतियां

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|----|--------------|-----------------------------------|
| धारा 80-अग के अधीन कटौती | क | सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती | क1 | उपक्रम सं0 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | | | क2 | उपक्रम सं0 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | ख | हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती | ख1 | उपक्रम सं0 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | | | ख2 | उपक्रम सं0 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| ग | उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती | | | ग1 | उपक्रम सं0 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | | | | ग1 | उपक्रम सं0 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| घ | पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती | | | | | |
| घक | असम | घक1 | उपक्रम सं0 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | | |
| | | घक2 | उपक्रम सं0 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | | |
| घख | अरुणाचल प्रदेश | घख1 | उपक्रम सं0 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | | |
| | | घख2 | उपक्रम सं0 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | | |
| घग | मणिपुर | घग1 | उपक्रम सं0 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | | |
| | | घग2 | उपक्रम सं0 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | | |
| घघ | मिजोरम | घघ1 | उपक्रम सं0 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | | |
| | | घघ2 | उपक्रम सं0 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | | |
| घङ | मेघालय | घङ1 | उपक्रम सं0 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | | |
| | | घङ2 | उपक्रम सं0 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | | |
| घच | नागालैंड | घच1 | उपक्रम सं0 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | | |
| | | घच2 | उपक्रम सं0 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | | |
| घछ | त्रिपुरा | घछ1 | उपक्रम सं0 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | | |
| | | घछ2 | उपक्रम सं0 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | | |
| घज | पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (घक1 से घछ2 का योग) | | | घज | | |
| ङ | धारा 80झग या धारा 80झड के अधीन कुल कटौती (क+ घ + ग+घज) | | | ङ | | |

अनुसूची-VI-क

अध्याय VI-क के अधीन कटौतियां

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|------|-----------|---|
| कुल कटौतियां | 1 | भाग ख - कतिपय संदाय के बाबत कटौती | | | | |
| | क | 80छ | | ख | 80छख | |
| | ग | 80छक | | घ | 80छग | |
| | भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग + घ) | | | | 1 | |
| | 2 | भाग ग- कतिपय आय के बाबत कटौती | | | | |
| | ङ | 80झक | (अनुसूची 80झक का च) | च | 80झकख | |
| | छ | 80झकग | (अनुसूची 80झकग का 7) | ज | 80झकख | (अनुसूची 80झकख का ड) |
| | झ | 80झकख | | ञ | 80झग/ झड. | (अनुसूची 80-झग/80-झड का ड.) |
| | ट | 80जकक | | ठ | 80जकक | (प्ररूप 10 घक में अनुलग्नक में क्रम सं. 5I(अiv) +5II) |
| | ड | 80ठक(1) | (अनुसूची 80 ठक का 9) | ढ | 80ठक(1क) | (अनुसूची 80 ठक का 9) |
| ण | 80क- ई-फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार लाभांश वितरण का विवरण | | त | 80तक | | |
| भाग ग के अधीन कुल कटौती (कुल ड से त) | | | | 2 | | |
| 3 | अध्याय VI-क के अधीन कुल कटौतियां (1+2) | | | 3 | | |

अनुसूची एसआई

विशेष दर से प्रभाय आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश देखें)

| विशेष दर | क्र.सं | धारा /विवरण | ☑ | विशेष दर (%) | आय (i) | उस पर कर ii |
|----------|--------|-------------|---|--------------|--------|-------------|
|----------|--------|-------------|---|--------------|--------|-------------|

| | | | | |
|-----|---|---|-------|-------------------------------------|
| 1 | 111क अथवा 115कघ(1)(ख)(iii)- परन्तुक (एमएफ उन्मुख शेयर/इक्विटी पर एसटीसीजी जिन पर एसटीटी अदा किया गया है) | □ | 15 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5vi) |
| 2 | 115 कघ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ जहा एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है) | □ | 30 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5vii) |
| 3 | 112 परन्तुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी/यूनिट सूचीकर के बिना) | □ | 10 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x) |
| 4 | 112(1)(c)(iii) (गैर निवासियों पर अनुपयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी) | □ | 10 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x) |
| 5 | 115 कख (अनिवासियों के लिए धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाईयों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ) | □ | 10 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x) |
| 6 | 115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों /जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ) | □ | 10 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x) |
| 7 | 115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ) | □ | 10 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x) |
| 8 | 112 (अन्य पर एलटीसीजी) | □ | 20 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xi) |
| 9 | 112क (शेयरों अथवा यूनिटों की विक्री दर एलटीसीजी जिन पर एसटीटी अदा किया गया है अथवा धारा 115कघ (1)(ख)(iii)-परन्तुक | □ | 10 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x) |
| 10 | डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एसटीसीजी | □ | | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5ix) |
| 11 | डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एलटीसीजी | □ | | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5xii) |
| 12 | 115ख (जीवन बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ) | □ | 12.50 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5iii) |
| 13क | 115कग (विदेशी करसी में क्रय किए गए बंधपत्रों से प्राप्त ब्याज से अनिवासी की आय | □ | 10 | (अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग x) |
| 13ख | धारा 115कग के अधीन प्रभाय अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय | □ | 10 | (अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग xi) |
| 14 | 115 खख (लॉटरी, वगं पहिली, दौड़, खेल आदि से जीत) | □ | 30 | (अनुसूची ओ.एस का 2क) |
| 15 | 115खखज (ऑनलाइन खेलों से जीत) | □ | 30 | (अनुसूची ओ.एस का 2कख) |
| 16 | 115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर) | | | |
| | क कारबार या वृत्ति से आय | □ | 30 | (अनुसूची बी.पी का 3च) |
| | ख पूंजीगत लाभ शीर्ष के अधीन आय | □ | 30 | (अनुसूची सी.जी का ग2) |
| 17 | 115 खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या 69घ के अधीन आय | □ | 60 | (अनुसूची ओ.एस का 2ख) |
| 18 | 115क(1)(ख)(क) तथा 115क(1)(ख)(ख)(रायल्टी तथा तकनीकी सेवाओं हेतु फीस से विदेशी कंपनी की आय) | □ | 10 | (अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग xix) |
| 19 | 115खखघ (पेटेंट से आय पर कर) | | | |
| | क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय | □ | 10 | (अनुसूची बी.पी का 3घ) |
| | ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय | □ | 10 | (अनुसूची ओ.एस का 2ग xvii) |
| 20 | 115खखड (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर) | | | |
| | क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय | □ | 10 | (अनुसूची बी.पी का 3ड) |
| | ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय | □ | 10 | (अनुसूची ओ.एस का 2ग xviii) |
| 21 | डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय | □ | | (अनुसूची ओ.एस का 2ड का भाग) |
| 22 | 15 प्रतिशत की दर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थू आय | □ | 15 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5vi का भाग) |
| 23 | 30 प्रतिशत की दर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थू आय | □ | 30 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5vii का भाग) |
| 24 | 112क के अन्तर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास थू आय | □ | 10 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x का भाग) |
| 25 | 20 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थू आय | □ | 20 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xi का भाग) |
| 26 | धारा 112क से भिन्न 10 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास थू आय | □ | 10 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x का भाग) |
| 27 | विशेष दरों से प्रभाय अन्य स्रोतों की प्रकृति की पास थू आय (ई-फाइलिंग उपयोगिता में डाप डाउन प्रदान किया जाना है) | □ | | (अनुसूची ओ.एस का 2घ) |
| 28 | एक विदेशी (आफ शोर) निधि द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदी गई यूनिटों के बारे में प्राप्त की गई आय-115कख(1) | □ | 10 | (अनुसूची ओ.एस का 2ग x) |
| 29 | रायल्टी से आय जहां 31.3.1961 से 31.3.1976 के बीच करार किया गया और तकनीकी सेवाओं से फीस से आय जहां करार 29.2.1964 से 31.3.1976, के बीच किया गया और करार का केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। वित्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 का पैरा ड. II | □ | 50 | (अनुसूची ओ.एस का 2ग xix) |
| 30 | अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभाय होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में डाप-डाउन दिया जाएगा) | □ | | (अनुसूची ओ.एस का 2ग का भाग) |
| | | | योग | |

अनुसूची झ.च

अनिगमित संस्थाओं में निवेश के संबंध में सूचना

| संस्थाओं की संख्या जिसमें निवेश किया गया है | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------|------------------|----------------|--|---|--------------------------------|------------------|------------------------------------|
| संस्था जिसमें निवेश किया गया | क्रम सं. | संस्था का नाम | संस्था का प्रकार | संस्था का पैना | क्या संस्था परीक्षा के लिए उत्तरदायी है? (हां/नहीं) | क्या संस्था पर धारा 92ड लागू होती है? (हां/नहीं) | संस्था के लाभ में शेयर प्रतिशत | लाभ की शेयर राशि | संस्था में 31 मार्च को पूंजीगत शेष |
| | | | | | | | | i | ii |
| | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | कुल | | | | | | | |

अनुसूची-छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय के व्योरे (वह आय जो कुल आय में सम्मिलित नहीं है या कर से प्रभार्य नहीं है।)

| 1 | | व्याज से आय | | | | 1 | |
|----------------|---|--|--|--|---|-----|--|
| छूट प्राप्त आय | i | शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न) | | | | i | |
| | ii | कृषि पर उपगत व्यय | | | | ii | |
| | iii | पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेहित कृषि हानि | | | | iii | |
| | iv | नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) तथा 8 से संबंधित कृषि आय (अनुसूची बी.पी के क्रम सं. 39 से) | | | | iv | |
| | v | वर्ष (i-ii-iii+iv) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें) | | | | 2 | |
| | vi | यदि वर्ष के लिए कृषिगत आय 5 लाख रु. से अधिक है तो, कृपया निम्नलिखित व्योरे दीजिए (प्रत्येक कृषिगत भूमि के लिए अलग से व्योरा दीजिए) | | | | | |
| | क | जिला का नाम पिन कोड सहित, जहाँ कृषिगत भूमि है | | | | | |
| | ख | एकड़ में कृषिगत भूमि का नाम | | | | | |
| | ग | क्या कृषिगत भूमि का स्वामित्व रखते हैं या पट्टा पर ली है (ड्राप डाउन दिया जाए) | | | | | |
| | घ | क्या कृषिगत भूमि सिंचित है या वर्षा पर आश्रित है (ड्राप डाउन दिया जाए) | | | | | |
| 3 | अन्य छूट प्राप्त आय (कृपया उल्लेख करें) (3क+3ख+3ग+3घ) | | | | 3 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|--|----------|--|
| | क | धारा 10(23चख) अथवा 10(23चखक) या 10 (23चग) या 10(23चगक) या 10(23चक) या 10(23चच) या 10(4घ) के अधीन आय (कृपया प्ररूप दाखिल करने की तारीख तथा पावती संख्या का विवरण प्रदान करें (यदि 10(23चच तथा 10(4घ) के अधीन दावा किया गया है।) के अधीन ट्रापडाउन प्रदान करें तथा पंक्ति विकल्प शामिल करें। | | | | | 3क | | | |
| | ख | कोई अन्य आय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)- प्रदत्त आय की प्रकृति वर्णन करें। | | | | | 3ख | | | |
| 4 | डी.टी.ए.ए के अनुसार आय जो कर से दवाकृत प्रभार्य नहीं है | | | | | | | | | |
| | क्र.सं; | आय की राशि | आय की प्रकृति | देश का नाम और कोड | डीटीए का अनुच्छेद | आय का शीर्ष | क्या टीआरसी लिया गया है (हाँ/ना) | | | |
| | I | | | | | | | | | |
| | II | | | | | | | | | |
| | III | डीटीए से कुल आय जो कर से प्रभार्य नहीं है | | | | | | | 4 | |
| 5 | पास शु आय जो कर से दवाकृत प्रभार्य नहीं है (अनुसूची पीटीआई) | | | | | | | | 5 | |
| 6 | योग (1+2+3 +3 +4+5) | | | | | | | | 6 | |

अनुसूची पीटीआई

धारा 115क, 115ख के अनुसार कारवार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

| क्रम | धारा 115क/115ख में निवेशित | कारवार न्यास / विनिवेश निधि का नाम | कारवार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या | क्रम | आय का शीर्ष | चालू वर्ष आय | निवेश निधि वितरित चालू वर्ष हानि का शेर | निवल आय/हानि 9=7-8 | ऐसी रकम पर खोत पर कर कटौती यदि कोई हो | | |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------|---|------|-------------|-----------------|---|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | (1) | (2) |
| पास के माध्यम से आय | 1. | (ट्राप डाउन प्रदान किया जाएगा) | | | i | गृह संपत्ति | | | | | |
| | | | | | ii | पूँजी अभिलाभ | | | | | |
| | | | | | क | अल्पकालिक अवधि | | | | | |
| | | | | | का | धारा 111क | | | | | |
| | | | | | का। | अन्य | | | | | |
| | | | | | ख | दीर्घकालिक अवधि | | | | | |
| | | | | | खा | धारा 112 | | | | | |
| | | | | | ख। | धारा 112A | | | | | |
| | | | | | iii | अन्य खोत | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | क | लाभांश | | | | |
| | | | | | ख | अन्य | | | | |
| | | | | iv | दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी | | | | | |
| | | | | | क | धारा 10(23चखख) के अधीन | | | | |
| | | | | | ख | धाराके अधीन | | | | |
| | | | | | ग | धारा.....के अधीन | | | | |
| 2. | | | | i | गृह संपत्ति | | | | | |
| | | | | ii | पूजी अभिलाभ | | | | | |
| | | | | | क | अल्पकालिक अवधि | | | | |
| | | | | | का | धारा 111क | | | | |
| | | | | | काii | अन्य | | | | |
| | | | | | ख | दीर्घकालिक अवधि | | | | |
| | | | | | खा | धारा 112क | | | | |
| | | | | | खाii | धारा 112क से भिन्न | | | | |
| | | | | iii | अन्य स्रोत | | | | | |
| | | | | | क | लाभांश | | | | |
| | | | | | ख | अन्य | | | | |
| | | | | iv | दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी | | | | | |
| | | | | | क | धारा 10(23चखख) के अधीन | | | | |
| | | | | | ख | धाराके अधीन | | | | |
| | | | | | ग | धारा.....के अधीन | | | | |
| टिप्पण ▶ | | इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें । | | | | | | | | |

अनुसूची एमएटी

धारा 115अख के अधीन संदेय न्यूनतम बैकल्पिक कर की संगणना

| | | | | | |
|---------------------|---|---|----|--|--------------------------|
| न्यूनतम वैकल्पिक दर | 1 | क्या लाभ और हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के भाग 2 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें) | | | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | यदि 1 ना है तो क्या लाभ और हानि लेखा प्रकार की कम्पनी को शासित करने वाले अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें) | | | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | क्या ऊपर स्तंभ 7 में निर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा में, लाभ और हानि लेखा तैयार करने के लिए समान लेखा नीतियों, लेखा मानक का अनुपालन किया गया और अवक्षणय की संगणना करने के लिए दरों की समान पद्धति कंपनी वार्षिक साधारण निकाय बैठक में कंपनी के समक्ष अधिकथित तैयार लेखा के लिए भी अपनाई गई है ? (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें) | | | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | लाभ और हानि लेखा में यथादर्शित कर पश्चात् लाभ भाग क पी एंड एल की मद 56 प्रवि-ट करें)/(भाग क-पी एल आईएनडी ए एस की मद 56 में प्रविष्ट करें) (जो लागू हो) | 4 | | |
| | 5 | योग (यदि लाभ और हानि लेखा में विकलित है) | | | |
| | | क आस्थगित कर की रकम और उसके लिए उपबंध समेत संदत्त या संदेय आय कर या उसका उपबंध (एफबीटी से भिन्न) | 5क | | |
| | | ख आरक्षित (धारा 33कग के अधीन आरक्षित के सिवाय) | 5ख | | |
| | | ग अभिनिश्चित न किए गए दायित्व के लिए उपबंध | 5ग | | |
| | | घ समनुगंगी कंपनियों की हानियों के लिए उपबंध | 5घ | | |
| | | ङ संदत्त या प्रस्तावित लाभांश | 5ङ | | |
| | | च धारा 10, 11 और 12 के अधीन छूट प्राप्त आय संबंधित व्यय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय) | 5च | | |
| | | छ एओपी/बीओआई की आय में शेयर से संबंधित व्यय पर जिस पर धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं | 5छ | | |
| | | ज धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चख) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में व्यय | 5ज | | |
| | | झ धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चग) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनितों के अंतरण पर संकेतन हानि | 5झ | | |
| | | ञ 115खखच के अधीन कर पर प्रभार्य पेटेंट की बाबत स्वामित्व के मद्धे आय से संबंधित व्यय | 5ञ | | |
| | | ट आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मान्य अवक्षणय | 5ट | | |
| | | ठ धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनितों के अंतरण पर अभिलाभ | 5ठ | | |
| | | ड अन्य (अवशि-ट असमायोजित मदों और किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए उपबंध सहित) | 5ड | | |
| | | ढ कुल कटौतियां (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ+5च+5छ+5ज+5झ+5ञ+5ट+5ठ + 5ड) | 5ढ | | |
| | 6 | कटौतियां | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|--|
| | क | आरक्षित से निकाली गई रकम या यदि लाभ या हानि लेखा को जमा की गई है तो उपबंध | 6क | | |
| | ख | धारा 10, 11 और 12 के अधीन आय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय) | 6ख | | |
| | ग | पुनर्मूल्यांकन आरक्षित और लाभ और हानि लेखा में जमा की गई रकम से निकली गई उस सीमा तक जब तक आस्ति के मूल्यांकन के मान्य अवक्षयण की रकम से अधिक नहीं होने की सीमा तक | 6ग | | |
| | घ | एओपी/ बीओआई की आय में अंश जिस पर लाभ और हानि खाते में जमा धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं | 6घ | | |
| | ङ | धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiघ) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में आय | 6ङ | | |
| | च | धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiङ) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनिटों के अंतरण पर संकेतन हानि | 6च | | |
| | छ | धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण पर हानि | 6छ | | |
| | ज | धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiछ) में निर्दिष्ट स्वामित्व के मद्धे आय | 6ज | | |
| | झ | अग्रनित की गई हानि या गैर आमेहित अवक्षयण जो भी कम हो या दोनों जो भी लागू हो। | 6झ | | |
| | ञ | रुग्ण औद्योगिक कंपनी का लाभ जो शुद्ध लाभ के बराबर या एकत्रित हानियों से अधिक है। | 6ञ | | |
| | ट | अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और लाभ और हानि लेखा में जमा किए गए आस्थगित कर की रकम सहित) | 6ट | | |
| | ठ | कुल कटौतियां (6क+6ख+6ग+6घ+6ङ+6च+6छ+6ज+6झ+6ञ+ 6ट) | | 6ठ | |
| 7 | | धारा 115अख के अधीन कुल लाभ (4+ 5ढ - 6ठ) | | 7 | |

| | | | | |
|---|---|--|----|---|
| 8 | क्या कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (आईएनडी-एस) के अनुपालन में कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, यदि हां तो नीचे ब्यौरे प्रस्तुत करें। | | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | क. धारा 115अख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन अतिरिक्त खाता लाभ | | | |
| | क | शीर्ष वे मदें, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय | 8क | |
| | ख | शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम | 8ख | |
| | ग | धारा 115अख(2ग) में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो) | 8ग | |
| | घ | अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है) | 8घ | |

| | | | | |
|----|---|---|----|--|
| | ड | कुल जोड़ (8क + 8ख + 8ग + 8घ) | 8ड | |
| | | ख. धारा 115ख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन खाते से कटौती | | |
| | च | शीर्ष वे मदे, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय | 8च | |
| | छ | शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम | 8छ | |
| | ज | धारा 115ख(2ग)में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो) | 8ज | |
| | झ | अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है) | 8झ | |
| | ञ | कुल जोड़ (8च + 8छ + 8ज + 8झ) | 8ञ | |
| 9 | | धारा 115ख (7 + 8ड - 8ज) के अधीन समझी गई कुल आय | 9 | |
| | क | धारा 115ख के अधीन आई.एफ.एस.सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो | 9क | |
| | ख | धारा 115ख के अधीन इकाईयों (9-9क) के अतिरिक्त समायोजित कुल आय | 9ख | |
| 10 | | धारा 115झख के अधीन संदेय कर [(9क) का 9% + (9ख) का 15%] | 10 | |

| अनुसूची एमएटीसी | | धारा 115 जकक के अधीन कर प्रत्यय की संगणना | | | | |
|--------------------|---|---|---------------|---|--|--|
| 1 | निर्धारण वर्ष 2024-25 में धारा 115ख के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 1घ) | 1 | | | | |
| 2 | निर्धारण वर्ष 2024-25 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 2छ) | 2 | | | | |
| 3 | कर की रकम जिसके विरुद्ध प्रत्यय उपलब्ध है [यदि 2 1 से बढ़ा है तो (2-1) प्रवि-ट करें, अन्यथा 0 प्रवि-ट करें] | 3 | | | | |
| 4 | उपलब्ध एमएटी प्रत्यय का उपयोग [चालू वर्ष के दौरान उपयोग किए गए एमएटी प्रत्यय की राशि ऊपर 3 में वर्णित रकम के अधिकतम के अध्याधीन है और अग्रणीत एमएटी प्रत्यय की राशि से अधिक नहीं हो सकती] | | | | | |
| | क्र.सं. | निर्धारण वर्ष (क) | एमएटी प्रत्यय | | चालू वर्ष के लिए एमएटी प्रत्यय (घ) | अग्रणीत बकाया एमएटी प्रत्यय (घ) [घ = ख3 - ग] |
| | | | सकल (ख1) | पूर्व के वर्षों में मुजरा किए गए (ख2) | अग्रणीत अतिशेष (ख3) = (ख2) - (ख1) | |
| | I | 2009-10 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|---|--|
| | ii | 2010-11 | | | | | | |
| | iii | 2011-12 | | | | | | |
| | iv | 2012-13 | | | | | | |
| | v | 2013-14 | | | | | | |
| | vi | 2014-15 | | | | | | |
| | vii | 2015-16 | | | | | | |
| | viii | 2016-17 | | | | | | |
| | ix | 2017-18 | | | | | | |
| | x | 2018-19 | | | | | | |
| | xi | 2019-20 | | | | | | |
| | xii | 2020-21 | | | | | | |
| | xiii | 2021-22 | | | | | | |
| | xiv | 2022-23 | | | | | | |
| | xv | 2023-24 | | | | | | |
| | xvi | 2024-25 [(का क्रम संसं1 -क्रम सं2)- अनुसूची भाग ख का क्रम सं 6ग-2च) टीटीआई केवल यदि सकारात्मक है] | | | | | | |
| | xvii | योग | | | | | | |
| 5 | वर्ष के दौरान उपयोग की गई घारा 115अकक के अधीन कर प्रत्यय की रकम [4ग (xvi) प्रवि-ट करें] | | | | | | 5 | |
| 6 | पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों में प्रत्यय के लिए उपलब्ध एमएटी दायित्व की रकम [4(घ) xvi प्रवि-ट करें] | | | | | | 6 | |

अनुसूची-बीवीएस

शेयरों की पुनःखरीद पर घरेलू कंपनी की वितरित आय पर कर के ब्यौरे

| क्रम | विवरण | पहले क्रय द्वारा वापिस | दूसरे क्रय द्वारा वापिस | तीसरे क्रय द्वारा |
|------|--|------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | के ब्यौरे | के ब्यौरे | वापिस के ब्यौरे |
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) |
| 1 | क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर शेयर धारकों को किसी प्रतिफल के संदाय की तारीख | (दिन/मास/ वर्ष) | (दिन/मास/ वर्ष) | (दिन/मास/ वर्ष) |
| 2 | कंपनी द्वारा क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर संदत्त प्रतिफल की रकम | | | |

| | | | | | | |
|----|--|---|--|----------------|----------------|----------------|
| 3 | इस प्रकार शेरों को जारी करने के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त रकम | | | | | |
| 4 | कंपनी की वितरित आय (2-3) | | | | | |
| 5 | वितरित आय पर संदेय कर | क | धारा 115ण के अधीन (3-4 पर) 20% की दर से संदेय अतिरिक्त क | | | |
| | | ख | क पर अधिभार | | | |
| | | ग | स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (क+ख) पर | | | |
| | | घ | कुल संदेय कर (क+ख+ग) | | | |
| 6 | धारा 115घख के अधीन संदेय ब्याज | | | | | |
| 7 | संदेय अतिरिक्त आयकर और संदेय ब्याज (5घ+6) | | | | | |
| 8 | संदत्त कर और ब्याज | | | | | |
| 9 | शुद्ध संदेय/प्रतिदेय (7-8) | | | | | |
| 10 | वितरित कर पर कर के जमा की तारीखें | | तारीख 1 | तारीख 2 | तारीख 1 | तारीख 2 |
| | | | (दिन/मास/वर्ष) | (दिन/मास/वर्ष) | (दिन/मास/वर्ष) | (दिन/मास/वर्ष) |
| 11 | बैंक और शाखा का नाम | | | | | |
| 12 | बीएसआर कोड | | | | | |
| 13 | चालान की क्रम संख्या | | | | | |
| 14 | जमा रकम | | | | | |

अनुसूची टीपीएसए ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार धारा 192 गअ(2क) में द्वितीयक समायोजन पर कर का विवरण

| | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| धारा 92गड(2क) के अनुसार द्वितीय समायोजन पर कर | 1 | प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड(2क) के अन्तर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है तथा ऐसी जयादा राशि निर्धारित समय के भीतर प्रत्यावर्तित नहीं की गई है (कृपया समस्त नि. वर्षों के संबंध में किए गए समायोजन का कुल योग इंगित करें) | | | | |
| | 2 | क | उपरोक्त पर 18% की दर से देय अतिरिक्त आय कर | | | |
| | | ख | क पर 12% की दर से अधिभार | | | |
| | | ग | (क+ख) पर स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर | | | |
| | | घ | (क+ख+ग) पर देय कुल अतिरिक्त कर | | | |
| 3 | अदा किए गए कर | | | | | |
| 4 | (2घ-3) देय निवल कर | | | | | |
| 5 | धारा 92गड(2क) के अनुसार द्वितीय समायोजन पर कर के जमा करने की | दिनांक 1 | दिनांक 2 | दिनांक 3 | दिनांक 4 | दिनांक 5 |
| | | (दिन/माह/वर्ष) | (दिन/माह/वर्ष) | (दिन/माह/वर्ष) | (दिन/माह/वर्ष) | (दिन/माह/वर्ष) |

| | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|--|--|--|--|
| | | तारीख | | | | | |
| | 6 | बैंक तथा शाखा का नाम | | | | | |
| | 7 | बीएसआर कोड | | | | | |
| | 8 | चालान की क्रम सं. | | | | | |
| | 9 | जमा की राशि | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

अनुसूची 115नघ

धारा 115 नघ के अधीन सहवर्धी आय

| | | | | | |
|--|---|--|-------|---|--|
| | 1 | विनिर्दिष्ट व्यक्ति के सकल आस्ति का उचित बाजार मूल्य | | 1 | |
| | 2 | घटना: विनिर्दिष्ट व्यक्ति का सकल दायित्व | | 2 | |
| | 3 | आस्तियों का शुद्ध मूल्य (1-2) | | 3 | |
| | 4 | (i) धारा 10(1) में निर्दिष्ट आय से प्रत्यक्षता अधिगृहित आस्तियों का उचित बाजार मूल्य | 4i | | |
| | | (ii) निर्मिति या स्थापन की तारीख से धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण या अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख की अवधि के दौरान अधिगृहित आस्तियों का उचित बाजार मूल्य, यदि धारा 11 और धारा 12 के अधीन उक्त अवधि के दौरान फायदे का दावा नहीं किया गया है। | 4i i | | |
| | | (iii) धारा 115नघ(2) के तीसरे परंतुक अनुसार हस्तांतरित आस्तियों का उचित बाजार | 4i ii | | |

| | | मूल्य | | | |
|----|------|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | (iv) | कुल (4i+4ii+4iii) | 4iv | | |
| 5 | | उपरोक्त 4 पर आस्तियों के संबंध में दायित्व | 5 | | |
| 6 | | धारा 115 नघ के अनुसार आय {3-(4iv-5)} | 6 | | |
| 7 | | अधिकतम मार्जिनल दर पर धारा 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त आय कर | 7 | | |
| 8 | | धारा 115नघ के अधीन संदेय ब्याज | 8 | | |
| 9 | | धारा 115नघ के अधीन विनिर्दिष्ट अतिरिक्त आय कर | 9 | | |
| 10 | | संदेय अतिरिक्त आयकर और ब्याज | 10 | | |
| 11 | | संदत्त कर और ब्याज | 11 | | |
| 12 | | शुद्ध संदाय (10-11) (नकारात्मक होने पर 0 लिखें) | 12 | | |
| 13 | | आय पर जमा किए गए कर की तारीख | दिनांक 1 डीडी/एमएम/ वाईवाई | दिनांक 2 डीडी/एमएम/वाईवाई | दिनांक 3 डीडी/एमएम/वाईवाई |
| 14 | | बैंक और ब्रांच का नाम | | | |
| 15 | | वी एस आर कोड | | | |
| 16 | | चालान का क्रम संख्यांक | | | |
| 17 | | जमा की गई राशि | | | |

अनुसूची- एफएसआई

भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत (निवासी के मामले में ही उपलब्ध)

| क्र. | संदेश कोड (ई-फाइलिंग यूटिलिटी में ड्रापडाउन दिया जाएगा) | कर संदायकर्ता पहचान संख्या | क्रम | आय का शी-ई | भारत के बाहर से आय (भाग बीटीआई में सम्मिलित) | भारत के बाहर संदत्त | भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन इस आय पर संदेय कर | भारत में उपलब्ध कर राहत (ड.)=(ग) या (घ) जो भी कम हो | डीटीएए का संबंधित अनुच्छेद यदि राहत का दावा धारा 90न के अधीन किया गया है |
|------|---|----------------------------|------|-------------------|--|---------------------|--|---|--|
| | | | | (क) | (ख) | (ग) | (घ) | (ड.) | (च) |
| 1 | | | i | गृह संपत्ति | | | | | |
| | | | ii | कारवार या व्यवसाय | | | | | |
| | | | iii | पूँजी अभिलाष | | | | | |
| | | | iv | अन्य स्रोत | | | | | |
| | | | | योग | | | | | |
| 2 | | | i | गृह संपत्ति | | | | | |

भारत के बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-----|-------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | ii | कारवार या व्यवसाय | | | | | |
| | | | iii | पूँजी अभिलाष | | | | | |
| | | | iv | अन्य स्रोत | | | | | |
| | | | योग | | | | | | |
| टिप्पण ▶ | | कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें | | | | | | | |

अनुसूची-टीआर भारत से बाहर संदत्त कर के लिए दावाकृत कर राहत का संक्षिप्त विवरण (निवासी के मामले में ही उपलब्ध)

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|---|---|--|
| भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत | 1 | दावाकृत कर राहत के ब्यौरे | | | | |
| | | देश कोड | कर संदायकर्ता पहचान संख्या | भारत से बाहर कुल संदत्त कर (प्रत्येक देश के बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग का योग) | उपलब्ध कुल कर राहत (प्रत्येक देश के बाबत अनुसूची एफएसआई के (ड.) का योग) | धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90 क या 91 विनिर्दिष्ट करें) |
| | | (क) | (ख) | (ग) | (घ) | (ड.) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | योग | | |
| | | 2 | देश जहां डीटीए लागू है, के बाबत उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90/20क) (1घ के योग का भाग) | | | 2 |
| | 3 | देश जहां डीटीए लागू नहीं है, के बाबत उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 91) (1घ के योग का भाग) | | | 3 | |
| | 4 | क्या भारत के बाहर संदत्त कोई कर, जिस पर भारत में कर राहत अनुज्ञात या वर्ग के दौरान विदेशी कर प्राधिकरण | | | 4 | हां/नहीं |
| | क | प्रतिदेय कर की रकम | | ख | वह निर्धारित वर्ग जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात किया गया था | |
| टिप्पण ▶ | | कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें | | | | |

अनुसूची
वि.आ.

भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे

| क्र.सं. | देश का नाम | देश का कोड | वित्तीय संस्थानों का नाम | वित्तीय संस्थानों का पता | जिप कोड | खाता सं. | प्रास्थिति | खाता खोलने की तारीख | अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष | अंत अतिशेष | अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज | |
|---------|---|------------|--|--------------------------|-------------------------|-----------------|--|---|-----------------------------|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| अ1 | 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण (अन्य लाभकारी ब्याज शामिल) | | | | | | | | | | | |
| (i) | | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | | |
| आ2 | 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) | | | | | | | | | | | |
| क्र.सं. | देश का नाम | देश का कोड | वित्तीय संस्थानों का नाम | वित्तीय संस्थानों का पता | जिप कोड | खाता सं. | प्रास्थिति | खाता खोलने की तारीख | अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष | अंत अतिशेष | अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| (i) | | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | | |
| अ3 | 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) | | | | | | | | | | | |
| क्र.सं. | देश का नाम | देश का कोड | इकाई का नाम | इकाई का पता | जिप कोड | इकाई की प्रकृति | हित अर्जित करने की तारीख | निवेश का आरंभिक मूल्य | अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष | अंतमूल्य | अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम | अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| (i) | | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | | |
| अ4 | 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) | | | | | | | | | | | |
| क्र.सं. | देश का नाम | देश का कोड | वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम | वित्तीय संस्था का पता | जिप कोड | संविदा की तारीख | संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य | अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | | | | |
| (i) | | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | | |
| ख | 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) | | | | | | | | | | | |
| क्र.सं. | देश का नाम | जिप कोड | अस्तित्व की | अस्तित्व का नाम | ब्याज की प्रकृति-सीधे / | रखने की | कुल विनिधान | ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय | आय की | इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज | | |

| नाम और कोड | प्रकृति | और पता | फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी | तारीख से | (लागत पर) (रु. में) | प्रकृति | राशि | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-------------------------------|--|---------------------|---|-------------------------------------|--|---|---------------------------|----------------------|------|
| (1) | (2क) | (2ख) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| (i) | | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | | |
| ग 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) | | | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | देश का नाम और कोड | जिप कोड | संपत्ति का पता | स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी | अर्जन की तारीख | कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में) | संपत्ति से प्राप्त आय | आय की प्रकृति | इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज | | | |
| | | | | | | | | | राशि | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या | |
| (1) | (2क) | (2ख) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| (i) | | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | | |
| घ 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) | | | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | देश का नाम और कोड | जिप कोड | आस्ति की प्रकृति | स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी | अर्जन की तारीख | कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में) | संपत्ति से प्रोदभूत आय | आय की प्रकृति | इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज | | | |
| | | | | | | | | | राशि | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या | |
| (1) | (2क) | (2ख) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| (i) | | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | | |
| ङ 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। | | | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है | संस्था का पता | जिप कोड | खाताधारक का नाम | खाता संख्या | वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में) | क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है | यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि | यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय | | | |
| | | | | | | | | | राशि | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या | |
| (1) | (2) | (3क) | (3ख) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| (i) | | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | | |
| च भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो। | | | | | | | | | | | | |

| क्र. सं० | देश का नाम और कोड | जिप कोड | न्यास का नाम और पता | न्यासियों के नाम और पते | अवस्थापक का नाम और पता | हिताधिकारियों के नाम और पते | जब से पद संभाला है उसकी तारीख | क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है | यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय | यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय | | |
|--|-------------------|---------|---|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---|--|--|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | राशि | जहां अनुसूचा पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या |
| (1) | (2क) | (2ख) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| (i) | | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | | |
| छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है | | | | | | | | | | | | |
| क्र.सं. | देश का नाम और कोड | जिप कोड | जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता | प्राप्त आय | आय की प्रकृति | क्या आपके पास कराधेय है। | यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय | | | | | |
| | | | | | | | राशि | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या | | | |
| (1) | (2क) | (2ख) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | | | |
| (i) | | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | | |

टिप्पण ▶

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची एसएच-1

असूचीबद्ध कम्पनी की शेयर धृति (एक कंपनी से भिन्नि जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन पंजीकृत है अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 3(2) के अन्तर्गत गारंटी द्वारा एक कंपनी लिमिटेड अथवा एक स्टार्टअप जिसके लिए अनुसूची एसएच-2 भरा जाना है को छोड़कर)

यदि आप असूचीबद्ध कम्पनी है, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें:-

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धृति का ब्यौरा

| शेयर धारक का नाम | भारत में आवासीय प्रास्थिति | शेयर का प्रकार | पैन / आधार सं. | आबंटन की तारीख | धारित शेयरों की संख्या | प्रति शेयर अंकित मूल्य | प्रति शेयर निर्गमन कीमत | प्राप्त रकम |
|------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | | |

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आबंटन के लिए लंबित साधारण शेयर आवेदन धनराशि का ब्यौरा

| आवेदक का नाम | भारत में आवासीय प्रास्थिति | शेयर का प्रकार | पैन/आधार सं. | आवेदन की तारीख | आवेदन किये गए शेयरों की संख्या | प्राप्त आवेदन धनराशि | प्रति शेयर अंकित मूल्य | प्रस्तावित निर्गमन कीमत |
|--------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |

ऐसे शेयर धारक का ब्यौरा जो पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धारक नहीं है परन्तु पूर्व वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय शेयर धारक था

| शेयर धारक का नाम | भारत में आवासीय प्रास्थिति | शेयर का प्रकार | पैन/आधार सं. | धारित शेयरों की संख्या | प्रति शेयर अंकित मूल्य | प्रति शेयर निर्गमन कीमत | प्राप्त रकम | आबंटन की तारीख | तारीख जिसको शेयर धारक के लिए समाप्त किया गया | समाप्ति का माध्यम | नए शेयर धारक के पैन के अंतरण की दशा में |
|------------------|----------------------------|----------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|----------------|--|-------------------|---|
| | | | | | | | | | | | |

अनुसूची एसएच-2

स्टार्ट-अप की शेयर धृति

यदि आप वह स्टार्ट-अप है जिसने डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019, के पैरा-5 के अधीन प्ररूप-2 में घोषणा फाइल की है कृपया शेयर धारण के ब्यौरे प्रस्तुत करें:-

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर यथा शेयर धृति का ब्यौरा

| शेयर धारक का नाम | शेयर धारक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रॉप-डाउन प्रदान किया जाय) | शेयर का प्रकार | पैन/आधार सं. | आबंटन की तारीख | धारित शेयरों की संख्या | प्रति शेयर अंकित मूल्य | प्रति शेयर निर्गमन कीमत | प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य | शेयर प्रीमियम |
|------------------|---|----------------|--------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | |

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आबंटन के लिए संवित साधारण शेयर आवेदन धनराशि का ब्यौरा

| आवेदक का नाम | आवेदक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रॉप-डाउन प्रदान किया जाय) | शेयर का प्रकार | पैन/आधार सं. | आवेदन की तारीख | आवेदन किए गए शेयरों की संख्या | प्रति शेयर अंकित मूल्य | प्रति शेयर प्रस्तावित निर्गमन कीमत | शेयर आवेदन धनराशि | शेयर आवेदन प्रीमियम |
|--------------|---|----------------|--------------|----------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | |

ऐसे शेयर धारक का ब्यौरा जो पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धारक नहीं है परन्तु पूर्व वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय शेयर धारक था

| शेयर धारक का नाम | शेयर धारक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रॉप-डाउन प्रदान किया जाय) | शेयर का प्रकार | पैन/आधार सं. | आबंटन की तारीख | धारित शेयरों की संख्या | प्रति शेयर अंकित मूल्य | प्रति शेयर निर्गमन कीमत | प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य | तारीख जिसको शेयर धारक के लिए समाप्त किया गया | समाप्ति का माध्यम | नए शेयर धारक के पैन के अंतरण की दशा में |
|------------------|---|----------------|--------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------|---|
| | | | | | | | | | | | |

टिप्पण पदों- "जोखिम पूंजी कंपनी", "जोखिम पूंजी निधि" और "विनिर्दिष्ट कंपनी", की परिभाषा के लिए, कृपया डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 देखें

अनुसूची ए.एल-1

वर्ष की समाप्ति पर आस्तियां और दायित्व (किसी असूचीबद्ध कंपनी द्वारा भरा जाना आज्ञापक रूप से अपेक्षित है) (किसी स्टार्ट-अप से अन्य जिसके द्वारा अनुसूची ए.एल-2 भरना जाना है)

| आस्तियां और दायित्व के ब्यौरे | क | आवासीय घर होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे | | | | |
|-------------------------------|---------|---|---------|----------------|--------------------|---|
| | क्र.सं. | पता | पिन कोड | अर्जन की तारीख | अर्जन की कीमत (₹.) | प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाय) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|------------------|------------------------|---------------|
| (i) | | | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | | | |
| ख | घर की प्रकृति आवासीय न होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे | | | | | | | | | | | | |
| क्र.सं. | पता | पिन कोड | अर्जन की तारीख | | | अर्जन की कीमत (र.) | | | प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | (5) | | | (6) | | | | |
| (i) | | | | | | | | | | | | | |
| ग | सूचीबद्ध साधारण शेयरों का ब्यौरा | | | | | | | | | | | | |
| | आरंभिक अतिशेष | | | वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर | | | वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर | | | अंत अतिशेष | | | |
| | शेयरों की संख्या | शेयरों के प्रकार | अर्जन की कीमत | शेयरों की संख्या | शेयरों के प्रकार | अर्जन की कीमत | शेयरों की संख्या | शेयरों के प्रकार | विक्रय प्रतिफल | शेयरों की संख्या | शेयरों के प्रकार | अर्जन की कीमत | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| घ | असूचीबद्ध साधारण शेयरों का ब्यौरा | | | | | | | | | | | | |
| | कंपनी का नाम | पैन | आरंभिक अतिशेष | | वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर | | | | | वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर | | अंत अतिशेष | |
| | | | शेयरों की संख्या | अर्जन की कीमत | शेयरों की संख्या | अभिदान/क्रय की तारीख | प्रति शेयर अंकित मूल्य | प्रति शेयर निर्गमन कीमत (नए निर्गमन की दशा में) | प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में) | शेयरों की संख्या | विक्रय प्रतिफल | शेयरों की संख्या | अर्जन की कीमत |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ङ | अन्य प्रतिभूतियों के ब्यौरे | | | | | | | | | | | | |
| | प्रतिभूतियों के प्रकार | क्या सूचीबद्ध या असूचीबद्ध है | आरंभिक अतिशेष | | वर्ष के दौरान अर्जित की गई प्रतिभूतियां | | | | | वर्ष के दौरान अंतरित की गई प्रतिभूतियां | | अंत अतिशेष | |
| | | | प्रतिभूतियों की संख्या | अर्जन की कीमत | प्रतिभूतियों की संख्या | अभिदान/क्रय की तारीख | प्रति शेयर अंकित मूल्य | प्रतिभूतियों की निर्गमन कीमत (नए निर्गमन की दशा में) | प्रति प्रतिभूति क्रय कीमत (विद्यमान धारक से क्रय की दशा में) | प्रतिभूतियों की संख्या | विक्रय प्रतिफल | प्रतिभूतियों की संख्या | अर्जन की कीमत |
| | | | | | | | | | | | | | |
| च | अन्य अस्तित्व को पूंजी अभिदाय के ब्यौरे | | | | | | | | | | | | |
| | अस्तित्व का नाम | पैन | आरंभिक अतिशेष | वर्ष के दौरान अभिदाय की गई रकम | वर्ष के दौरान निकाली गई रकम | वर्ष के दौरान विकलित या जमा किए गए लाभ/हानि/लाभांश/ब्याज की रकम | अंत अतिशेष | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| छ | किसी अन्य समुत्थान को उधार और अग्रिम के ब्यौरे (यदि साहकारी निष्पारिती का सार्वजनिक कारवार नहीं है) | | | | | | | | | | | | |
| | व्यक्ति का नाम | पैन | आरंभिक अतिशेष | प्राप्त रकम | संदत्त रकम | जमा किया गया ब्याज, यदि कोई हो | अंत अतिशेष | ब्याज की दर (%) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ज | मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------|----------------|---|-------------------------------|------------|-----------------|
| | आस्ति का विवरण | बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं. | अर्जन की कीमत | अर्जन की तारीख | प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए) | | | |
| झ | आभूषण, पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोने- चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा | | | | | | | |
| | आस्ति का विवरण | मात्रा | अर्जन की कीमत | अर्जन की तारीख | उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए) | | | |
| ञ | दायित्वों के ब्यौरे | | | | | | | |
| | वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निष्केपों और अग्रिमों के ब्यौरे | | | | | | | |
| | व्यक्ति का नाम | पैन | आरंभिक अतिशेष | प्राप्त रकम | संदत्त रकम | जमा किया गया ब्याज यदि कोई हो | अंत अतिशेष | ब्याज की दर (%) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

टिप्पणी ▶

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें

अनुसूची ए.एल-2

वर्ष के अंत में आस्तियां और दायित्व (केवल स्टार्ट-अप के लिए लागू)

| | | | | | | | |
|---------|---|---------|----------------|--------------------|---|--|--|
| | यदि आप एक ऐसे स्टार्ट-अप हैं जिसमें डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा-5 के अधीन प्ररूप-2 में घोषणा फाइल की है, कृपया निगमन की तारीख से वर्ष के अंत तक की अवधि के लिए निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :- | | | | | | |
| क | निगमन से अर्जित आवासीय घर होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे | | | | | | |
| क्र.सं. | पता | पिन कोड | अर्जन की तारीख | अर्जन की कीमत (₹.) | प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए) | क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| (i) | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | |
| ख | निगमन से अर्जित आवासीय घर न होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे | | | | | | |
| क्र.सं. | पता | पिन कोड | अर्जन की तारीख | अर्जन की कीमत (₹.) | प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए) | क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |

आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|---|--|
| (i) | | | | | | | | | |
| ग | निगमन से दिए गए उधार और अग्रिम के ब्यौरे (यदि साहकारी निर्धारिती का सारवान कारवार नहीं है) | | | | | | | | |
| | व्यक्ति का नाम | पैन | तारीख जिसको उधार और अग्रिम दिए गए हैं | उधारों और अग्रिमों की रकम | रकम | क्या उधार और अग्रिम का प्रतिसंदत्त हो गया है, यदि हां तो ऐसे प्रतिसंदाय की तारीख | पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो | ब्याज की दर यदि कोई हो | |
| घ | निगमन से अन्य अस्तित्व को किए गए पूंजी अभिदाय के ब्यौरे | | | | | | | | |
| | अस्तित्व का नाम | पैन | तारीख जिसको पूंजी अभिदाय किया गया है | अभिदाय की रकम | निकाली गई रकम यदि को हो | वर्ष के दौरान विकलित या प्रत्यय किए गए लाभ /हानि/लाभांश/ब्याज की रकम | पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो | | |
| ङ | शेयरों और प्रतिभूतियों के अर्जन के ब्यौरे | | | | | | | | |
| | कंपनी/अस्तित्व का नाम | पैन | शेयरों /प्रतिभूतियों के प्रकार | अर्जित शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या | अर्जन की कीमत | अर्जन की तारीख | क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख | पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो | |
| च | मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे, जिसकी वास्तविक कीमत निगमन से अर्जित दस लाख रुपयों से अधिक है | | | | | | | | |
| | आस्ति का विवरण | बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं. | अर्जन की कीमत | अर्जन की तारीख | प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए) | क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख | | | |
| छ | निगमन से अर्जित आभूषणों का ब्यौरा | | | | | | | | |
| | आस्ति का विवरण | मात्रा | अर्जन की कीमत | अर्जन की तारीख | उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए) | क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख | पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो | | |
| ज | निगमन से अर्जित पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोना चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा | | | | | | | | |
| | आस्ति का विवरण | मात्रा | अर्जन की कीमत | अर्जन की तारीख | उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए) | क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख | पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो | | |
| झ | दायित्वों के ब्यौरे | | | | | | | | |

| वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निक्षेपों और अग्रिमों के ब्यौरे | | | | | | | |
|---|-----|---------------|-------------|------------|-------------------------|------------|-----------------|
| व्यक्ति का नाम | पैन | आरंभिक अतिशेष | प्राप्त रकम | संदत्त रकम | विकलित ब्याज यदि कोई हो | अंत अतिशेष | ब्याज की दर (%) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें

अनुसूची जीएसटी आवर्तन/ रिपोर्ट की गई सकल रसीद के संबंध में सूचना

| जीएसटी का ब्यौरा | क्र.सं. | जीएसटीआईएन (सं.) | फाइल की गई जीएसटी विवरणी (विवरणियों) के अनुसार जाबक पूर्तियों का वार्षिक मूल्य |
|------------------|---------|------------------|--|
| | (1) | (2) | (3) |
| | | | |

टिप्पण ▶ कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन संख्या के लिए पृथक रूप से सूचना उपर प्रस्तुत करें

अनुसूची एफ.डी विदेशी करेंसी में संदाय/प्राप्ति के ब्यौरे (निर्धारित जो धारा 44कख के अधीन लेखों की संपरीक्षा करवाने हेतु दायी नहीं है)

| करेंसीवार ब्यौरा | क्रम सं. | | रकम (रुपये में) |
|------------------|--|--|-----------------|
| | i | पूंजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान किए गए संदाय | |
| ii | राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान किए संदाय | | |
| iii | पूंजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान प्राप्ति | | |
| iv | राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान प्राप्ति | | |

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को विनिर्दिष्ट करें

भाग - ख

भाग ख कुल आय कुल आय की संगणना

| कुल आय | 1 | गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृहसंपत्ति का 3) (शून्य प्रवि-ट करें यदि हानि हो) | 1 |
|--------|---|--|---|
| | 2 | कारबार या वृत्ति से लाभ और हानि सटटे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि | |

| | | | | | |
|---|--------------------|---|--------|----|----|
| | i | सट्टे का कारबार और विनिर्दि-ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि (अनुसूची -बीपी का क 38) (शून्य प्रवि-ट करें यदि हानि हो) | 2i | | |
| | ii | सट्टे का कारबार से लाभ हानि अनुसूची बीपी की तालिका च के 3(iii)(यदि हानिक हो तो शून्य भरें तथा अनुसूची सीएफएल के आंकडे लें) | 2ii | | |
| | iii | विनिर्दि-ट कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची बीपी की तालिका च का 3(iii)(यदि हानि हो तो शून्य भरें तथा अनुसूची सीएफएल का आंकडे लें) | 2iii | | |
| | iv | विशेष दरों पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची बी.पी की तालिका च का 3घ, 3ड, 3घ और 4ख) | 2iv | | |
| | V | कुल (2i + 2ii+2iii + 2iv) | | 2v | |
| 3 | पूँजी अभिलाभ | | | | |
| | क | अल्पकालिक | | | |
| | i | अल्पकालिक प्रभार्य 15% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9ii) | कां | | |
| | ii | अल्पकालिक प्रभार्य 30% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9 iii) | कांii | | |
| | iii | लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी की मद ड के 9 iv) | कांiii | | |
| | iv | डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्प-कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड की 9v) | कांiv | | |
| | v | कुल अल्पकालिक (कां + कांii+कांiii + कांiv) (यदि हानि तो शून्य प्रविष्ट करें) | 3कv | | |
| | ख | दीर्घकालिक | | | |
| | i | दीर्घकालिक प्रभार्य 10% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9vi) | खां | | |
| | ii | दीर्घकालिक प्रभार्य 20% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9vii) | खांii | | |
| | iii | डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ-कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड की 9viii) | खांiii | | |
| | iv | कुल दीर्घकालिक (खां + खांii + खांiii) (यदि हानि है तो शून्य प्रवि-ट करें) | 3खांiv | | |
| | ग | अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ की राशि (3कv + 3खांiv) (यदि हानि तो शून्य दर्ज करें) | | | 3ग |
| | घ | धारा 115खखज के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूँजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2) | | | 3घ |
| | ङ | कुल पूँजीगत अभिलाभ (3ग + 3घ) | | | 3ङ |
| 4 | अन्य स्रोतों से आय | | | | |
| | क | साधारण लागू दरों पर कर से प्रभार्य स्रोतों से अन्य शुद्ध आय / अनुसूची ओएस का 6) (यदि हानि है तो शून्य प्रवि-ट कर) | 4क | | |
| | ख | आय पर प्रभार्य कर विशेष-1 दर पर (अनुसूची ओ एस का 2) | 4ख | | |

| | | | | | |
|----|---|--|----|-----|--|
| | ग | दोड़ के घोड़ो के स्वामित्व और रख-रखाव के क्रिया कलापों से आय (अनुसूची ओ एस का 8ड) (यदि हानि है तो शून्य प्रवि-ट करें) | 4ग | | |
| | घ | कुल (4क+ 4ख+ 4ग) | | 4घ | |
| 5 | | शीर्ष-वार आय का योग (1 + 2v + 3ड + 4घ) | | 5 | |
| 6 | | 5 के लिए मुजरे के चालू वर्ग की हानियां (अनुसूची सीवाईएलए का कुल 2xvii, 3xvii तथा 4xvii) | | 6 | |
| 7 | | चालू वर्ग की हानियों के मुजरा करने के पश्चात् अतिशेन (5--6) अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम सं (ii), (iii), (v) से (xv) तक का योग + 4ख + 2iv) | | 7 | |
| 8 | | 7के विरुद्ध मुजरा किए जाने योग्य अग्रनीत की गई हानि (बीएफएलए अनुसूची का कुल 2xvi, 3xvi तथा 4xvi) | | 8 | |
| 9 | | सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम सं (i), (ii), (iv) से (xiv) तक का योग + 4ख + 2iv) | | 9 | |
| 10 | | 9 में सम्मिलित, धारा 111क, धारा 112, धारा 112क आदि के अधीन आय पर विशेष दर से प्रभार्य कर | | 10 | |
| 11 | | अध्याय 6क के अधीन कटौतियां | | | |
| | क | अनुसूची 6क का भाग ख [अनुसूची V/क का 1 तथा बीएफएलए के i5+ii5+iv5+v5+viii5+xiii5+xiv5 तक सीमित] | | 11क | |
| | ख | अनुसूची 6क का भाग ग (अनुसूची V/क का 2) | | 11ख | |
| | ग | कुल (11क + 11ख) (9-10) तक सीमित) | | 11ग | |
| 12 | | धारा 10कक के अधीन कटौतियां (योग अनुसूचि 10कक) | | 12 | |
| 13 | | कुल आय (9- 11ग -12) | | 13 | |
| 14 | | विशेन दर पर आय पर प्रभार्य कर (अनुसूची एस आई के (i) का योग | | 14 | |
| 15 | | मामूली दर पर आय पर प्रभार्य कर (13 - 14) | | 15 | |
| 16 | | शुद्ध कृनि आय/दर प्रयोजन के लिए कुल अन्य (अनुसूची ईआई का 3) | | 16 | |
| 17 | | चालू वर्ग की हानिया जो अग्रनीत की जानी है (अनुसूची सीएफएल का xix) का योग | | 17 | |
| 18 | | धारा 115 जख के अधीन समझी जाने वाली कुल आय (अनुसूची एमएटी का 9) | | 18 | |

भाग ख - कुल आय पर कर

कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना

| | | | |
|---|---|---|----|
| 1 | क | धारा 15जख के अधीन समझी जानी वाली कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एमएटी का 10) | 1क |
| | ख | ऊपर (क) पर अधिभार (यदि लागू है) | 1ख |
| | ग | उपर (1क+1ख) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर | 1ग |
| | घ | धारा 115जख के अधीन संदेय कुल कर (1क + 1ख + 1ग) | 1घ |

| | | | |
|---|---|--|-------|
| 2 | कुल आय पर संदेय कर | | |
| | क | भाग ख- टी आई की मद 15 पर मामूली दरों पर कर | 2क |
| | ख | विशेष-1 दरों पर कर (अनुसूची एस आई (ii) का योग) | 2ख |
| | ग | (2क + ख) कुल आय पर संदेय कर | 2ग |
| | घ अधिभार | | |
| | i | एस.आई अनुसूची 16 का 25% | 2घा |
| | ii | एस.आई अनुसूची का 16 - 2ग) | 2घii |
| | iii | कुल (i + ii) | 2घiii |
| | ङ | (2ग+2घiii) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर | 2ङ |
| | च | सकल कर दायित्व (2ग+2 घiii +2ङ) | 2च |
| 3 | सकल संदेय कर (1घ और 2छ की उच्चतर प्रवि-ट करें) | | 3 |
| 4 | पूर्ववर्त में धारा 115 अकक के अधीन जमा संदत्त कर (यदि 2छ 1घ से अधिक हो तो) (एमएटीसी अनुसूची का 5) | | 4 |
| 5 | धारा 115अकक के अधीन जमा के पश्चात संदेय कर [(3 - 4)] | | 5 |
| 6 | कर अनुतो-1 | | |
| | क | धारा 90/90क (अनुसूची टीआर का 1क 12 का योग) | 6क |
| | ख | धारा 91 (अनुसूची टीआर का 1बी23 का योग) | 6ख |
| | ग | कुल (6क + 6ख) | 6ग |
| 7 | शुद्ध कर दायित्व (5 - 6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य प्रवि-ट करे) | | 7 |
| 8 | संदेय ब्याज और फीस | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------|---|-------------|---------|--|
| | क | विवरणी देने में चूक के लिए ब्याज (धारा 234क) | 8क | | |
| | ख | अग्रिम कर में भुगतान में चूक के लिए ब्याज (धारा 234ख) | 8ख | | |
| | ग | अग्रिम कर आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग) | 8ग | | |
| | घ | आय विवरणी प्रस्तुत न करने पर चूक के लिए फीस (धारा 234घ) | 8घ | | |
| | ङ | कुल संदेय ब्याज (8क+8ख+8ग +8घ) | | 8ङ | |
| | 9 | सकल दायित्व (7 + 8ङ) | | 9 | |
| देय कर | 10 | संदत्त कर | | | |
| | क | अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से) | 10क | | |
| | ख | टीडीएस (15ख के स्तंभ 9 का योग) | 10ख | | |
| | ग | टीसीएस (15ग के स्तंभ 7 का योग) | 10ग | | |
| | घ | स्व निर्धारण कर (15घ के स्तंभ 5 से) | 10घ | | |
| ङ | कुल संदत्त कर (10क+10ख+10ग +10घ) | | 10ङ | | |
| | 11 | संदेय रकम (9 - 10ङ) (यदि 9 10ङ से अधिक है तो शून्य प्रवि-ट करे) | | 11 | |
| | 12 | प्रतिदाय (यदि 10ङ 9 से अधिक है) | | 12 | |
| बैंक खाता | 13 | धारा 115नड. के अधीन संदेय ब्याज सहित धारा 115नघ के अधीन आय पर संदेय शुद्ध कर (अनुसूची 115नघ का क्र.स. 12) | | 13 | |
| | 14 | क्रं.स. 12(13-12) पर प्रतिदाय के समायोजन के पश्चात् धारा 115नघ के अधीन संदेय कर | | 14 | |
| | 15 | क्रं.स. 14(12-13) के अनुसार समायोजन के पश्चात् शुद्ध प्रतिदाय (यदि कोई प्रतिदाय हो तो सीधे बैंक खाते में जमा किया जाएगा) | | 15 | |
| | 16 | क्या आपका भारत में कोई बैंक खाता है | | | |
| | (क) | पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के व्यौरे (डोरमैट खाते को छोड़कर) | | | |
| | क्रम सं. | यदि बैंक खाता भारत में है तो बैंक का आई.एफ.एस.सी कोड | बैंक का नाम | खाता सं | खाता का प्रकार (ई- फाइलिंग उपयोगिता द्वारा ड्रापडाउन उपलब्ध कराया जायेगा) |
| | i | | | | |
| | ii | | | | |

| | | | | |
|---|--|-------------|--------------------|--|
| टिप्पणः | | | | |
| <p>1) निष्क्रिय खाते को छोड़कर, किसी भी समय रखे गए सभी बैंक खातों की सूचना दी जानी है।</p> <p>2) कई खातों के मामले में, विवरणी प्रसंस्करण के पश्चात् प्रतिदाय की विधि मान्य खातों में से किसी एक में जमा किया जाएगा पंक्ति को आवश्यकतानुसार जोड़ा जा सकता है।</p> | | | | |
| (ख) अनिवासी: अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत कर सकते हैं | | | | |
| क्रम सं. | एस. डब्ल्यू. आई. एफ. टी कोड | बैंक का नाम | देश का नाम(लोकेशन) | आई. बी. ए. एन |
| | | | | |
| यथा अपेक्षित पंक्ति बढ़ाई जा सकती है | | | | |
| 17 | क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय | | | |
| | (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित सम्मिलित है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। | | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | (ii) भारत के बाहर स्थित किसी लेखा में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या | | | |
| | (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें) | | | |

18 अनुसूची-आयकर

क अग्रिम कर और आयकर के स्वतनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे

| क्रं.सं | बीएसआर कोड | जमा करने की तारीख (दिन/मास/व-ई) | चालान की क्रम संख्या | रकम (रुपए में) |
|---------|------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|
| i | | | | |
| ii | | | | |
| iii | | | | |
| iv | | | | |
| v | | | | |
| vi | | | | |

टिप्पण--भाग ख-टीडीआई की क्रम सं0 10क और 10घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर प्रवि-ट करें।

ख स्तौत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ/ 16ङ के अनुसार]

| क्र.सं. | स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस प्रत्यय नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति] | अन्य व्यक्ति का पैना/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय दूसरे व्यक्ति से संबंधित है) | कटौतीकर्ता का टैन/किरायेदार/क्रेता का पैना/ आधार सं. | अग्रणीत किया गया अदावाकृत टीडीएस (बी/एफ) | चालू वित्त वर्ष का टीडीएस(वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान काटा गया टीडीएस | इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित , लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया। | तदनुसूची रसीद/ आहरण प्रस्तुत की गई | अग्रणीत किया जा रहा टीडीएस प्रत्यय | | | | |
|--|---|---|--|--|---|---|------------------------------------|------------------------------------|---|---------|-------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई | टीडीएस बी/एफ | अपने हाथों में की गई कटौती | नियम 37खक(2) (यदि लागू हो) | अपने हाथों में किया गया दावा | नियम 37 खक(2) के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दावा किया गया (यदि लागू हो) | सकल रकम | आय का शीर्ष | (13) |
| | | | | | | | आय टीडीएस | | आय टीडीएस पैना/ आधार सं. | | | |
| i | | | | | | | | | | | | |
| टिप्पण कृपया भाग ख -टीडीआई के स्तभ-9 में 10ख के योग को प्रविष्ट करें | | | | | | | | | | | | |

| क्र. सं. | स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित जमा टी.सी.एस नियम 37-आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति] | संग्रहकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकांउट नंबर | अन्य व्यक्ति का पैना(यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित | अग्रणीत अदावाकृत टी.सी.एस | चालू वित्त वर्ष का टी.सी.एस (वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान संग्रहित टीसीएस) | इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस | टी.सी.एस जमा आगे लाया गया | | | |
|---|---|---|--|---------------------------|---|--|---------------------------|------|---------------|-----|
| (1) | (2i) | (2ii) | (3) | (4) | (5) | (6i) | (6ii) | (7i) | (7ii) | (8) |
| i | | | | | | | | | टी.सी.एस पैना | |
| ii | | | | | | | | | | |
| टिप्पण कृपया भाग ख-टीडीआई के 10ग में स्तंभ (7i) का योग भरें | | | | | | | | | | |

आय के खाते पर संग्रहित कर

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री.....यह घोषणा करता हूं/ करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और इसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार सही और पूर्ण है ।

मैं यह और घोषणा करता हूं/ करती हूं कि मैं..... (ड्रॉप-डाउन दिया जाए) की हैसियत से यह विवरणी दे रहा/ रही हूं और इस विवरण को देने और इसका सत्यापन करने के लिए भी सक्षम हूं । मैं स्थायी लेखा संख्यांक.....धारण कर रहा हूं (यदि आबंटित हो) (कृपया अनुदेश देखें).

मैं यह और घोषणा करता हूं कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92 गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख.....

स्थान

.....

यहां हस्ताक्षर करें” .

[अधिसूचना सं.16/2024/फा. सं. 370142/49/2023-टीपीएल]

सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 908 (अ), तारीख 22 दिसंबर, 2023 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2024

G.S.R. 64(E).—In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Income-tax (First Amendment) Rules, 2024.
(2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2024.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix-II, for Form ITR-6, the following Form shall be substituted, namely:—

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|
| “FORM | ITR-6 | INDIAN INCOME TAX RETURN [For Companies other than companies claiming exemption under section 11] (Please see rule 12 of the Income-tax Rules,1962) (Please refer instructions) | Assessment Year | | | | | | |
| | | | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 2 | 5 |

| Part A-GEN | | GENERAL | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---------------|--|--|---|---|--|-----------------------|--|--------------------------|--|--|
| PERSONAL INFORMATION | (A1) Name | | | | | | | | | (A2) PAN | | | |
| | (A3) Is there any change in the company's name? If yes, please furnish the old name | | | | | | | | | (A4) Corporate Identity Number (CIN) issued by MCA | | | |
| | (A8) Flat/Door/Block No | (A9) Name of Premises/Building/Village | | | | (A5) Date of incorporation (DD/MM/YYYY) | | (A6) Date of commencement of business (DD/MM/YYYY) | | | | | |
| | | | | | / / | | / / | | | | | | |
| | (A10) Road/Street/Post Office | (A11) Area/Locality | | | | | (A7) Type of company (Tick any one) <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | | | | | | | (i) Domestic Company | | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | | | | (ii) Foreign Company | | <input type="checkbox"/> | | |
| | (A12) Town/City/District | (A13) State | | | (A14) Pin code/Zip code | | | If a public company write 6, and if private company write 7 (as defined in section 3 of the Companies Act, 2013) | | | | | |
| | | | (A15) Country | | | | | | | | | | |
| | (A16) Office Phone Number with STD code/ Mobile No. 1 | | | | (A17) Mobile No. 2 | | | | (A18) Email Address-1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Email Address-2 | | | | | | | | | | | | | |
| | (A19) (ai) | Due date for filing return of income [Dropdown to be provided]: 1. 31st October 2. 30th November | | | | | | | | | | | |
| FILING STATUS | (A19) (aii) | 1 Filed u/s (Tick)/Please see instruction] | | | <input type="checkbox"/> 139(1)- On or before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)- After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)- Revised Return, <input type="checkbox"/> 92CD-Modified return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)- after condonation of delay, <input type="checkbox"/> 170A- After order by the tribunal or court | | | | | | | | |
| | | 2 Or filed in response to notice u/s | | | <input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153C | | | | | | | | |
| | (b) | If revised/ defective/modified, then enter Receipt No and Date of filing original return (DD/MM/YYYY) | | | _ / _ / _ | | | | | | | | |
| | (c) | If filed, in response to notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b) or order referred to in section 170A , enter Unique Number /Document Identification Number and date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement | | | / / | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------|-------|---|--|--|
| | (d) | Residential Status (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Non-Resident | | |
| | (e) | Have you opted for taxation under section 115BA/115BAA/115BAB? (drop down to be provided in e-filing utility) (applicable on Domestic Company) If yes, please furnish the AY in which said option is exercised for the first time along with date of filing of relevant form (10-IB/ 10-IC/ 10-ID) & acknowledgment number. If no, whether you are choosing to opt for taxation under section 115BA/115BAA/115BAB this year? (drop down to be provided in e-filing utility) Please provide the date of filing of relevant form (10-IB/10-IC/10-ID) & acknowledgment number. | | |
| | (f) | Whether total turnover/ gross receipts in the previous year 2021-2022 exceeds 400 crore rupees? (Yes/No) (applicable for Domestic Company) | | |
| | (g) | Whether assessee is a resident of a country or specified territory with which India has an agreement referred to in sec 90 (1) or Central Government has adopted any agreement under sec 90A(1)? | | |
| | (h) | In the case of non-resident, is there a Permanent Establishment (PE) in India (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | |
| | (i) | In the case of non-resident, is there a Significant Economic Presence (SEP) in India (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No please provide details of (a) aggregate of payments arising from the transaction or transactions during the previous year as referred in Explanation 2A(a) to Section 9(1)(i); (b) number of users in India as referred in Explanation 2A(b) to Section 9(1)(i). | | |
| | (j) | Whether assessee is required to seek registration under any law for the time being in force relating to companies? If yes, please provide details. | | |
| | | Act under which registration required | | |
| | | Date of Registration | (DD/MM/YYYY) | Registration Number |
| | (k) | Whether the financial statements of the company are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | |
| | (l) | Whether assessee has a unit located in an International Financial Services Centre and derives income solely in convertible foreign exchange? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | |
| | (m) | Whether the assessee company is under liquidation (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | |
| | (n) | Whether you are an FII / FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No. | | |
| | (o) | Whether the company is a producer company as defined in Sec.581A of Companies Act, 1956? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | |
| | (p) | Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information - | | |
| | | (1) | Name of the representative assessee | |
| | | (2) | Capacity of the Representative (drop down to be provided) | |
| | | (3) | Address of the representative assessee | |
| | | (4) | Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the representative assessee | |
| | (q) | Whether you are recognised as start up by DPIIT | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| | | 1 | If yes, please provide start up recognition number allotted by the DPIIT | |
| | | 2 | Whether certificate from inter-ministerial board for certification is received? | |
| | | 3 | If yes provide the certification number | |
| | | 4 | Whether declaration in Form-2 in accordance with para 5 of DPIIT notification dated 19/02/2019 has been filed before filing of the return? | |
| | | 5 | If yes, provide date of filing Form-2 | |
| | (r) | Legal Entity Identifier (LEI) details (mandatory if refund is 50 Crores or more) | | |
| | | LEI Number | | Valid upto date |
| | (s) | Whether you are recognised as MSME? | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| | | If yes, please provide registration number allotted as per the MSMED Act, 2006 | | |
| AUDIT INFORMATION | (a1) | Whether liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | |
| | (a2) | Whether assessee is declaring income only under section 44AE/ 44B/ 44BB/ 44BBA/ 44BBB/44D? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | |
| | (a2i) | If No, whether during the year total sales/turnover/gross receipts of business is more than 1 Crore Rupees but does not exceed 10 Crore Rupees? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No, turnover does not exceed 1 crore <input type="checkbox"/> No, turnover exceeds 10 crores | | |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---------------------------|
| | (a2ii) | If (a2i) is Yes, whether aggregate of all amounts received, including amount received for sales, turnover or gross receipts or on capital account such as capital contribution, loans etc. during the previous year, in cash & non-a/c payee cheque/DD, does not exceed five per cent of said amount? <i>(Tick)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | | |
| | (a2iii) | If (a2i) is Yes, whether aggregate of all payments made including amount incurred for expenditure or on capital account such as asset acquisition, repayment of loan etc., in cash & non-a/c payee cheque/DD, during the previous year does not exceed five per cent of the said payment <i>(Tick)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | | |
| | (b) | Whether liable for audit under section 44AB? <i>(Tick)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (Note to Systems: For cases where a2i exceeds INR 10 crores, this should be an automatic Yes) | | | |
| | If Yes is selected at (b), mention by virtue of which of the following conditions: | | | | |
| | (bi) | Sales, turnover or gross receipts exceeds the limits specified under section 44AB <i>(Tick)</i> <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | (bii) | Assessee falling u/s 44BB but not offering income on presumptive basis <i>(Tick)</i> <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | (biii) | Assessee falling u/s 44BBB but not offering income on presumptive basis <i>(Tick)</i> <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | (biv) | Others <i>(Tick)</i> <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | (c) | If (b) is Yes, whether the accounts have been audited by an accountant? <i>(Tick)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If Yes, furnish the following information below | | | |
| | | (1) | Mention the date of furnishing of audit report (DD/MM/YYYY) | | |
| | | (2) | Name of the auditor signing the tax audit report | | |
| | | (3) | Membership No. of the auditor | | |
| | | (4) | Name of the auditor (proprietorship/ firm) | | |
| | | (5) | Proprietorship/firm registration number | | |
| | | (6) | Permanent Account Number (PAN/Aadhaar No.) of the auditor (proprietorship/ firm) | | |
| | (7) | Date of audit report | | | |
| | (8) | Acknowledgement Number of the Audit Report | | | |
| | (9) | UDIN | | | |
| (di) | Are you liable for Audit u/s 92E? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | | | |
| (dii) | If (di) is Yes, whether the accounts have been audited u/s. 92E? | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | Date of furnishing audit report? DD/MM/YYYY | Acknowledgement Number | |
| (diii) | If liable to furnish other audit report under the Income-tax Act, mention whether have you furnished such report. If yes, please provide the details as under:) <i>(Please see Instruction 5)</i> | | | | |
| | | | | | |
| | Sl. No. | Section Code | Date (DD/MM/YYYY) | Acknowledgement Number | |
| | | | | | |
| (e) | Mention the <u>Act, section</u> and date of furnishing the audit report under any Act other than the Income-tax Act | | | | |
| | <i>Act and section</i> | (DD/MM/YY) | <i>Act and section</i> | (DD/MM/YY) | |
| HOLDING STATUS | (a) | Nature of company (select 1 if holding company, select 2 if a subsidiary company, select 3 if both, select 4 if any other) | | | |
| | (b) | If subsidiary company, mention the details of the Holding Company | | | |
| | | PAN | Name of Holding Company | Address of Holding Company | Percentage of Shares held |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (c) | If holding company, mention the details of the subsidiary companies | | | | |
| | PAN | Name of Subsidiary Company | Address of Subsidiary Company | Percentage of Shares held | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| BUSINESS ORGANISATION | (a) | In case of amalgamating company, mention the details of amalgamated company | | | |
| | | PAN | Name of Amalgamated Company | Address of Amalgamated Company | Date of Amalgamation |
| | | | | | |
| (b) | In case of amalgamated company, mention the details of amalgamating company | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------|---|---|
| | PAN | Name of Amalgamating Company | Address of Amalgamating Company | | Date of Amalgamation | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | (c) | In case of demerged company, mention the details of resulting company | | | | |
| | PAN | Name of Resulting Company | Address of Resulting Company | | Date of Demerger | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (d) | In case of resulting company, mention the details of demerged company | | | | | |
| | PAN | Name of Demerged Company | Address of Demerged Company | | Date of Demerger | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| KEY PERSONS | Particulars of Managing Director, Directors, Secretary and Principal officer(s) who have held the office during the previous year and the details of eligible person who is verifying the return. | | | | | |
| | S.No. | Name | Designation | Residential Address | PAN/Aadhaar No. | Director Identification Number (DIN) issued by MCA, in case of Director |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SHAREHOLDERS INFORMATION | Particulars of persons who were beneficial owners of shares holding not less than 10% of the voting power at any time of the previous year | | | | | |
| | S.No. | Name and Address | | Percentage of shares held | PAN (if allotted) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| OWNERSHIP INFORMATION | In case of unlisted company, particulars of natural persons who were the ultimate beneficial owners, directly or indirectly, of shares holding not less than 10% of the voting power at any time of the previous year | | | | | |
| | S.No. | Name | Address | Percentage of shares held | PAN/Aadhaar No. (if allotted) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | In case of Foreign company, please furnish the details of immediate parent company. | | | | | |
| | S.No | Name | Address | Country of residence | PAN (if allotted) | Taxpayer's registration number or any unique identification number allotted in the country of residence |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | In case of foreign company, please furnish the details of ultimate parent company | | | | | |
| S.No | Name | Address | Country of residence | PAN (if allotted) | Taxpayer's registration number or any unique identification number allotted in the country of residence | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| NATURE OF COMPANY AND ITS BUSINESS | Nature of company | | | | (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 1 | Whether a public sector company as defined in section 2(36A) of the Income-tax Act | | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | |
| | 2 | Whether a company owned by the Reserve Bank of India | | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | |
| | 3 | Whether a company in which not less than forty percent of the shares are held (whether singly or taken together) by the Government or the Reserve Bank of India or a corporation owned by that Bank | | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | |

| | | | |
|---|---|------------------------------|-----------------------------|
| 4 | Whether a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| 5 | Whether a scheduled Bank being a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| 6 | Whether a company registered with Insurance Regulatory and Development Authority (established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999) | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| 7 | Whether a company being a non-banking Financial Institution | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| 8 | Whether the company is unlisted? If yes, please ensure to fill up the Schedule SH-1 and Schedule AL-1 | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| Nature of business or profession, if more than one business or profession indicate the three main activities/ products (Other than those declaring income under section 44AE) | | | |
| S.No. | Code [Please see instruction No.7(i)] | Description | |
| (i) | | | |
| (ii) | | | |
| (iii) | | | |

| Part A-BS | | BALANCE SHEET AS ON 31 ST DAY OF MARCH, 2024 OR AS ON THE DATE OF AMALGAMATION | | | |
|------------------------|----------|---|--|---|--------------|
| EQUITY AND LIABILITIES | I | Equity and Liabilities | | | |
| | 1 | Shareholder's fund | | | |
| | | A | Share capital | | |
| | | | i | Authorised | Ai |
| | | | ii | Issued, Subscribed and fully Paid up | Aii |
| | | | iii | Subscribed but not fully paid | Aiii |
| | | | iv | Total (Aii + Aiii) | Aiv |
| | | | B | Reserves and Surplus | |
| | | | i | Capital Reserve | Bi |
| | | | ii | Capital Redemption Reserve | Bii |
| | | | iii | Securities Premium Reserve | Biii |
| | | | iv | Debenture Redemption Reserve | Biv |
| | | | v | Revaluation Reserve | Bv |
| | | | vi | Share options outstanding amount | Bvi |
| | | | vii | Other reserve (specify nature and amount) | |
| | | | | a | vii a |
| | | | | b | vii b |
| | | | | c Total (vii a + vii b) | Bvii |
| | | | viii | Surplus i.e. Balance in profit and loss account (Debit balance to be shown as -ve figure) | Bviii |
| | | | ix | Total (Bi + Bii + Biii + Biv + Bv + Bvi + Bvii + Bviii) (Debit balance to be shown as -ve figure) | Bix |
| | | C | Money received against share warrants | 1C | |
| | | D | Total Shareholder's fund (Aiv + Bix + 1C) | 1D | |
| | 2 | Share application money pending allotment | | | |
| | | i | Pending for less than one year | i | |
| | | ii | Pending for more than one year | ii | |
| | | iii | Total (i + ii) | 2 | |
| | 3 | Non-current liabilities | | | |
| | | A | Long-term borrowings | | |
| | | | i | Bonds/ debentures | |
| | | | a | Foreign currency | |
| | | | b | Rupee | |
| | | | c | Total (ia + ib) | |
| | | | ii | Term loans | |
| | | | a | Foreign currency | |
| | | | b | Rupee loans | |
| | | | 1 | From Banks | |
| | | | 2 | From others | |
| | | | 3 | Total (b1 + b2) | |
| | | | c | Total Term loans (iia + b3) | |
| | | iii | Deferred payment liabilities | iii | |
| | | iv | Deposits from related parties (see instructions) | iv | |
| | | v | Other deposits | v | |
| | | vi | Loans and advances from related parties (see instructions) | vi | |
| | | vii | Other loans and advances | vii | |
| | | viii | Long term maturities of finance lease obligations | viii | |
| | | ix | Total Long-term borrowings (ic + iic + iii + iv + v + vi + vii + viii) | 3A | |
| | | B | Deferred tax liabilities (net) | 3B | |
| | | C | Other long-term liabilities | | |

| | | | | | | | |
|----|---|------|--|--|------|--|-----|
| | | i | Trade payables | | i | | |
| | | ii | Others | | ii | | |
| | | iii | Total Other long-term liabilities (i + ii) | | | | 3C |
| | D | | Long-term provisions | | | | |
| | | i | Provision for employee benefits | | i | | |
| | | ii | Others | | ii | | |
| | | iii | Total (i + ii) | | | | 3D |
| | E | | Total Non-current liabilities (3A + 3B + 3C + 3D) | | | | 3E |
| 4 | | | Current liabilities | | | | |
| | A | | Short-term borrowings | | | | |
| | | i | Loans repayable on demand | | | | |
| | | a | From Banks | | ia | | |
| | | b | From Non-Banking Finance Companies | | ib | | |
| | | c | From other financial institutions | | ic | | |
| | | d | From others | | id | | |
| | | e | Total Loans repayable on demand (ia + ib + ic + id) | | | | ie |
| | | ii | Deposits from related parties (see instructions) | | | | ii |
| | | iii | Loans and advances from related parties (see instructions) | | | | iii |
| | | iv | Other loans and advances | | | | iv |
| | | v | Other deposits | | | | v |
| | | vi | Total Short-term borrowings (ie + ii + iii + iv + v) | | | | 4A |
| | B | | Trade payables | | | | |
| | | i | Outstanding for more than 1 year | | i | | |
| | | ii | Others | | ii | | |
| | | iii | Total Trade payables (i + ii) | | | | 4B |
| | C | | Other current liabilities | | | | |
| | | i | Current maturities of long-term debt | | i | | |
| | | ii | Current maturities of finance lease obligations | | ii | | |
| | | iii | Interest accrued but not due on borrowings | | iii | | |
| | | iv | Interest accrued and due on borrowings | | iv | | |
| | | v | Income received in advance | | v | | |
| | | vi | Unpaid dividends | | vi | | |
| | | vii | Application money received for allotment of securities and due for refund and interest accrued | | vii | | |
| | | viii | Unpaid matured deposits and interest accrued thereon | | viii | | |
| | | ix | Unpaid matured debentures and interest accrued thereon | | ix | | |
| | | x | Other payables | | x | | |
| | | xi | Total Other current liabilities (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x) | | | | 4C |
| | D | | Short-term provisions | | | | |
| | | i | Provision for employee benefit | | i | | |
| | | ii | Provision for Income-tax | | ii | | |
| | | iii | Proposed Dividend | | iii | | |
| | | iv | Tax on dividend | | iv | | |
| | | v | Other | | v | | |
| | | vi | Total Short-term provisions (i + ii + iii + iv + v) | | | | 4D |
| | E | | Total Current liabilities (4A + 4B + 4C + 4D) | | | | 4E |
| | | | Total Equity and liabilities (1D + 2 + 3E + 4E) | | | | I |
| II | | | ASSETS | | | | |
| | I | | Non-current assets | | | | |
| | A | | Fixed assets | | | | |
| | | i | Tangible assets | | | | |
| | | a | Gross block | | ia | | |
| | | b | Depreciation | | ib | | |
| | | c | Impairment losses | | ic | | |
| | | d | Net block (ia - ib - ic) | | id | | |
| | | ii | Intangible assets | | | | |
| | | a | Gross block | | iaa | | |
| | | b | Amortization | | iib | | |
| | | c | Impairment losses | | iic | | |
| | | d | Net block (iaa - iib - iic) | | iid | | |
| | | iii | Capital work-in-progress | | iii | | |
| | | iv | Intangible assets under development | | iv | | |
| | | v | Total Fixed assets (id + iid + iii + iv) | | | | Av |
| | B | | Non-current investments | | | | |
| | | i | Investment in property | | i | | |
| | | ii | Investments in Equity instruments | | | | |
| | | a | Listed equities | | iaa | | |
| | | b | Unlisted equities | | iib | | |
| | | c | Total (iaa + iib) | | iic | | |
| | | iii | Investments in Preference shares | | iii | | |

| | | | | | |
|---|------|---|------|--|-------|
| | iv | Investments in Government or trust securities | iv | | |
| | v | Investments in Debenture or bonds | v | | |
| | vi | Investments in Mutual funds | vi | | |
| | vii | Investments in Partnership firms | vii | | |
| | viii | Others Investments | viii | | |
| | ix | Total Non-current investments (i + iic + iii + iv + v + vi + vii + viii) | | | Bix |
| | C | Deferred tax assets (Net) | | | C |
| | D | Long-term loans and advances | | | |
| | i | Capital advances | i | | |
| | ii | Security deposits | ii | | |
| | iii | Loans and advances to related parties (<i>see instructions</i>) | iii | | |
| | iv | Other Loans and advances | iv | | |
| | v | Total Long-term loans and advances (i + ii + iii + iv) | | | Dv |
| | vi | Long-term loans and advances included in Dv which is | | | |
| | a | for the purpose of business or profession | via | | |
| | b | not for the purpose of business or profession | vib | | |
| | c | given to shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act | vic | | |
| | E | Other non-current assets | | | |
| | i | Long-term trade receivables | | | |
| | a | Secured, considered good | ia | | |
| | b | Unsecured, considered good | ib | | |
| | c | Doubtful | ic | | |
| | d | Total Other non-current assets (ia + ib + ic) | id | | |
| | ii | Others | ii | | |
| | iii | Total (id + ii) | | | Eiii |
| | iv | Non-current assets included in Eiii which is due from shareholder, being the beneficial owner of share, or from any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act | iv | | |
| | F | Total Non-current assets (Av + Bix + C + Dv + Eiii) | | | 1F |
| 2 | | Current assets | | | |
| | A | Current investments | | | |
| | i | Investment in Equity instruments | | | |
| | a | Listed equities | ia | | |
| | b | Unlisted equities | ib | | |
| | c | Total (ia + ib) | ic | | |
| | ii | Investment in Preference shares | ii | | |
| | iii | Investment in government or trust securities | iii | | |
| | iv | Investment in debentures or bonds | iv | | |
| | v | Investment in Mutual funds | v | | |
| | vi | Investment in partnership firms | vi | | |
| | vii | Other investment | vii | | |
| | viii | Total Current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii) | | | Aviii |
| | B | Inventories | | | |
| | i | Raw materials | i | | |
| | ii | Work-in-progress | ii | | |
| | iii | Finished goods | iii | | |
| | iv | Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading) | iv | | |
| | v | Stores and spares | v | | |
| | vi | Loose tools | vi | | |
| | vii | Others | vii | | |
| | viii | Total Inventories (i + ii + iii + iv + v + vi + vii) | | | Bviii |
| | C | Trade receivables | | | |
| | i | Outstanding for more than 6 months | i | | |
| | ii | Others | ii | | |
| | iii | Total Trade receivables (i + ii + iii) | | | Ciii |
| | D | Cash and cash equivalents | | | |
| | i | Balances with Banks | i | | |
| | ii | Cheques, drafts in hand | ii | | |
| | iii | Cash in hand | iii | | |
| | iv | Others | iv | | |
| | v | Total Cash and cash equivalents (i + ii + iii + iv) | | | Dv |
| | E | Short-term loans and advances | | | |
| | i | Loans and advances to related parties (<i>see instructions</i>) | i | | |
| | ii | Others | ii | | |
| | iii | Total Short-term loans and advances (i + ii) | | | Eiii |
| | iv | Short-term loans and advances included in Eiii which is | | | |
| | a | for the purpose of business or profession | iva | | |
| | b | not for the purpose of business or profession | ivb | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---|--|-----|--|----|--|
| | | c | given to a shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act | ivc | | | |
| F | Other current assets | | | | | F | |
| G | Total Current assets (Aviii + Bviii + Ciii + Dv + Eiii + F) | | | | | 2G | |
| Total Assets (1F + 2G) | | | | | | II | |

Part A-BS – Ind AS BALANCE SHEET AS ON 31ST DAY OF MARCH, 2024 OR AS ON THE DATE OF BUSINESS COMBINATION [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015]

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--|--|---------------------------|-------------|--|-----------|
| I | Equity and Liabilities | | | | | | |
| 1 | Equity | | | | | | |
| | A | Equity share capital | | | | | |
| | | i | Authorised | Ai | | | |
| | | ii | Issued, Subscribed and fully paid up | Aii | | | |
| | | iii | Subscribed but not fully paid | Aiii | | | |
| | | iv | Total (Aii + Aiii) | | Aiv | | |
| | B | Other Equity | | | | | |
| | | i | Other Reserves | | | | |
| | | a | Capital Redemption Reserve | ia | | | |
| | | b | Debenture Redemption Reserve | ib | | | |
| | | c | Share Options Outstanding account | ic | | | |
| | | d | Other (specify nature and amount) | id | | | |
| | | e | Total other reserves (ia + ib + ic + id) | ie | | | |
| | | ii | Retained earnings (Debit balance of statement of P&L to be shown as –ve figure) | ii | | | |
| | | iii | Total (Bie + ii) (Debit balance to be shown as –ve figure) | | Biii | | |
| | C | Total Equity (Aiv + Biii) | | | | | 1C |
| 2 | Liabilities | | | | | | |
| | A | Non-current liabilities | | | | | |
| | I | Financial Liabilities | | | | | |
| | | Borrowings | | | | | |
| | | a | Bonds or debentures | | | | |
| | | 1 | Foreign currency | a1 | | | |
| | | 2 | Rupee | a2 | | | |
| | | 3 | Total (1 + 2) | | a3 | | |
| | | b | Term loans | | | | |
| | | 1 | Foreign currency | b1 | | | |
| | | 2 | Rupee loans | | | | |
| | | | i | From Banks | i | | |
| | | | ii | From other parties | ii | | |
| | | | iii | Total (i + ii) | b2 | | |
| | | 3 | Total Term loans (b1 + b2) | | b3 | | |
| | c | Deferred payment liabilities | | | | | c |
| | d | Deposits | | | | | d |
| | e | Loans from related parties (see instructions) | | | | | e |
| | f | Long term maturities of finance lease obligations | | | | | f |
| | g | Liability component of compound financial instruments | | | | | g |
| | h | Other loans | | | | | h |
| | i | Total borrowings (a3 + b3 + c + d + e + f + g + h) | | | | | i |
| | j | Trade Payables | | | | | j |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---|------|-----------|--|
| | k | Other financial liabilities (Other than those specified in II under provisions) | | k | | |
| II | Provisions | | | | | |
| | a | Provision for employee benefits | a | | | |
| | b | Others (specify nature) | b | | | |
| | c | Total Provisions | | IIc | | |
| III | Deferred tax liabilities (net) | | | | III | |
| IV | Other non-current liabilities | | | | | |
| | a | Advances | a | | | |
| | b | Others (specify nature) | b | | | |
| | c | Total Other non-current liabilities | | IVc | | |
| Total Non-Current Liabilities (Ii + Ij + Ik + IIc + III + IVc) | | | | | 2A | |
| B | Current liabilities | | | | | |
| I | Financial Liabilities | | | | | |
| | i | Borrowings | | | | |
| | a | Loans repayable on demand | | | | |
| | | 1 | From Banks | 1 | | |
| | | 2 | From Other parties | 2 | | |
| | | 3 | Total Loans repayable on demand (1 + 2) | 3 | | |
| | b | Loans from related parties | | b | | |
| | c | Deposits | | c | | |
| | d | Other loans (specify nature) | | d | | |
| | Total Borrowings (a3 + b + c + d) | | | Ii | | |
| | ii | Trade payables | | Iii | | |
| | iii | Other financial liabilities | | | | |
| | a | Current maturities of long-term debt | | a | | |
| | b | Current maturities of finance lease obligations | | b | | |
| | c | Interest accrued | | c | | |
| | d | Unpaid dividends | | d | | |
| | e | Application money received for allotment of securities to the extent refundable and interest accrued thereon | | e | | |
| | f | Unpaid matured deposits and interest accrued thereon | | f | | |
| | g | Unpaid matured debentures and interest accrued thereon | | g | | |
| | h | Others (specify nature) | | h | | |
| | i | Total Other financial liabilities (a + b +c +d +e +f +g+ h) | | Iiii | | |
| | iv | Total Financial Liabilities (Ii + Iii + Iiii) | | Iiv | | |
| II | Other Current liabilities | | | | | |
| | a | Revenue received in advance | | a | | |
| | b | Other advances (specify nature) | | b | | |
| | c | Others (specify nature) | | c | | |
| | d | Total Other current liabilities (a + b+ c) | | II d | | |
| III | Provisions | | | | | |
| | a | Provision for employee benefits | | a | | |
| | b | Others (specify nature) | | b | | |
| | c | Total provisions (a + b) | | IIIc | | |
| IV | Current Tax Liabilities (Net) | | | | IV | |
| Total Current liabilities (Iiv + II d + IIIc+ IV) | | | | | 2B | |
| Total Equity and liabilities (1C + 2A +2B) | | | | | I | |

| II | | ASSETS | | | | |
|------|--|---|-----|--|-----|---|
| 1 | | Non-current assets | | | | |
| A | | Property, Plant and Equipment | | | | |
| a | | Gross block | a | | | |
| b | | Depreciation | b | | | |
| c | | Impairment losses | c | | | |
| d | | Net block (a - b - c) | | | Ad | |
| B | | Capital work-in-progress | | | | B |
| C | | Investment Property | | | | |
| a | | Gross block | a | | | |
| b | | Depreciation | b | | | |
| c | | Impairment losses | c | | | |
| d | | Net block (a - b - c) | | | Cd | |
| D | | Goodwill | | | | |
| a | | Gross block | a | | | |
| b | | Impairment losses | b | | | |
| c | | Net block (a - b) | | | Dc | |
| E | | Other Intangible Assets | | | | |
| a | | Gross block | a | | | |
| b | | Amortisation | b | | | |
| c | | Impairment losses | c | | | |
| d | | Net block (a - b - c) | | | Ed | |
| F | | Intangible assets under development | | | | F |
| G | | Biological assets other than bearer plants | | | | |
| a | | Gross block | a | | | |
| b | | Impairment losses | b | | | |
| c | | Net block (a - b) | | | Gc | |
| H | | Financial Assets | | | | |
| I | | Investments | | | | |
| i | | Investments in Equity instruments | | | | |
| a | | Listed equities | ia | | | |
| b | | Unlisted equities | ib | | | |
| c | | Total (ia + ib) | | | ic | |
| ii | | Investments in Preference shares | ii | | | |
| iii | | Investments in Government or trust securities | iii | | | |
| iv | | Investments in Debenture or bonds | iv | | | |
| v | | Investments in Mutual funds | v | | | |
| vi | | Investments in Partnership firms | vi | | | |
| vii | | Others Investments (specify nature) | vii | | | |
| viii | | Total non-current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii) | | | HI | |
| II | | Trade Receivables | | | | |
| a | | Secured, considered good | a | | | |
| b | | Unsecured, considered good | b | | | |
| c | | Doubtful | c | | | |
| d | | Total Trade receivables | | | III | |
| III | | Loans | | | | |
| i | | Security deposits | i | | | |

| | | | | | | | |
|--|----|------|--|-----|--|------|--|
| | | ii | Loans to related parties (<i>see instructions</i>) | ii | | | |
| | | iii | Other loans (specify nature) | iii | | | |
| | | iv | Total Loans (i + ii + iii) | | | HIII | |
| | | v | Loans included in HIII above which is- | | | | |
| | | a | for the purpose of business or profession | va | | | |
| | | b | not for the purpose of business or profession | vb | | | |
| | | c | given to shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act | vc | | | |
| | | IV | Other Financial Assets | | | | |
| | | i | Bank Deposits with more than 12 months maturity | i | | | |
| | | ii | Others | ii | | | |
| | | iii | Total of Other Financial Assets (i + ii) | | | HIV | |
| | I | | Deferred Tax Assets (Net) | | | I | |
| | J | | Other non-current Assets | | | | |
| | | i | Capital Advances | i | | | |
| | | ii | Advances other than capital advances | ii | | | |
| | | iii | Others (specify nature) | iii | | | |
| | | iv | Total non-current assets (i + ii + iii) | | | J | |
| | | v | Non-current assets included in J above which is due from shareholder, being the beneficial owner of share, or from any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act | v | | | |
| | | | Total Non-current assets (Ad + B + Cd + Dc + Ed + F + Gc + HI + HII + HIII + HIII + HIV + I + J) | | | 1 | |
| | 2 | | Current assets | | | | |
| | A | | Inventories | | | | |
| | | i | Raw materials | i | | | |
| | | ii | Work-in-progress | ii | | | |
| | | iii | Finished goods | iii | | | |
| | | iv | Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading) | iv | | | |
| | | v | Stores and spares | v | | | |
| | | vi | Loose tools | vi | | | |
| | | vii | Others | vii | | | |
| | | viii | Total Inventories (i + ii + iii + iv + v + vi + vii) | | | 2A | |
| | B | | Financial Assets | | | | |
| | I | | Investments | | | | |
| | | i | Investment in Equity instruments | | | | |
| | | a | Listed equities | ia | | | |
| | | b | Unlisted equities | ib | | | |
| | | c | Total (ia + ib) | ic | | | |
| | | ii | Investment in Preference shares | ii | | | |
| | | iii | Investment in government or trust securities | iii | | | |
| | | iv | Investment in debentures or bonds | iv | | | |
| | | v | Investment in Mutual funds | v | | | |
| | | vi | Investment in partnership firms | vi | | | |
| | | vii | Other Investments | vii | | | |
| | | viii | Total Current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii) | | | I | |
| | II | | Trade receivables | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|-----|--|-----|
| | i | Secured, considered good | i | | |
| | ii | Unsecured, considered good | ii | | |
| | iii | Doubtful | iii | | |
| | iv | Total Trade receivables (i + ii + iii) | | | II |
| III | Cash and cash equivalents | | | | |
| | i | Balances with Banks (of the nature of cash and cash equivalents) | i | | |
| | ii | Cheques, drafts in hand | ii | | |
| | iii | Cash on hand | iii | | |
| | iv | Others (specify nature) | iv | | |
| | v | Total Cash and cash equivalents (i + ii + iii + iv) | | | III |
| IV | Bank Balances other than III above | | | | IV |
| V | Loans | | | | |
| | i | Security Deposits | i | | |
| | ii | Loans to related parties (<i>see instructions</i>) | ii | | |
| | iii | Others (specify nature) | iii | | |
| | iv | Total loans (i + ii + iii) | | | V |
| | v | Loans and advances included in V above which is- | | | |
| | a | for the purpose of business or profession | va | | |
| | b | not for the purpose of business or profession | vb | | |
| | c | given to a shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act | vc | | |
| VI | Other Financial Assets | | | | VI |
| Total Financial Assets (I + II + III + IV + V + VI) | | | | | 2B |
| C | Current Tax Assets (Net) | | | | 2C |
| D | Other current assets | | | | |
| | i | Advances other than capital advances | i | | |
| | ii | Others (specify nature) | ii | | |
| | iii | Total | | | 2D |
| Total Current assets (2A + 2B + 2C + 2D) | | | | | 2 |
| Total Assets (1 + 2) | | | | | II |

| Part A- Manufacturing Account | | Manufacturing Account for the financial year 2023-24 (<i>fill items 1 to 3 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 61 to 62 as applicable</i>) | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----|------|
| 1 | Debits to Manufacturing account | | | | |
| | A | Opening Inventory | | | |
| | | i | Opening stock of raw-material | i | |
| | | ii | Opening stock of Work in progress | ii | |
| | | iii | Total (i + ii) | | Aiii |
| | B | Purchases (net of refunds and duty or tax, if any) | | | B |
| | C | Direct wages | | | C |
| | D | Direct expenses (Di + Dii + Diii) | | | D |
| | | i | Carriage inward | i | |
| | | ii | Power and fuel | ii | |
| | | iii | Other direct expenses | iii | |
| | E | Factory Overheads | | | |
| | | i | Indirect wages | i | |
| | | ii | Factory rent and rates | ii | |
| | | iii | Factory Insurance | iii | |
| | | iv | Factory fuel and power | iv | |
| | | v | Factory general expenses | v | |
| | | vi | Depreciation of factory machinery | vi | |
| | | vii | Total (i+ii+iii+iv+v+vi) | | Evii |
| | F | Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii+B+C+D+Evii) | | | 1F |
| 2 | Closing Stock | | | | |
| | i | Raw material | 2i | | |

| | | | | | |
|---|--|------------------|-----|---|--|
| | ii | Work-in-progress | 2ii | | |
| | Total (2i+2ii) | | | 2 | |
| 3 | Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F - 2) | | | 3 | |

| Part A- Trading Account | | Trading Account for the financial year 2023-24 (fill items 4 to 12 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 61 to 62 as applicable) | | | | |
|-------------------------------|------|--|---|---------------------|-----|---|
| CREDITS TO TRADING ACCOUNT | 4 | Revenue from operations | | | | |
| | A | Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any) | | | | |
| | | i | Sale of goods | i | | |
| | | ii | Sale of services | ii | | |
| | | iii | Other operating revenues (specify nature and amount) | | | |
| | | a | | iiia | | |
| | | b | | iiib | | |
| | | c | Total (iiia + iiib) | iiic | | |
| | | iv | Total (i + ii + iiic) | | Aiv | |
| | | B | Gross receipts from Profession | | | B |
| | | C | Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied | | | |
| | | | i | Union Excise duties | i | |
| | | | ii | Service tax | ii | |
| | | | iii | VAT/ Sales tax | iii | |
| | | iv | Central Goods & Service Tax (CGST) | iv | | |
| | | v | State Goods & Services Tax (SGST) | v | | |
| | | vi | Integrated Goods & Services Tax (IGST) | vi | | |
| | | vii | Union Territory Goods & Services Tax (UTGST) | vii | | |
| | | viii | Any other duty, tax and cess | viii | | |
| | | ix | Total (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii) | | Cix | |
| | D | Total Revenue from operations (Aiv + B +Cix) | | | 4D | |
| | 5 | Closing Stock of Finished Goods | | | 5 | |
| | 6 | Total of credits to Trading Account (4D + 5) | | | 6 | |
| DEBITS TO TRADING ACCOUNT | 7 | Opening Stock of Finished Goods | | | 7 | |
| | 8 | Purchases (net of refunds and duty or tax, if any) | | | 8 | |
| | 9 | Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii) | | | 9 | |
| | | i | Carriage inward | i | | |
| | | ii | Power and fuel | ii | | |
| | | iii | Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses | iii | | |
| | 10 | Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased | | | | |
| | | i | Custom duty | 10i | | |
| | | ii | Counter veiling duty | 10ii | | |
| | | iii | Special additional duty | 10iii | | |
| | | iv | Union excise duty | 10iv | | |
| | v | Service tax | 10v | | | |
| | vi | VAT/ Sales tax | 10vi | | | |
| | vii | Central Goods & Service Tax (CGST) | 10vii | | | |
| | viii | State Goods & Services Tax (SGST) | 10viii | | | |
| | ix | Integrated Goods & Services Tax (IGST) | 10ix | | | |

| | | | | | |
|-----|---|---|-------|--|--|
| | x | Union Territory Goods & Services Tax (UTGST) | 10x | | |
| | xi | Any other tax, paid or payable | 10xi | | |
| | xii | Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi) | 10xii | | |
| | 11 | Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account | 11 | | |
| | 12 | Gross Profit from Business/Profession - transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11) | 12 | | |
| | 12a | Turnover from Intraday Trading | 12a | | |
| 12b | Income from Intraday Trading - transferred to Profit and Loss account | 12b | | | |

Part A-P & L Profit and Loss Account for the financial year 2023-24 (fill items 13 to 60 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 61 to 62 as applicable)

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------|---|--|--------|----------|-------|--|
| CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT | 13 | Gross profit transferred from Trading Account (12+12b) | | | | 13 | |
| | 14 | Other income | | | | | |
| | | i | Rent | i | | | |
| | | ii | Commission | ii | | | |
| | | iii | Dividend income | iii | | | |
| | | iv | Interest income | iv | | | |
| | | v | Profit on sale of fixed assets | v | | | |
| | | vi | Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT) | vi | | | |
| | | vii | Profit on sale of other investment | vii | | | |
| | | viii | Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA | viii | | | |
| | | ix | Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (Fair Market Value of inventory as on the date of conversion) | ix | | | |
| | | x | Agricultural income | x | | | |
| | | xi | Any other income (specify nature and amount) | | | | |
| | | A | xia | | | | |
| | | B | xib | | | | |
| | | C | Total (xia + xib) | | xic | | |
| | xii | Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic) | | | | 14xii | |
| | 15 | Total of credits to profit and loss account (13+14xii) | | | | 15 | |
| DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT | 16 | Freight outward | | | | 16 | |
| | 17 | Consumption of stores and spare parts | | | | 17 | |
| | 18 | Power and fuel | | | | 18 | |
| | 19 | Rents | | | | 19 | |
| | 20 | Repairs to building | | | | 20 | |
| | 21 | Repairs to machinery | | | | 21 | |
| | 22 | Compensation to employees | | | | | |
| | | i | Salaries and wages | 22i | | | |
| | | ii | Bonus | 22ii | | | |
| | | iii | Reimbursement of medical expenses | 22iii | | | |
| | | iv | Leave encashment | 22iv | | | |
| | | v | Leave travel benefits | 22v | | | |
| | | vi | Contribution to approved superannuation fund | 22vi | | | |
| | | vii | Contribution to recognised provident fund | 22vii | | | |
| | | viii | Contribution to recognised gratuity fund | 22viii | | | |
| | ix | Contribution to any other fund | 22ix | | | | |
| | x | Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred | 22x | | | | |
| | xi | Total compensation to employees (total of 22i to 22x) | | 22xi | | | |
| | xiaa | Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents | | xiaa | Yes / No | | |
| | xiib | If Yes, amount paid to non-residents | | xiib | | | |
| | 23 | Insurance | | | | | |
| | i | Medical Insurance | 23i | | | | |
| | ii | Life Insurance | 23ii | | | | |
| | iii | Keyman's Insurance | 23iii | | | | |
| | iv | Other Insurance including factory, office, car, goods, etc. | 23iv | | | | |
| | v | Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv) | | 23v | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|-------|---------|----------|----------|--------|
| 24 | Workmen and staff welfare expenses | | | | | | | | | | 24 | |
| 25 | Entertainment | | | | | | | | | | 25 | |
| 26 | Hospitality | | | | | | | | | | 26 | |
| 27 | Conference | | | | | | | | | | 27 | |
| 28 | Sales promotion including publicity (other than advertisement) | | | | | | | | | | 28 | |
| 29 | Advertisement | | | | | | | | | | 29 | |
| 30 | Commission | | | | | | | | | | | |
| | i | Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company | | | | | | | i | | | |
| | ii | To others | | | | | | | ii | | | |
| | iii | Total (i + ii) | | | | | | | | | 30iii | |
| 31 | Royalty | | | | | | | | | | | |
| | i | Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company | | | | | | | i | | | |
| | ii | To others | | | | | | | ii | | | |
| | iii | Total (i + ii) | | | | | | | | | 31iii | |
| 32 | Professional / Consultancy fees / Fee for technical services | | | | | | | | | | | |
| | i | Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company | | | | | | | i | | | |
| | ii | To others | | | | | | | ii | | | |
| | iii | Total (i + ii) | | | | | | | | | 32iii | |
| 33 | Hotel, boarding and Lodging | | | | | | | | | | 33 | |
| 34 | Traveling expenses other than on foreign traveling | | | | | | | | | | 34 | |
| 35 | Foreign travelling expenses | | | | | | | | | | 35 | |
| 36 | Conveyance expenses | | | | | | | | | | 36 | |
| 37 | Telephone expenses | | | | | | | | | | 37 | |
| 38 | Guest House expenses | | | | | | | | | | 38 | |
| 39 | Club expenses | | | | | | | | | | 39 | |
| 40 | Festival celebration expenses | | | | | | | | | | 40 | |
| 41 | Scholarship | | | | | | | | | | 41 | |
| 42 | Gift | | | | | | | | | | 42 | |
| 43 | Donation | | | | | | | | | | 43 | |
| 44 | Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income) | | | | | | | | | | | |
| | i | Union excise duty | | | | | | | 44i | | | |
| | ii | Service tax | | | | | | | 44ii | | | |
| | iii | VAT/ Sales tax | | | | | | | 44iii | | | |
| | iv | Cess | | | | | | | 44iv | | | |
| | v | Central Goods & Service Tax (CGST) | | | | | | | 44v | | | |
| | vi | State Goods & Services Tax (SGST) | | | | | | | 44vi | | | |
| | vii | Integrated Goods & Services Tax (IGST) | | | | | | | 44vii | | | |
| | viii | Union Territory Goods & Services Tax (UTGST) | | | | | | | 44viii | | | |
| | ix | Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT | | | | | | | 44ix | | | |
| | x | Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix) | | | | | | | | | 44x | |
| 45 | Audit fee | | | | | | | | | | 45 | |
| 46 | Other expenses (specify nature and amount) | | | | | | | | | | | |
| | i | | | | | | | | i | | | |
| | ii | | | | | | | | ii | | | |
| | iii | Total (i + ii) | | | | | | | | | 46iii | |
| 47 | Bad debts (specify PAN/Aadhaar No. of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount) | | | | | | | | | | | |
| | (i1) | | | | | | | | | | 47i(1) | |
| | (i2) | | | | | | | | | | 47ii(2) | |
| | (i3) | | | | | | | | | | 47i(3) | |
| | (Rows can be added as required) Total [47i(1)+47i(2)+47i(3)] | | | | | | | | | | 47i | |
| | ii | Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN/Aadhaar No. is not available (provide name and complete address) | | | | | | | 47ii | | | |
| | S.No. | Name | Flat / Door/ Block No | Name of Premises/ Building/ Village | Road/ Street/ Post Office | Area/ Locality | Town/ City/ District | State | Country | PIN Code | ZIP Code | Amount |
| | 1 | | | | | | | | | | | |
| | Rows can be added as required | | | | | | | | | | | |
| | iii | Others (amounts less than Rs. 1 lakh) | | | | | | | 47iii | | | |
| | iv | Total Bad Debt (47i + 47ii + 47iii) | | | | | | | | | 47iv | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|----------------------------|--|--|---|
| PROVISIONS FOR TAX AND APPROPRIATIONS | 48 | Provision for bad and doubtful debts | | | | 48 | |
| | 49 | Other provisions | | | | 49 | |
| | 50 | Profit before interest, depreciation and taxes [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)] | | | | 50 | |
| | 51 | Interest | | | | | |
| | | i | Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company | | i | | |
| | | ii | To others | | ii | | |
| | | iii | Total (i + ii) | | | 51iii | |
| | 52 | Depreciation and amortization | | | | 52 | |
| | 53 | Net profit before taxes (50 – 51iii – 52) | | | | 53 | |
| | 54 | Provision for current tax | | | | 54 | |
| | 55 | Provision for Deferred Tax | | | | 55 | |
| | 56 | Profit after tax (53 - 54 - 55) | | | | 56 | |
| | 57 | Balance brought forward from previous year | | | | 57 | |
| | 58 | Amount available for appropriation (56 + 57) | | | | 58 | |
| | 59 | Appropriations | | | | | |
| | | i | Transfer to reserves and surplus | | 59i | | |
| | | ii | Proposed dividend/ Interim dividend | | 59ii | | |
| | | iii | Tax on dividend/ Tax on dividend for earlier years | | 59iii | | |
| | | iv | Appropriation towards Corporate Social Responsibility (CSR) activities (in case of companies covered under section 135 of the Companies Act, 2013) | | 59iv | | |
| | | v | Any other appropriation | | 59v | | |
| | | vi | Total (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v) | | 59vi | | |
| | 60 | Balance carried to balance sheet (58 - 59vi) | | | | 60 | |
| | 61 | COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE | | | | | |
| | | SR. NO. | Name of Business | | Business code | Description | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Registration No. of goods carriage | Whether owned/leased/hired | Tonnage capacity of goods carriage (in MT) | Number of months for which goods carriage was owned/leased/hired by assessee | Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher |
| | | (i) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | (a) | | | | | | |
| | (b) | | | | | | |
| | | Total | | | | | |
| | Add row options as necessary (Please Note : At any time during the year the number of vehicles should not exceed 10 vehicles) | | | | | | |
| | (ii) | Total presumptive income from goods carriage u/s 44AE [total of column (5) of table 61(i)] | | | | 61(ii) | |
| | <i>NOTE— If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of goods carriage owned / leased / hired at any time during the year exceeds 10, then, it is mandatory to maintain books of account and have a tax audit under section 44AB</i> | | | | | | |
| NO ACCOUNT CASE | 62 | In case of Foreign Company whose total income comprises of profits and gains from business referred to in sections 44B, 44BB, 44BBA, 44BBB or 44D furnish the following information | | | | | |
| | a | Gross receipts / Turnover | | | | 62a | |
| | b | Net profit | | | | 62b | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----|--|--|
| Part A- Manufacturing Account Ind-AS | Manufacturing Account for the financial year 2023-24 [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015]] | | | | | | |
| | 1 | Debits to Manufacturing account | | | | | |
| | | A | Opening Inventory | | | | |
| | | | i | Opening stock of raw-material | i | | |
| | | | ii | Opening stock of Work in progress | ii | | |

| | | | | | |
|----------|---|---|-----|-----------|--|
| | iii | Total (i + ii) | | Aiii | |
| | B | Purchases (net of refunds and duty or tax, if any) | | B | |
| | C | Direct wages | | C | |
| | D | Direct expenses | | D | |
| | i | Carriage inward | i | | |
| | ii | Power and fuel | ii | | |
| | iii | Other direct expenses | iii | | |
| | E | Factory Overheads | | | |
| | i | Indirect wages | | | |
| | ii | Factory rent and rates | | | |
| | iii | Factory Insurance | | | |
| | iv | Factory fuel and power | | | |
| | v | Factory general expenses | | | |
| | vi | Depreciation of factory machinery | | | |
| | vii | Total (i+ii+iii+iv+v+vi) | | Evii | |
| | F | Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii+B+C+D+Evii) | | 1F | |
| 2 | Closing Stock | | | | |
| | i | Raw material | 2i | | |
| | ii | Work-in-progress | 2ii | | |
| | Total (2i + 2ii) | | | 2 | |
| 3 | Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F - 2) | | | 3 | |

| Part A-Trading Account Ind-AS | | Trading Account for the financial year 2023-24 [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015] | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|--|--|----------|--|
| CREDITS TO TRADING ACCOUNT | 4 | Revenue from operations | | | | |
| | | A | Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any) | | | |
| | | | i | Sale of goods | i | |
| | | | ii | Sale of services | ii | |
| | | | iii | Other operating revenues (specify nature and amount) | | |
| | | | a | | iiia | |
| | | | b | | iiib | |
| | | | c | Total (iiia + iiib) | iiic | |
| | | | iv | Total (i + ii + iiic) | Aiv | |
| | | B | Gross receipts from Profession | | B | |
| | | C | Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied | | | |
| | | | i | Union Excise duties | i | |
| | | | ii | Service tax | ii | |
| | | | iii | VAT/ Sales tax | iii | |
| | | iv | Central Goods & Service Tax (CGST) | iv | | |
| | | v | State Goods & Services Tax (SGST) | v | | |
| | | vi | Integrated Goods & Services Tax (IGST) | vi | | |
| | | vii | Union Territory Goods & Services Tax (UTGST) | vii | | |
| | | viii | Any other duty, tax and cess | viii | | |
| | | ix | Total (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii) | Cix | | |
| | D | Total Revenue from operations (Aiv + B + Cix) | | 4D | | |
| | 5 | Closing Stock of Finished Goods | | | 5 | |
| | 6 | Total of credits to Trading Account (4D + 5) | | | 6 | |
| DEBITS TO TRADING ACCOUNT | 7 | Opening Stock of Finished Goods | | | 7 | |
| | 8 | Purchases (net of refunds and duty or tax, if any) | | | 8 | |
| | 9 | Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii) | | | 9 | |
| | | i | Carriage inward | i | | |
| | | ii | Power and fuel | ii | | |
| | | iii | Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses | iii | | |
| | 10 | Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased | | | | |
| | | i | Custom duty | 10i | | |
| | | ii | Counter veiling duty | 10ii | | |
| | | iii | Special additional duty | 10iii | | |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|--|-----|--|
| | iv | Union excise duty | 10iv | | | |
| | v | Service tax | 10v | | | |
| | vi | VAT/ Sales tax | 10vi | | | |
| | vii | Central Goods & Service Tax (CGST) | 10vii | | | |
| | viii | State Goods & Services Tax (SGST) | 10viii | | | |
| | ix | Integrated Goods & Services Tax (IGST) | 10ix | | | |
| | x | Union Territory Goods & Services Tax (UTGST) | 10x | | | |
| | xi | Any other tax, paid or payable | 10xi | | | |
| | xii | Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi) | 10xii | | | |
| 11 | Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account | | | | 11 | |
| 12 | Gross Profit from Business/Profession - transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11) | | | | 12 | |
| 12a | Turnover from Intraday Trading | | | | 12a | |
| 12b | Income from Intraday Trading - transferred to Profit and Loss account | | | | 12b | |

**Part A-P&L
Ind-AS**
Profit and Loss Account for the financial year 2023-24 [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015]

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----|--|--|--------|----------|-------|
| CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT | 13 | Gross profit transferred from Trading Account (12+12b) | | | | |
| | 14 | Other income | | | | |
| | | i | Rent | i | | |
| | | ii | Commission | ii | | |
| | | iii | Dividend income | iii | | |
| | | iv | Interest income | iv | | |
| | | v | Profit on sale of fixed assets | v | | |
| | | vi | Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT) | vi | | |
| | | vii | Profit on sale of other investment | vii | | |
| | | viii | Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA | viii | | |
| | | ix | Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (Fair Market Value of inventory as on the date of conversion) | ix | | |
| | | x | Agricultural income | x | | |
| | | xi | Any other income (specify nature and amount) | | | |
| | | a | xia | | | |
| | | b | xib | | | |
| | | c | Total (xia + xib) | | xic | |
| | xii | Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic) | | | | 14xii |
| | 15 | Total of credits to profit and loss account (13+14xii) | | | | 15 |
| | 16 | Freight outward | | | | 16 |
| | 17 | Consumption of stores and spare parts | | | | 17 |
| | 18 | Power and fuel | | | | 18 |
| | 19 | Rents | | | | 19 |
| | 20 | Repairs to building | | | | 20 |
| | 21 | Repairs to machinery | | | | 21 |
| | 22 | Compensation to employees | | | | |
| | | i | Salaries and wages | 22i | | |
| | | ii | Bonus | 22ii | | |
| | | iii | Reimbursement of medical expenses | 22iii | | |
| | | iv | Leave encashment | 22iv | | |
| | | v | Leave travel benefits | 22v | | |
| | | vi | Contribution to approved superannuation fund | 22vi | | |
| | | vii | Contribution to recognised provident fund | 22vii | | |
| | | viii | Contribution to recognised gratuity fund | 22viii | | |
| | | ix | Contribution to any other fund | 22ix | | |
| | | x | Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred | 22x | | |
| | | xi | Total compensation to employees (total of 22i to 22x) | | 22xi | |
| | | xii | Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents | xiiia | Yes / No | |
| | | | If Yes, amount paid to non-residents | xiiib | | |
| | 23 | Insurance | | | | |
| | | i | Medical Insurance | 23i | | |
| | | ii | Life Insurance | 23ii | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|-------|---------|----------|----------|--------|--|--|--|--------|--|------|--|--------|
| | iii | Keyman's Insurance | 23iii | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | iv | Other Insurance including factory, office, car, goods, etc. | 23iv | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | v | Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Workmen and staff welfare expenses | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | |
| 25 | Entertainment | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | |
| 26 | Hospitality | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | |
| 27 | Conference | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | |
| 28 | Sales promotion including publicity (other than advertisement) | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | |
| 29 | Advertisement | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | |
| 30 | Commission | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | i | Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company | | | | | | | | | | | | | | i | | | | |
| | ii | To others | | | | | | | | | | | | | | ii | | | | |
| | iii | Total (i + ii) | | | | | | | | | | | | | | 30iii | | | | |
| 31 | Royalty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | i | Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company | | | | | | | | | | | | | | i | | | | |
| | ii | To others | | | | | | | | | | | | | | ii | | | | |
| | iii | Total (i + ii) | | | | | | | | | | | | | | 31iii | | | | |
| 32 | Professional / Consultancy fees / Fee for technical services | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | i | Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company | | | | | | | | | | | | | | i | | | | |
| | ii | To others | | | | | | | | | | | | | | ii | | | | |
| | iii | Total (i + ii) | | | | | | | | | | | | | | 32iii | | | | |
| 33 | Hotel, boarding and Lodging | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | |
| 34 | Traveling expenses other than on foreign traveling | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | |
| 35 | Foreign travelling expenses | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | |
| 36 | Conveyance expenses | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | |
| 37 | Telephone expenses | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | |
| 38 | Guest House expenses | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | |
| 39 | Club expenses | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | |
| 40 | Festival celebration expenses | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | |
| 41 | Scholarship | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | | |
| 42 | Gift | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | |
| 43 | Donation | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | | |
| 44 | Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | i | Union excise duty | | | | | | | | | | | | | | 44i | | | | |
| | ii | Service tax | | | | | | | | | | | | | | 44ii | | | | |
| | iii | VAT/ Sales tax | | | | | | | | | | | | | | 44iii | | | | |
| | iv | Cess | | | | | | | | | | | | | | 44iv | | | | |
| | v | Central Goods & Service Tax (CGST) | | | | | | | | | | | | | | 44v | | | | |
| | vi | State Goods & Services Tax (SGST) | | | | | | | | | | | | | | 44vi | | | | |
| | vii | Integrated Goods & Services Tax (IGST) | | | | | | | | | | | | | | 44vii | | | | |
| | viii | Union Territory Goods & Services Tax (UTGST) | | | | | | | | | | | | | | 44viii | | | | |
| | ix | Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT | | | | | | | | | | | | | | 44ix | | | | |
| | x | Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii +44iii +44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii +44ix) | | | | | | | | | | | | | | 44x | | | | |
| 45 | Audit fee | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | |
| 46 | Other expenses (specify nature and amount) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | i | | | | | | | | | | | | | | | i | | | | |
| | ii | | | | | | | | | | | | | | | ii | | | | |
| | iii | Total (i + ii) | | | | | | | | | | | | | | 46iii | | | | |
| 47 | Bad debts (specify PAN/Aadhaar No. of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47(i1) |
| | (i2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47i(2) |
| | (i3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47i(3) |
| | (Rows can be added as required) Total (47i1+47i2+47i3) | | | | | | | | | | | | | | | 47i | | | | |
| | ii Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN/Aadhaar No. is not available (provide name and complete address) | | | | | | | | | | | | | | | | | 47ii | | |
| | S.No. | Name | Flat / Door/ Block No | Name of Premises/ Building/ Village | Road/ Street/ Post Office | Area/ Locality | Town/ City/ District | State | Country | PIN Code | ZIP Code | Amount | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|----|------|--|--|
| PROVISIONS PROVISION FOR TAX AND APPROPRIATIONS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rows can be added as required | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | iii | Others (amounts less than Rs. 1 lakh) | | 47iii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | iv | Total Bad Debt (47i + 47ii + 47iii) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47iv | | |
| | | 48 | Provision for bad and doubtful debts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | | |
| | | 49 | Other provisions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | | |
| | | 50 | Profit before interest, depreciation and taxes [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | |
| | | 51 | Interest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | i | Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company | | | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | |
| | | | ii | To others | | | | | | | | | | | | | | ii | | | | | | | |
| | | | iii | Total (i + ii) | | | | | | | | | | | | | | 51iii | | | | | | | |
| | | 52 | Depreciation and amortisation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | | |
| | | 53 | Net profit before taxes (50 – 51iii – 52) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | | |
| | | 54 | Provision for current tax | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | | |
| | | 55 | Provision for Deferred Tax | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | |
| | | 56 | Profit after tax (53 - 54 - 55) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | | |
| | | 57 | Balance brought forward from previous year | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | | |
| | | 58 | Amount available for appropriation (56 + 57) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | | |
| | | 59 | Appropriations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | i | Transfer to reserves and surplus | | | | | | | | | | | | | | 59i | | | | | | | |
| | | | ii | Proposed dividend/ Interim dividend | | | | | | | | | | | | | | 59ii | | | | | | | |
| | | | iii | Tax on dividend/ Tax on dividend for earlier years | | | | | | | | | | | | | | 59iii | | | | | | | |
| | | | iv | Appropriation towards Corporate Social Responsibility (CSR) activities (in case of companies covered under section 135 of Companies Act, 2013) | | | | | | | | | | | | | | 59iv | | | | | | | |
| | | | v | Any other appropriation | | | | | | | | | | | | | | 59v | | | | | | | |
| | | | vi | Total (59i + 59ii + 59iii + 59iv + 59v) | | | | | | | | | | | | | | 59vi | | | | | | | |
| | | 60 | Balance carried to balance sheet (58 - 59vi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | |
| | 61 | A | Items that will not be reclassified to P&L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | i | Changes in revaluation surplus | | | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | |
| | | | ii | Re-measurements of the defined benefit plans | | | | | | | | | | | | | | ii | | | | | | | |
| | | | iii | Equity instruments through OCI | | | | | | | | | | | | | | iii | | | | | | | |
| | | | iv | Fair value Changes relating to own credit risk of financial liabilities designated at FVTPL | | | | | | | | | | | | | | iv | | | | | | | |
| | | | v | Share of Other comprehensive income in associates and joint ventures, to the extent not to be classified to P&L | | | | | | | | | | | | | | v | | | | | | | |
| | | | vi | Others (Specify nature) | | | | | | | | | | | | | | vi | | | | | | | |
| | | | vii | Income tax relating to items that will not be reclassified to P&L | | | | | | | | | | | | | | vii | | | | | | | |
| | | | viii | Total | | | | | | | | | | | | | | 61A | | | | | | | |
| | | B | Items that will be reclassified to P&L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | i | Exchange differences in translating the financial statements of a foreign operation | | | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | |
| | | | ii | Debt instruments through OCI | | | | | | | | | | | | | | ii | | | | | | | |
| | | | iii | The effective portion of gains and loss on hedging instruments in a cash flow hedge | | | | | | | | | | | | | | iii | | | | | | | |
| | | | iv | Share of OCI in associates and joint ventures to the extent to be classified into P&L | | | | | | | | | | | | | | iv | | | | | | | |
| | | | v | Others (Specify nature) | | | | | | | | | | | | | | v | | | | | | | |
| | | | vi | Income tax relating to items that will be reclassified to P&L | | | | | | | | | | | | | | vi | | | | | | | |
| | | | vii | Total | | | | | | | | | | | | | | 61B | | | | | | | |
| | 62 | Total Comprehensive Income (56 + 61A + 61B) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | | | |

| | | | |
|-------------------|----|---|--------------------------|
| Part A- OI | | Other Information (mandatory, if liable for audit under section 44AB, for other fill, if applicable) | |
| OTHER INFORMATION | 1 | Method of accounting employed in the previous year (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> mercantile <input type="checkbox"/> cash | |
| | 2 | Is there any change in method of accounting (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | |
| | 3a | Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column XI(3) of Schedule ICDS] | 3a |
| | 3b | Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column XI(4) of Schedule ICDS] | 3b |
| | 4 | Method of valuation of closing stock employed in the previous year (optional in case of professionals) | |
| | a | Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3) | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|---|--|-----|--------------------------|
| | b | Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3) | | <input type="checkbox"/> |
| | c | Is there any change in stock valuation method (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | |
| | d | Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A | 4d | |
| | e | Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A | 4e | |
| 5 | Amounts not credited to the profit and loss account, being - | | | |
| | a | the items falling within the scope of section 28 | 5a | |
| | b | the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned | 5b | |
| | c | escalation claims accepted during the previous year | 5c | |
| | d | any other item of income | 5d | |
| | e | capital receipt, if any | 5e | |
| | f | Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e) | 5f | |
| 6 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of condition specified in relevant clauses- | | | |
| | a | Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)] | 6a | |
| | b | Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)] | 6b | |
| | c | Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)] | 6c | |
| | d | Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)] | 6d | |
| | e | Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iia)] | 6e | |
| | f | Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)] | 6f | |
| | g | Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)] | 6g | |
| | h | Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)] | 6h | |
| | i | Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)] | 6i | |
| | j | Amount of contributions to any other fund | 6j | |
| | k | Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)] | 6k | |
| | l | Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)] | 6l | |
| | m | Provision for bad and doubtful debts [36(1)(vii)] | 6m | |
| | n | Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)] | 6n | |
| | o | Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)] | 6o | |
| | p | Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)] | 6p | |
| | q | Marked to market loss or other expected loss as computed in accordance with the ICDS notified u/s 145(2) [36(1)(xviii)] | 6q | |
| | r | Any other disallowance | 6r | |
| | s | Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6r) | 6s | |
| | t | Total number of employees employed by the company (mandatory in case company has recognized Provident Fund) | | |
| | | i deployed in India | i | |
| | | ii deployed outside India | ii | |
| | | iii Total | iii | |
| 7 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 | | | |
| | a | Expenditure of capital nature [37(1)] | 7a | |
| | b | Expenditure of personal nature [37(1)] | 7b | |
| | c | Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or profession [37(1)] | 7c | |
| | d | Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)] | 7d | |
| | e | Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force | 7e | |
| | f | Any other penalty or fine | 7f | |
| | g | Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law | 7g | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|------|-----|----|--|
| | | h | Expenditure incurred on corporate social responsibility (CSR) | 7h | | | |
| | | i | Amount of any liability of a contingent nature | 7i | | | |
| | | j | Any other amount not allowable under section 37 | 7j | | | |
| | | k | Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7j) | | 7k | | |
| 8 | A. | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 | | | | | |
| | | a | Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B | Aa | | | |
| | | b | Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B | Ab | | | |
| | | c | Amount disallowable under section 40(a)(ib) on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016 | Ac | | | |
| | | d | Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B | Ad | | | |
| | | e | Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)] | Ae | | | |
| | | f | Amount paid as wealth tax [40(a)(iia)] | Af | | | |
| | | g | Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib) | Ag | | | |
| | | h | Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member inadmissible under section [40(b)/ 40(ba)] | Ah | | | |
| | | i | Any other disallowance | Ai | | | |
| | | j | Total amount disallowable under section 40(total of Aa to Ai) | | Aj | | |
| | B. | Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year | | | | 8B | |
| 9 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A | | | | | | |
| | | a | Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b) | 9a | | | |
| | | b | Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such electronic mode as may be prescribed, disallowable under section 40A(3) | 9b | | | |
| | | c | Provision for payment of gratuity [40A(7)] | 9c | | | |
| | | d | any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)] | 9d | | | |
| | | e | Any other disallowance | 9e | | | |
| | | f | Total amount disallowable under section 40A (Total of 9a to 9e) | | 9f | | |
| 10 | Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year | | | | | | |
| | | a | Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law | 10a | | | |
| | | b | Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees | 10b | | | |
| | | c | Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered | 10c | | | |
| | | d | Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation | 10d | | | |
| | | da | Any sum payable as interest on any loan or borrowing from such class of non-banking financial companies as may be notified by the Central Government, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing | 10da | | | |
| | | e | Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank | 10e | | | |
| | | f | Any sum payable towards leave encashment | 10f | | | |
| | | g | Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets | 10g | | | |
| | | h | Any sum payable to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 | 10h | | | |
| | | i | Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10h) | | 10i | | |
| 11 | Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B | | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|---|------|-----|----|
| | a | Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law | 11a | | |
| | b | Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees | 11b | | |
| | c | Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered | 11c | | |
| | d | Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation | 11d | | |
| | da | any sum payable as interest on any loan or borrowing from such class of non-banking financial companies as may be notified by the Central Government, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing | 11da | | |
| | e | Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank | 11e | | |
| | f | Any sum payable towards leave encashment | 11f | | |
| | g | Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets | 11g | | |
| | h | Any sum payable to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 | 11h | | |
| | i | Total amount disallowable under Section 43B (total of 11a to 11h) | | 11i | |
| 12 | Amount of credit outstanding in the accounts in respect of | | | | |
| | a | Union Excise Duty | 12a | | |
| | b | Service tax | 12b | | |
| | c | VAT/sales tax | 12c | | |
| | d | Central Goods & Service Tax (CGST) | 12d | | |
| | e | State Goods & Services Tax (SGST) | 12e | | |
| | f | Integrated Goods & Services Tax (IGST) | 12f | | |
| | g | Union Territory Goods & Services Tax (UTGST) | 12g | | |
| | h | Any other tax | 12h | | |
| | i | Total amount outstanding (total of 12a to 12h) | | 12i | |
| 13 | Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA or 33AC | | | | 13 |
| 14 | Any amount of profit chargeable to tax under section 41 | | | | 14 |
| 15 | Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net) | | | | 15 |
| 16 | Amount of expenditure disallowed u/s 14A | | | | 16 |
| 17 | Whether assessee is exercising option under subsection 2A of section 92CE (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No [If yes, please fill schedule TPSA] | | | | 17 |

| Part A – QD | | Quantitative details (mandatory, if liable for audit under section 44AB) | | | |
|----------------------|-----|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----|
| QUANTITATIVE DETAILS | (a) | In the case of a trading concern | | | |
| | | 1 | Opening stock | | 1 |
| | | 2 | Purchase during the previous year | | 2 |
| | | 3 | Sales during the previous year | | 3 |
| | | 4 | Closing stock | | 4 |
| | | 5 | Shortage/ excess, if any | | 5 |
| | (b) | In the case of a manufacturing concern | | | |
| | | 6 | Raw materials | | |
| | | | a | Opening stock | 6a |
| | | | b | Purchases during the previous year | 6b |
| | | | c | Consumption during the previous year | 6c |
| | | | d | Sales during the previous year | 6d |
| | | | e | Closing stock | 6e |
| | | | f | Yield finished products | 6f |
| | | | g | Percentage of yield | 6g |
| | | h | Shortage/ excess, if any | 6h | |
| | 7 | Finished products/ By-products | | | |
| | | a | opening stock | 7a | |

| | | | | |
|--|---|--|----|--|
| | b | purchase during the previous year | 7b | |
| | c | quantity manufactured during the previous year | 7c | |
| | d | sales during the previous year | 7d | |
| | e | closing stock | 7e | |
| | f | shortage/ excess, if any | 7f | |

| Part A – OL | | Receipt and payment account of company under liquidation | | | | |
|--|--|--|--|-------|---|--|
| Receipt and payment account of company under liquidation | 1 | Opening balance | | | | |
| | | i | Cash in hand | 1i | | |
| | | ii | Bank | 1ii | | |
| | | iii | Total opening balance | 1iii | | |
| | 2 | Receipts | | | | |
| | | i | Interest | 2i | | |
| | | ii | Dividend | 2ii | | |
| | | iii | Sale of assets (pls. specify nature and amount) | | | |
| | | a | | 2iiia | | |
| | | b | | 2iiib | | |
| | | c | | 2iiic | | |
| | | d | Total (iiia + iiib + iiic) | 2iiid | | |
| | | iv | Realisation of dues/debtors | 2iv | | |
| | | v | Others (pls. specify whether revenue/capital, nature and amount) | | | |
| | | a | | 2va | | |
| | | b | | 2vb | | |
| | | c | Total of other receipts (va + vb) | 2vc | | |
| | | vi | Total receipts (2i + 2ii + 2iiid + 2iv + 2vc) | 2vi | | |
| | 3 | Total of opening balance and receipts | | | 3 | |
| | 4 | Payments | | | | |
| | | i | Repayment of secured loan | 4i | | |
| | | ii | Repayment of unsecured loan | 4ii | | |
| | | iii | Repayment to creditors | 4iii | | |
| | | iv | Commission | 4iv | | |
| | v | Others (pls. specify) | | | | |
| | a | | 4va | | | |
| | b | | 4vb | | | |
| | c | Total of other payments (4va + 4vb) | 4vc | | | |
| | vi | Total payments (4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4vc) | 4vi | | | |
| 5 | Closing balance | | | | | |
| | i | Cash in hand | 5i | | | |
| | ii | Bank | 5ii | | | |
| | iii | Total of closing balance (5i + 5ii) | 5iii | | | |
| 6 | Total of closing balance and payments (4vi + 5iii) | | | 6 | | |

| Schedule HP | | Details of Income from House Property (Please refer instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property) | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|-----------------------------------|---|---------|---|--|--|--|
| HOUSE PROPERTY | 1 | Address of property 1 | | Town/ City | State | Country | PIN Code / Zip Code | | | |
| | | Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details) | | | | | | | | |
| | | Assessee's percentage of share in the property % | | | | | | | | |
| | | Name of Co-owner(s) | | PAN/Aa | Co-owner (s) | | Percentage Share in Property | | | |
| | | I | | | | | | | | |
| | | II | | | | | | | | |
| | | /Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option <input type="checkbox"/> Let out <input type="checkbox"/> Deemed let out | | Name(s) of Tenant(s) (if let out) | PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see Note) | | PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed) | | | |
| | | I | | | | | | | | |
| | | II | | | | | | | | |
| | | a | Gross rent received or receivable or lettable value | | | 1a | | | | |
| | | b | The amount of rent which cannot be realized | | | 1b | | | | |
| | | c | Tax paid to local authorities | | | 1c | | | | |
| | | d | Total (1b + 1c) | | | 1d | | | | |
| | | e | Annual value (1a – 1d) | | | 1e | | | | |
| | | f | Annual value of the property owned (own percentage share x 1e) | | | 1f | | | | |
| | | g | 30% of 1f | | | 1g | | | | |
| | | h | Interest payable on borrowed capital | | | 1h | | | | |
| | i | Total (1g + 1h) | | | 1i | | | | | |
| | j | Arrears/Unrealised rent received during the year less 30% | | | 1j | | | | | |
| | k | Income from house property 1 (1f – 1i+1j) | | | 1k | | | | | |

| | | | |
|---------------|---|---|--|
| | (fill up details separately for each property) | | |
| 2 | Pass through income/loss if any * | 2 | |
| 3 | Income under the head "Income from house property" (1k + 2) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA) | 3 | |
| NOTE ► | Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I. | | |

| Schedule BP | | Computation of income from business or profession | | | |
|------------------------------------|-----|--|--|------------------------------|----|
| INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION | A | From business or profession other than speculative business and specified business | | | |
| | | 1 | Profit before tax as per profit and loss account (item 53 61(ii) and 62(b) of Part A-P&L) / (item 53 of Part A-P&L – Ind AS) (as applicable) | | |
| | 2a | Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss) | | 2a | |
| | 2b | Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss) | | 2b | |
| | 3 | a | House property | 3a | |
| | | b | Capital gains | 3b | |
| | | c | Other sources | 3c | |
| | | ci | Dividend income | 3ci | |
| | | cii | other than Dividend income | 3cii | |
| | | d | u/s 115BBF | 3d | |
| | | e | u/s 115BBG | 3e | |
| | f | u/s 115BBH (net of Cost of Acquisition, if any) | 3f | (Item No. A of Schedule VDA) | |
| | 4a | Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44B/44BB/44BBA/44BBB/44AE/44D/44DA/Chapter-XII-G/ First Schedule of Income-tax Act (other than 115B) (Dropdown to be provided) | | | 4a |
| | 4b | Profit and gains from life insurance business referred to in section 115B | | | 4b |
| | 4c | Profit from activities covered under rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (Dropdown to be provided) | | | 4c |
| | 5 | Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt | | | |
| | a | Share of income from firm(s) | 5a | | |
| | b | Share of income from AOP/ BOI | 5b | | |
| | c | Any other exempt income (specify nature and amount) | | | |
| | | i | | ci | |
| | | ii | | cii | |
| | | iii | Total (ci + cii) | 5ciii | |
| | d | Total exempt income (5a + 5b + 5ciii) | | 5d | |
| | 6 | Balance (1– 2a – 2b – 3a – 3b – 3c – 3d – 3e – 3f– 4– 5d) | | | 6 |
| | 7 | a | House property | 7a | |
| | | b | Capital gains | 7b | |
| | | c | Other sources | 7c | |
| | | d | u/s 115BBF | 7d | |
| | | e | u/s 115BBG | 7e | |
| | | f | u/s 115BBH (other than Cost of Acquisition) | 7f | |
| | 8a | Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income | | 8a | |
| | 8b | Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income and disallowed u/s 14A (16 of Part A-OI) | | 8b | |
| | 9 | Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 7f+ 8a+8b) | | 9 | |
| | 10 | Adjusted profit or loss (6+9) | | | 10 |
| | 11 | Depreciation and amortization debited to profit and loss account | | | 11 |
| | 12 | Depreciation allowable under Income-tax Act | | | |
| | i | Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(ia) (item 6 of Schedule-DEP) | | 12i | |
| | ii | Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules) | | 12ii | |
| | iii | Total (12i + 12ii) | | 12iii | |

| | | | | | |
|--|----|---|--------|-----|---|
| | 13 | Profit or loss after adjustment for depreciation (10 +11 – 12iii) | | 13 | |
| | 14 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6s of Part A-OI) | 14 | | |
| | 15 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7k of Part A-OI) | 15 | | |
| | 16 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 (8Aj of Part A-OI) | 16 | | |
| | 17 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9f of Part A-OI) | 17 | | |
| | 18 | Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11i of Part A-OI) | 18 | | |
| | 19 | Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 | 19 | | |
| | 20 | Deemed income under section 41 | 20 | | |
| | 21 | Deemed income under section 32AC/ 32AD/ 33AB/ 33ABA/35ABA/ 35ABB/ 35AC/ 40A(3A)/ 33AC/ 72A/ 80HHD/ 80-IA | 21 | | |
| | 22 | Deemed income under section 43CA | 22 | | |
| | 23 | Any other item of addition under section 28 to 44DB | 23 | | |
| | 24 | Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which company is a partner) | 24 | | |
| | 25 | Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3a + 4d of Part A- OI) | 25 | | |
| | 26 | Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24+25) | | 26 | |
| | 27 | Deduction allowable under section 32(1)(iii) | 27 | | |
| | 28 | Amount allowable as deduction under section 32AC | 28 | | |
| | 29 | Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24) | 29 | | |
| | 30 | Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year(8B of Part A-OI) | 30 | | |
| | 31 | Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year (10i of Part A-OI) | 31 | | |
| | 32 | Any other amount allowable as deduction | 32 | | |
| | 33 | Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3b + 4e of Part A- OI) | 33 | | |
| | 34 | Total (27+28+29+30+31+32+33) | | 34 | |
| | 35 | Income (13+26-34) | | 35 | |
| | 36 | Profits and gains of business or profession deemed to be under - | | | |
| | | i Section 44AE (6I(ii) of schedule P&L) | 36i | | |
| | | ii Section 44B | 36ii | | |
| | | iii Section 44BB | 36iii | | |
| | | iv Section 44BBA | 36iv | | |
| | | v Section 44BBB | 36v | | |
| | | vi Section 44D | 36vi | | |
| | | vii Section 44DA | 36vii | | (item 4 of Form 3CE) |
| | | viii Chapter-XII-G (tonnage) | 36viii | | (total of col. 7 of item 10 of Form 66) |
| | | ix First Schedule of Income-tax Act (other than 115B) | 36ix | | |
| | | x Total (36i to 36ix) | | 36x | |
| | 37 | Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (36+36x) | | 37 | |
| | 38 | Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 37) (If loss take the figure to 2i of item F) (38a+ 38b + 38c + 38d + 38e + 38f) | | A38 | |
| | | a Income chargeable under Rule 7 | 38a | | |
| | | b Deemed income chargeable under Rule 7A | 38b | | |
| | | c Deemed income chargeable under Rule 7B(1) | 38c | | |
| | | d Deemed income chargeable under Rule 7B(1A) | 38d | | |
| | | e Deemed income chargeable under Rule 8 | 38e | | |

| | | | | |
|---|---|---|-----|-----|
| | f | Income other than Rule 7A, 7B & 8 (Item No. 37) | 38f | |
| 39 | | Balance of income deemed to be from agriculture, after applying Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and Rule 8 for the purpose of aggregation of income as per Finance Act [4c-(38a+38b+38c+38d+38e)] | | 39 |
| B Computation of income from speculative business | | | | |
| 40 | | Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account | | 40 |
| 41 | | Additions in accordance with section 28 to 44DB | | 41 |
| 42 | | Deductions in accordance with section 28 to 44DB | | 42 |
| 43 | | Income from speculative business (40+41-42) (if loss, take the figure to 6xvii of schedule CFL) | | B43 |
| C Computation of income from specified business under section 35AD | | | | |
| 44 | | Net profit or loss from specified business as per profit or loss account | | 44 |
| 45 | | Additions in accordance with section 28 to 44DB | | 45 |
| 46 | | Deductions in accordance with section 28 to 44DB (other than deduction under section,- (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed) | | 46 |
| 47 | | Profit or loss from specified business (44+45-46) | | 47 |
| 48 | | Deductions in accordance with section 35AD(1) | | 48 |
| 49 | | Income from Specified Business (47-48) (if loss, take the figure to 7xvii of schedule CFL) | | C49 |
| 50 | | Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu) | | C50 |
| D Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A38+B43+C49) | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----------------------|---|
| E Intra head set off of business loss of current year | | | | | |
| | Sl. | Type of Business income | Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive) | Business loss set off | Business income remaining after set off |
| | | | (1) | (2) | (3) = (1) - (2) |
| | i | Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative) | | (A38) | |
| | ii | Income from speculative | (B43) | | |
| | iii | Income from specified | (C49) | | |
| | iv | Income from Life Insurance business u/s. 115B | (4b) | | |
| | v | Total loss set off (ii + iii) | | | |
| | vi | Loss remaining after set off (i - v) | | | |

| Schedule DPM | | Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section) | | | | |
|--|----|---|---------------------|------------|-------------|------------|
| DEPRECIATION ON PLANT AND MACHINERY | 1 | Block of assets | Plant and machinery | | | |
| | 2 | Rate (%) | 15 (i) | 30 (ii) | 40 (iii) | 45 (iv) |
| | 3 | Written down value on the first day of previous year | | | | |
| | 4 | Additions for a period of 180 days or more in the previous year | | | | |
| | 5 | Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4 | | | | |
| | 6 | Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative) | | | | |
| | 7 | Additions for a period of less than 180 days in the previous year | | | | |
| | 8 | Consideration or other realizations during the year out of 7 | | | | |
| | 9 | Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7 - 8) (enter 0, if result is negative) | | | | |
| | 10 | Depreciation on 6 at full rate | | | | |
| | 11 | Depreciation on 9 at half rate | | | | |
| | 12 | Additional depreciation, if any, on 4 | | | | |
| | 13 | Additional depreciation, if any, on 7 | | | | |
| | 14 | Additional depreciation relating to immediately preceding year on asset put to use for less than 180 days | | | | |
| | 15 | Total depreciation (10+11+12+13+14) | | | | |
| | 16 | Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 15) | | | | |
| | 17 | Net aggregate depreciation (15-16) | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 18 | Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 17) | | | | |
| 19 | Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets | | | | |
| 20 | Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3 - 4 -7 -19) (enter negative only, if block ceases to exist) | | | | |
| 21 | Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -15) (enter 0, if result is negative) | | | | |

| Schedule DOA | | Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction) | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|------|-------------------------------|-------|------|------------------------|-------------------|-------|
| DEPRECIATION ON OTHER ASSETS | 1 | Block of assets | Land | Building (not including land) | | | Furniture and fittings | Intangible assets | Ships |
| | 2 | Rate (%) | Nil | 5 | 10 | 40 | 10 | 25 | 20 |
| | | | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) |
| | 3 | Written down value on the first day of previous year | | | | | | | |
| | 4 | Additions for a period of 180 days or more in the previous year | | | | | | | |
| | 5 | Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4 | | | | | | | |
| | 6 | Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative) | | | | | | | |
| | 7 | Additions for a period of less than 180 days in the previous year | | | | | | | |
| | 8 | Consideration or other realizations during the year out of 7 | | | | | | | |
| | 9 | Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative) | | | | | | | |
| | 10 | Depreciation on 6 at full rate | | | | | | | |
| | 11 | Depreciation on 9 at half rate | | | | | | | |
| | 12 | Total depreciation (10+11) | | | | | | | |
| | 13 | Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 12) | | | | | | | |
| | 14 | Net aggregate depreciation (12-13) | | | | | | | |
| | 15 | Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 14) | | | | | | | |
| | 16 | Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets | | | | | | | |
| | 17 | Capital gains/ loss under section 50* (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist) | | | | | | | |
| 18 | Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative) | | | | | | | | |

| Schedule DEP | | Summary of depreciation on assets (Other than on assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section) | | | |
|-----------------------------------|---|--|----|----|----|
| SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS | 1 | Plant and machinery | | | |
| | a | Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 17i or 18i as applicable) | 1a | | |
| | b | Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 17ii or 18ii as applicable) | 1b | | |
| | c | Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 17iii or 18iii as applicable) | 1c | | |
| | d | Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 17iv or 18iv as applicable) | 1d | | |
| | e | Total depreciation on plant and machinery (1a + 1b + 1c+1d) | | | 1e |
| | 2 | Building (not including land) | | | |
| | a | Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14ii or 15ii as applicable) | 2a | | |
| | b | Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14iii or 15iii as applicable) | 2b | | |
| | c | Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 14iv or 15iv as applicable) | 2c | | |
| d | Total depreciation on building (2a+2b+2c) | | | 2d | |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Furniture and fittings (Schedule DOA- 14v or 15v as applicable) | 3 |
| 4 | Intangible assets (Schedule DOA- 14vi or 15vi as applicable) | 4 |
| 5 | Ships (Schedule DOA- 14vii or 15vii as applicable) | 5 |
| 6 | Total depreciation (1e+2d+3+4+5) | 6 |

| Schedule DCG | | Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets | | |
|--------------|---|--|----|--|
| 1 | Plant and machinery | | | |
| | a | Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 20i) | 1a | |
| | b | Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 20ii) | 1b | |
| | c | Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 20iii) | 1c | |
| | d | Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 20iii) | 1d | |
| | e | Total (1a +1b + 1c+1e) | 1e | |
| 2 | Building (not including land) | | | |
| | a | Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 17ii) | 2a | |
| | b | Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 17iii) | 2b | |
| | c | Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 17iv) | 2c | |
| | d | Total (2a + 2b + 2c) | 2d | |
| 3 | Furniture and fittings (Schedule DOA- 17v) | 3 | | |
| 4 | Intangible assets (Schedule DOA- 17vi) | 4 | | |
| 5 | Ships (Schedule DOA- 17vii) | 5 | | |
| 6 | Total (1e+2d+3+4+5) | 6 | | |

| Schedule ESR | | Expenditure on scientific Research etc. (Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD) | | |
|--------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Sl No | Expenditure of the nature referred to in section (1) | Amount, if any, debited to profit and loss account (2) | Amount of deduction allowable (3) | Amount of deduction in excess of the amount debited to profit and loss account (4) = (3) - (2) |
| i | 35(1)(i) | | | |
| ii | 35(1)(ii) | | | |
| iii | 35(1)(iia) | | | |
| iv | 35(1)(iii) | | | |
| v | 35(1)(iv) | | | |
| vi | 35(2AA) | | | |
| vii | 35(2AB) | | | |
| viii | 35CCC | | | |
| ix | 35CCD | | | |
| x | Total | | | |
| NOTE | In case any deduction is claimed under sections 35(1)(ii) or 35(1)(iia) or 35(1)(iii) or 35(2AA), please provide the details as per Schedule RA. | | | |

| Schedule CG | | Capital Gains | | | |
|---------------|--------------------------|--|---|-----------------------|------------|
| Capital Gains | A | Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 & 5 are not applicable for residents) | | | |
| | Short-term Capital Gains | 1 | From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)(in case of co-ownership, enter your share of capital gain) | | |
| | | Date of purchase/ acquisition | DD/MM/YYYY | Date of sale/transfer | DD/MM/YYYY |
| a | | i | Full value of consideration | | ai |
| | | ii | Value of property as per stamp valuation | | aii |
| | | iii | Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai)], | | aiii |
| b | | Deductions under section 48 | | | |
| | | i | Cost of acquisition without indexation | | bi |
| | | ii | Cost of Improvement without indexation | | bii |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|-------------------|--------|----------------------|----------|-------|--|
| | | | iii | Expenditure wholly and exclusively in | | | biii | | | | |
| | | | iv | Total (bi + bii + biii) | | | biv | | | | |
| | | c | Balance (aiii – biv) | | | | | 1c | | | |
| | | d | Deduction under section 54G/54GA (Specify details) | | | | | 1d | | | |
| | | e | Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d) | | | | | | A1e | | |
| | | F | In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note) | | | | | | | | |
| | | | S. No. | Name of buyer(s) | PAN/Aadhaar No. of buyer(s) | Percent age share | Amount | Address of property, | Pin code | State | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | NOTE ► | | Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective | | | | | | |
| | 2 | From slump sale | | | | | | | | | |
| | | A | i | Fair market value as per Rule 11UAE(2) | | | 2a | | | | |
| | | | ii | Fair market value as per Rule 11UAE(3) | | | 2a | | | | |
| | | | iii | Full value of consideration (higher of ai or | | | 2a | | | | |
| | | B | Net worth of the under taking or division | | | | | 2b | | | |
| | | C | Short term capital gains from slump sale (2aiii-2b) | | | | | | A2c | | |
| | 3 | From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or | | | | | | | | | |
| | | a | Full value of consideration | | | | | 3a | | | |
| | | b | Deductions under section 48 | | | | | | | | |
| | | | i | Cost of acquisition without indexation | | | bi | | | | |
| | | | ii | Cost of Improvement without indexation | | | bii | | | | |
| | | | iii | Expenditure wholly and exclusively in | | | biii | | | | |
| | | | iv | Total (i + ii + iii) | | | biv | | | | |
| | | c | Balance (3a – biv) | | | | | 3c | | | |
| | | d | Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of | | | | | 3d | | | |
| | | e | Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF | | | | | | A3e | | |
| | 4 | For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange | | | | | | | | | |
| | | a | STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is | | | | | | A4a | | |
| | | b | STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is | | | | | | A4b | | |
| | 5 | For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD | | | | | | | | | |
| | | a | i | In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details | | | | | | | |
| | | | a | Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares | | | ia | | | | |
| | | | b | Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner | | | ib | | | | |
| | | | c | Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA | | | ic | | | | |
| | | | ii | Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares | | | aii | | | | |
| | | | iii | Total (ic + ii) | | | aiii | | | | |
| | | b | Deductions under section 48 | | | | | | | | |
| | | | i | Cost of acquisition without indexation | | | bi | | | | |
| | | | ii | Cost of improvement without indexation | | | bii | | | | |
| | | | iii | Expenditure wholly and exclusively in | | | biii | | | | |
| | | | iv | Total (i + ii + iii) | | | biv | | | | |
| | | c | Balance (5aiii – biv) | | | | | 5c | | | |
| | | d | Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then | | | | | 5d | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|---|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | e | Short-term capital gain on securities (other than those at A3 above) | | | | | | | | A5e |
| 6 | From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above | | | | | | | | | |
| | A | i | In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details | | | | | | | |
| | | a | Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares | | | | | ia | | |
| | | b | Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner | | | | | ib | | |
| | | c | Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA | | | | | ic | | |
| | | ii | Full value of consideration in respect of assets | | | | | aii | | |
| | | iii | Total (ic + ii) | | | | | aiii | | |
| | B | Deductions under section 48 | | | | | | | | |
| | | i | Cost of acquisition without indexation | | | | | bi | | |
| | | ii | Cost of Improvement without indexation | | | | | bii | | |
| | | iii | Expenditure wholly and exclusively in | | | | | biii | | |
| | | iv | Total (i + ii + iii) | | | | | biv | | |
| | C | Balance (6aiii – biv) | | | | | | | 6c | |
| | D | In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are | | | | | | | 6d | |
| | E | Deemed short term capital gains on depreciable assets (6 of schedule- DCG) | | | | | | | 6e | |
| | F | Deduction under section 54G/54GA | | | | | | | 6f | |
| | G | STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above | | | | | | | | A6g |
| 7 | Amount deemed to be short term capital gains | | | | | | | | | |
| a | Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? | | | | | | | | | |
| | Sl. | Previous year in which asset transferred | Section under which deduction claimed in that year | New asset acquired/constructed | | Amount not used for new asset or | | | | |
| | | | | Previous year in which asset acquired/constructed | Amount utilised out of Capital Gains account | | | | | |
| | i | 2020-21 | 54G/54GA | | | | | | | |
| | ii | 2021-22 | 54G/54GA | | | | | | | |
| | iii | 2022-23 | 54G/54GA | | | | | | | |
| | b | Amount deemed to be short term capital gains u/s | | | | | | | | |
| | Amount deemed to be short term capital gains (Xi+ Xii+ Xiii + b) | | | | | | | | | A7 |
| 8 | Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8a + A8b + A8c) | | | | | | | | | |
| | a | Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 15% | | | | | A8a | | | |
| | b | Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 30% | | | | | A8b | | | |
| | c | Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at | | | | | A8c | | | |
| 9 | Amount of STCG included in A1 – A8 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA | | | | | | | | | |
| | Sl. No. | Amount of income | Item No. A1 to A8 above in which included | Count ry name & Code | Article of DTAA | Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable) | Whether TRC obtained (Y/N) | Section of I.T. Act | Rate as per I.T. Act | Applicable rate [lower of (6) or (9)] |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |

| | | I | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|---|-----------------------------|-----------------------|--------|----------------------|----------|-------|--|-----|-----|
| | | II | | | | | | | | | | | |
| | a | Total amount of STCG not claimed as chargeable to tax in India as per DTAA | | | | | | | | | | A9a | |
| | b | Total amount of STCG claimed as chargeable to tax at special rates in India as per DTAA | | | | | | | | | | A9b | |
| | 10 | Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7 + A8-A9a) | | | | | | | | | | A10 | |
| B | Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items 6, 7& 8 are not applicable for residents) | | | | | | | | | | | | |
| Long-term Capital Gains | 1 | From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)(in case of co-ownership, enter your share of Capital Gain) | | | | | | | | | | | |
| | | Date of purchase/ | | DD/MM/YYYY | | Date of sale/transfer | | DD/MM/YYYY | | | | | |
| | | a | i | Full value of consideration | | | | | ai | | | | |
| | | | ii | Value of property as per stamp valuation | | | | | aii | | | | |
| | | | iii | Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), | | | | | aiii | | | | |
| | | b | Deductions under section 48 | | | | | | | | | | |
| | | | i | Cost of acquisition | | | | | bi | | | | |
| | | | ii | Cost of acquisition with indexation | | | | | biia | | | | |
| | | | iiib | Total Cost of Improvement with indexation | | | | | biib | | | | |
| | | | | Cost of improvement | | | | | | | | | |
| | | | | Year of improvement | | | | | | | | | |
| | | | | Cost of Improvement with indexation | | | | | | | | | |
| | | | | Add row | | | | | | | | | |
| | | | iii | Expenditure wholly and exclusively in | | | | | biib | | | | |
| | | | iv | Total (biia + biib + biib) | | | | | bvi | | | | |
| | | c | Balance (aiii – biv) | | | | | 1c | | | | | |
| | | d | Deduction under section 54D/54EC/54G/54GA <i>(Specify details in item D below)</i> | | | | | 1d | | | | | |
| | | e | Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d) | | | | | | | | | | B1e |
| | | f | In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note) | | | | | | | | | | |
| | | | S.No. | Name of buyer(s) | PAN/Aadhaar No. of buyer(s) | Percentage share | Amount | Address of property, | Pin code | State | | | |
| | NOTE▶ | Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective | | | | | | | | | | | |
| | 2 | From slump sale | | | | | | | | | | | |
| | | a | i | Fair market value as per Rule 11UAE(2) | | | | | 2ai | | | | |
| | | | ii | Fair market value as per Rule 11UAE(3) | | | | | 2aii | | | | |
| | | | iii | Full value of consideration (higher of ai or | | | | | 2aii | | | | |
| | | b | Net worth of the under taking or division | | | | | 2b | | | | | |
| | | c | Balance (2aiii – 2b) | | | | | 2c | | | | | |
| | | d | Deduction u/s 54EC | | | | | 2d | | | | | |
| | e | Long term capital gains from slump sale (2c-2d) | | | | | | | | | | B2e | |
| | 3 | From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by | | | | | | | | | | | |
| | | a | Full value of consideration | | | | | 3a | | | | | |
| | | b | Deductions under section 48 | | | | | | | | | | |
| | | | i | Cost of acquisition without indexation | | | | | bi | | | | |
| | | | ii | Cost of improvement without indexation | | | | | bi | | | | |
| | | | iii | Expenditure wholly and exclusively in | | | | | bi | | | | |
| | | | iv | Total (bi + bi + bi) | | | | | biv | | | | |
| | c | LTCG on bonds or debenture - (3a-biv) | | | | | | | | | | B3c | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|---|---|---|--|---|---|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | e | Long-term Capital Gains on assets at B9 above (9c- 9d) | | | | | | | B9e | | |
| | | 10 | Amount deemed to be long-term capital gains | | | | | | | | | |
| | | a | Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? | | | | | | | | | |
| | | S.no | Previous year in which asset transferred | Section under which deduction claimed in | New asset acquired/constructed | | Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X) | | | | | |
| | | i | 2020-21 | 54D/54G/54GA | Previous year in which asset acquired/constructed | Amount utilised out of Capital Gains account | | | | | | |
| | | ii | 2021-22 | 54D/54G/54GA | | | | | | | | |
| | | iii | 2022-23 | 54D/54G/54GA | | | | | | | | |
| | | B | Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a' | | | | | | | | | |
| | | | Amount deemed to be long-term capital gains (Xi + Xii+ Xiii + b) | | | | | | | B10 | | |
| | | 11 | Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B11a1+11a2 + B11b) | | | | | | | B11 | | |
| | | a1 | Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 10% u/s 112A | | | | B11a1 | | | | | |
| | | a2 | Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10% | | | | B11a2 | | | | | |
| | | b | Pass Through Income/ Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 20% | | | | B11b | | | | | |
| | | 12 | Amount of LTCG included in items B1 to B11 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA | | | | | | | | | |
| | | | Sl. No. | Amount of income | Item No. B1 to B11 above in which included | Country name & Code | Article of DTAA | Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable) | Whether TRC obtained (Y/N) | Section of I.T. Act | Rate as per I.T. Act | Applicable rate [lower of (6) or (9)] |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | I | | | | | | | | | |
| | | | II | | | | | | | | | |
| | | a | Total amount of LTTCG claimed as not chargeable to tax in India as per DTAA | | | | | | | | | B12 |
| | | b | Total amount of LTTCG claimed as chargeable to tax at special rates in India as | | | | | | | | | B12 |
| | | 13 | Total long term capital gain] [B1e + B2e + B3c + B4c + B5 + B6 + B7c + B8+ B9e+ B10+B11-12a] | | | | | | | | | B13 |
| | C1 | Sum of Capital Gain Incomes (9ii + 9iii + 9iv + 9v + 9vi + 9vii + 9viii of table E below) | | | | | | | | | C1 | |
| | C2 | Income from transfer of Virtual Digital Assets (Item No. B of Schedule VDA) | | | | | | | | | C2 | |
| | C3 | Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (C1 + C2) | | | | | | | | | C3 | |
| | D | Information about deduction claimed against Capital Gains | | | | | | | | | | |
| | | 1 | In case of deduction u/s 54D/54EC /54G/54GA give following details | | | | | | | | | |
| | | | a | Deduction claimed u/s 54D | | | | | | | | |
| | | | i | Date of acquisition of original asset | | | | | ai | dd/mm/yyyy | | |
| | | | ii | Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking | | | | | aii | | | |
| | | | iii | Date of purchase of new land or building | | | | | aiii | dd/mm/yyyy | | |
| | | | iv | Amount deposited in Capital Gains Accounts | | | | | aiv | | | |
| | | | iva | Date of deposit Dd/mm/yyyy | | | ivb Account Number | | ivc IFS code | | | |
| | | | v | Amount of deduction claimed | | | | | av | | | |
| | | | b | Deduction claimed u/s 54EC | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----|---|--|--------------------|--------------|
| | | | | i | Date of transfer of original asset | bi | dd/mm/yyyy | |
| | | | | ii | Amount invested in specified/notified bonds | bii | | |
| | | | | iii | Date of investment | bii | dd/mm/yyyy | |
| | | | | iv | Amount of deduction claimed | bi | | |
| | c | Deduction claimed u/s 54G | | | | | | |
| | | | | | i | Date of transfer of original asset | ci | dd/mm/yyyy |
| | | | | | ii | Cost and expenses incurred for purchase or | cii | |
| | | | | | iii | Date of purchase/construction of new asset in an | cii | dd/mm/yyyy |
| | | | | | iv | Amount deposited in Capital Gains Accounts | ci | |
| | | | | | iva | Date of deposit Dd/mm/yyyy | ivb Account Number | ivc IFS Code |
| | | | | | v | Amount of deduction claimed | cv | |
| | d | Deduction claimed u/s 54GA | | | | | | |
| | | | | | i | Date of transfer of original asset from urban area | di | dd/mm/yyyy |
| | | | | | ii | Cost and expenses incurred for purchase or | dii | |
| | | | | | iii | Date of purchase/construction of new asset in SEZ | dii | dd/mm/yyyy |
| | | | | | iv | Amount deposited in Capital Gains Accounts | di | |
| | | | | | iva | Date of deposit Dd/mm/yyyy | ivb Account Number | ivc IFS Code |
| | | | | | v | Amount of deduction claimed | dv | |
| | e | Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d) | | | | | | |

E Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A9a & B12a which is NOT chargeable under DTAA)

| Sl. | Type of Capital Gain | Gain of current year (Fill this column only if computed figure is) | Short term capital loss set off | | | | Long term capital loss set off | | | Current year's capital gains remaining after set off |
|------|---|--|---|--------------|---------------------------------|------------|--|---|------------|--|
| | | | 15% | 30% | applicable rate | DTAA rates | 10% | 20% | DTAA rates | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| i | Loss to be set off (Fill this row if figure computed is negative) → | | (A3e*+ A4a*+ A8a*) | (A5e*+ A8b*) | (A1e*+ A2c*+A4b*+A6g*+A7*+A8c*) | A9b | (B4c*+ B5*+ B7c*+ B8*+ B9e*+ B11a1*+ B11a2*) | (B1e*+ B2e*+B3c*+B6*+B9e*+ B10*+ B11b*) | B12b | |
| ii | Short term capital gain | 15% | (A3e*+ A4a*+ A8a*) | | | | | | | |
| iii | Short term capital gain | 30% | (A5e*+ A8b*) | | | | | | | |
| iv | Short term capital gain | applicable rate | (A1e*+ A2c*+A4b*+A6g*+A7*+A8c*) | | | | | | | |
| v | Short term capital gain | DTAA rates | A9b | | | | | | | |
| vi | Long term capital gain | 10% | (B4c*+ B5*+ B7c*+ B8*+ B9e*+ B11a1*+B11a2*) | | | | | | | |
| vii | Long term capital gain | 20% | (B1e*+ B2e*+B3c*+B6*+B9e*+ B10*+ B11b*) | | | | | | | |
| viii | Long term capital gain | DTAA rates | B12b | | | | | | | |
| ix | Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii) | | | | | | | | | |
| x | Loss remaining after set off (i-ix) | | | | | | | | | |

The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A8) as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.

| The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B11) as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any. | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Information about accrual/receipt of capital gain | | | | | | |
| | Type of Capital gain / Date | Upto 15/6 (i) | 16/6 to 15/9 (ii) | 16/9 to 15/12 (iii) | 16/12 to 15/3 (iv) | 16/3 to 31/3 (v) |
| 1 | Short-term capital gains taxable at the rate of 15% Enter value from item 5vi of schedule BFLA, if any. | | | | | |
| 2 | Short-term capital gains taxable at the rate of 30% Enter value from item 5vii of schedule BFLA, if any. | | | | | |
| 3 | Short-term capital gains taxable at applicable rates Enter value from item 5viii of schedule BFLA, if any. | | | | | |
| 4 | Short-term capital gains taxable at DTAA rates Enter value from item 5ix of schedule BFLA, if any. | | | | | |
| 5 | Long-term capital gains taxable at the rate of 10% Enter value from item 5x of schedule BFLA, if any. | | | | | |
| 6 | Long-term capital gains taxable at the rate of 20% Enter value from item 5xi of schedule BFLA, if any. | | | | | |
| 7 | Long-term capital gains taxable at the rate DTAA rates Enter value from item 5xii of schedule BFLA, if any. | | | | | |
| 8 | Capital gains on transfer of Virtual Digital Asset taxable at the rate of 30% Enter value from item 15B of schedule SI, if any | | | | | |

| Schedule 112A | | From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------------|--|---|---------------------|--|---|--|--|-------------------------|--|--|
| S. No. | Share/Unit Acquired | ISIN Code | Name of the Share/Unit | No. of Shares/Units | Sale-price per Share/Unit | Full Value Consideration -If shares are acquired on or before 31.01.2018 (Total Sale Value) (4*5) - If shares are Acquired after 31st January, 2018 - Please enter Full Value of Consideration | Cost of acquisition without indexation (higher of 8 or 9) | Cost of acquisition | If the long term capital asset was acquired before 01.02.2018, - Lower of 11 and 6 | Fair Market Value per share/unit as on 31st January, 2018 | Total Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(ac)-(4*10) | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | Total deductions (7+12) | Balance (6-13) - Item 5 of LTCG Schedule of ITR6 | |
| (Col 1) | (Col 1a) | (Col 2) | (Col 3) | (Col 4) | (Col 5) | (Col 6) | (Col 7) | (Col 8) | (Col 9) | (Col 10) | (Col 11) | (Col 12) | (Col 13) | (Col 14) | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Add rows | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | |

Schedule 115AD(1)(b)(iii)-Proviso

From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A

| S. No. | Share/Unit Acquired | ISIN Code | Name of the Share/Unit | No. of Shares/Units | Sale-price per Share/Unit | Full Value Consideration -If shares are acquired on or before 31.01.2018 (Total Sale Value)(4*5) -If shares are Acquired after 31st January 2018 - Please enter Full Value of Consideration. | Cost of acquisition without indexation (higher of 8 or 9) | Cost of acquisition | If the long term capital asset was acquired before 01.02.2018, - Lower of 11 and 6 | Fair Market Value per share/unit as on 31st January ,2018 | Total Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(ac)-(4*10) | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | Total deductions (7+12) | Balance (6-13) - Item 8 of LTCG Schedule of ITR6 |
|--------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|---|---------------------|--|---|--|--|-------------------------|--|
| (Col 1) | (Col 1a) | (Col 2) | (Col 3) | (Col 4) | (Col 5) | (Col 6) | (Col 7) | (Col 8) | (Col 9) | (Col 10) | (Col 11) | (Col 12) | (Col 13) | (Col 14) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Add rows | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | |

| Schedule VDA | | Income from transfer of Virtual Digital Assets (Note: Details of every transaction are to be filled, wherein every 'transfer' is a transaction) | | | | |
|--|---------------------|--|---|---|------------------------|--|
| Sl. No. | Date of Acquisition | Date of Transfer | Head under which income to be taxed (Business/Capital Gain) | Cost of Acquisition (In case of gift; a. Enter the amount on which tax is paid u/s 56(2)(x) if any b. In any other case cost to previous owner) | Consideration Received | Income from transfer of Virtual Digital Assets (enter nil in case of loss) (Col. 6 – Col. 5) |
| (Col. 1) | (Col. 2) | (Col. 3) | (Col. 4) | (Col. 5) | (Col. 6) | (Col. 7) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Add Rows | | | | | | |
| A. Total (Sum of all Positive Incomes of Business Income in Col. 7) | | | | | | (Item No. 3f of Schedule BP) |
| B. Total (Sum of all Positive Incomes of Capital Gain in Col. 7) | | | | | | (Item No. C2 of Schedule CG) |

| Schedule OS | | Income from other sources | | | |
|---------------|--|---|--|------|-----|
| OTHER SOURCES | 1 | Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e) | | | 1 |
| | a | Dividends, Gross | | | 1a |
| | i | Dividend income other than (ii) | | | ai |
| | ii | Dividend income u/s 2(22)(e) | | | aii |
| | b | Interest, Gross (bi + bii + biii + biv+bv) | | | 1b |
| | i | From Savings Bank | | bi | |
| | ii | From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative) Society) | | bii | |
| | iii | From Income-tax Refund | | biii | |
| | iv | In the nature of Pass through income/Loss | | biv | |
| | v | Others | | bv | |
| c | Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross | | | 1c | |
| d | Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv) | | | 1d | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|----|---|--|
| | | i | Aggregate value of sum of money received without consideration | di | | | |
| | | ii | In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property | dii | | | |
| | | iii | In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration | diii | | | |
| | | iv | In case any other property is received without consideration, fair market value of property | div | | | |
| | | v | In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration | Dv | | | |
| | | 1e Any other income (please specify nature) | | | | | |
| | | Sl. No | Nature | Amount | | | |
| | | 1 | Any specified sum received by a unit holder from a business trust during the previous year as referred to in section 56(2)(xii) | | 1 | | |
| | | Add rows | | | | | |
| | | 2 Income chargeable at special rates (2ai + 2aii + 2b+ 2c+ 2d + 2e related to sl.no.1) | | | | 2 | |
| | | ai | Winnings from lotteries, crossword puzzles, races, card games etc. chargeable u/s 115BB | 2ai | | | |
| | | aia | Income by way of winnings from online games chargeable u/s 115BBJ | 2aia | | | |
| | | b | Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi) | 2b | | | |
| | | i | Cash credits u/s 68 | bi | | | |
| | | ii | Unexplained investments u/s 69 | bii | | | |
| | | iii | Unexplained money etc. u/s 69A | biii | | | |
| | | iv | Undisclosed investments etc. u/s 69B | biv | | | |
| | | v | Unexplained expenditure etc. u/s 69C | bv | | | |
| | | vi | Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D | bvi | | | |
| | | c Any other income chargeable at special rate (total of ci to cxviii) | | | 2c | | |
| | | i | Dividends received by foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to Section 115A(1)(a)(A) | ci | | | |
| | | ia | Dividend received by non-resident (Not being company) or foreign company from a unit in an International Financial Services Centre, as referred to in sub-section (1A) of section 80LA chargeable under proviso to section 115A(1)(a)(A) | cia | | | |
| | | ii | Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii) | cii | | | |
| | | iii | Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia) | ciii | | | |
| | | iv | Interest referred to in section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 5% | civ | | | |
| | | v | Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 4% | cv | | | |
| | | vi | Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab) | cvi | | | |
| | | vii | Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac) | cvii | | | |
| | | viii | Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii) | cviii | | | |
| | | ix | Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)(A) & 115(1)(b)(B) | cix | | | |
| | | x | Income by way of interest from bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC | cx | | | |
| | | xi | Income by way of dividend from GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC | cxii | | | |
| | | xii | Income received in respect of units purchased in foreign currency by an off-shore fund-115AB(1) | cxiii | | | |
| | | xiii | Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i) | cxiv | | | |
| | | xiv | Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i) | cxv | | | |
| | | xv | Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA | cxvi | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 4 | Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PTI Income) | | | | | | |
| 5 | Dividend income under proviso to sec 115A(1)(a)(A) @10% (Including PTI Income) | | | | | | |
| 6 | Dividend Income u/s 115AC @ 10% (Including PTI Income) | | | | | | |
| 7 | Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) received by a FII u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income) | | | | | | |
| 8 | Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) received by a specified fund u/s 115AD(1)(i) @ 10% (Including PTI Income) | | | | | | |
| 9 | Dividend income chargeable at DTAA Rates | | | | | | |

| Schedule CYLA | | Details of Income after Set off of current year losses | | | | | |
|---------------|---|--|---|---|--|---|--|
| Sl. No | Head/ Source of Income | Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive) | House property loss of the current year set off | Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off | Other sources loss (other than loss from race horses and amount chargeable to special rate of tax) of the current year set off | Current year's Income remaining after set off | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1-2-3-4 | |
| i | Loss to be set off (Fill this row only, if computed figure is negative) → | | (3 of Schedule – HP) | (2vi of item E of Schedule BP) | (6 of Schedule-OS) | | |
| ii | House property | (3 of Schedule HP) | | | | | |
| iii | Business (excluding Income from life insurance business u/s 115B speculation income and income from specified business) | (A38 of Schedule BP) | | | | | |
| iv | Income from life insurance business u/s 115B | (3iv of item E of Sch. BP) | | | | | |
| v | Speculation income | (3ii of item E of Sch. BP) | | | | | |
| vi | Specified business income u/s 35AD | (3iii of item E of Sch. BP) | | | | | |
| vii | Short-term capital gain taxable @ 15% | (9ii of item E of Schedule CG) | | | | | |
| viii | Short-term capital gain taxable @ 30% | (9iii of item E of Schedule CG) | | | | | |
| ix | Short-term capital gain taxable at applicable rates | (9iv of item E of Schedule CG) | | | | | |
| x | Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA | (9v of item E of Schedule CG) | | | | | |
| xi | Long term capital gain taxable @ 10% | (9vi of item E of Schedule CG) | | | | | |
| xii | Long term capital gain taxable @ 20% | (9vii of item E of Schedule CG) | | | | | |
| xiii | Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA | (9viii of item E of schedule CG) | | | | | |
| xiv | Net income from other sources chargeable at normal applicable rates | (6 of Schedule OS) | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|---------------------|--|--|--|--|
| xv | Profit from the activity of owning and maintaining race horses | (8e of Schedule OS) | | | | |
| xvi | Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA | (2e of Schedule OS) | | | | |
| xvii | Total loss set off | | | | | |
| xvii i | Loss remaining after set-off (i – xvii) | | | | | |

| Schedule BFLA | | Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years | | | | | |
|---------------|--|---|---|--|---|---|--|
| Sl. No. | Head/ Source of Income | Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA) | Brought forward loss set off | Brought forward depreciation set off | Brought forward allowance under section 35(4) set off | Current year's income remaining after set off | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| i | House property | (5ii of Schedule CYLA) | (B/f house property loss) | | | | |
| ii | Business (excluding Income from Insurance Business, speculation income and income from specified business) | (5iii of Schedule CYLA) | (B/f business loss, other than speculation or specified business loss) (Note: B/F loss set off will be restricted to business income excluding income u/s 44BB & 44BBB) | (Note: B/F depreciation set off will be restricted to business income excluding income u/s 44BB & 44BBB) | | | |
| iii | Profit and gains from life insurance business u/s 115B | (5iv of Schedule CYLA) | (B/f business loss, other than speculation or specified business loss) | | | | |
| iv | Speculation Income | (5v of Schedule CYLA) | (B/f normal business or speculation loss) | | | | |
| v | Specified Business Income | (5vi of Schedule CYLA) | (B/f normal business or specified business loss) | | | | |
| vi | Short-term capital gain taxable @ 15% | (5vii of Schedule CYLA) | (B/f short-term capital loss) | | | | |
| vii | Short-term capital gain taxable @ 30% | (5viii of Schedule CYLA) | (B/f short-term capital loss) | | | | |
| viii | Short-term capital gain taxable at applicable rates | (5ix of Schedule CYLA) | (B/f short-term capital loss) | | | | |
| ix | Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA | (5x of Schedule CYLA) | (B/f short-term capital loss) | | | | |
| x | Long-term capital gain taxable @ 10% | (5xi of Schedule CYLA) | (B/f short-term or long-term capital loss) | | | | |
| xi | Long term capital gain taxable @ 20% | (5xii of Schedule CYLA) | (B/f short-term or long-term capital loss) | | | | |
| xii | Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA | (5xiii of Schedule CYLA) | (B/f short-term or long-term capital loss) | | | | |
| xiii | Net income from other sources chargeable at normal applicable rates | (5xiv of Schedule CYLA) | | | | | |
| xiv | Profit from owning and maintaining race horses | (5xv of Schedule CYLA) | (B/f loss from horse races) | | | | |
| xv | Income from other sources income taxable at special rates in India as per DTAA | (5xvi of Schedule CYLA) | | | | | |
| xvi | Total of brought forward loss set off | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | xx | Total loss Carried forward to future years (xv-xvi+xix) | | | | | | | | |
|--|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Schedule UD | | Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4) | | | | | | |
|-------------|-------------------------|---|---|--|--|--|---|--|
| Sl No | Assessment Year | Depreciation | | | | Allowance under section 35(4) | | |
| | | Amount of brought forward unabsorbed depreciation | Amount as adjusted on account of opting for taxation section 115BAA | Amount of depreciation set-off against the current year income | Balance carried forward to the next year | Amount of brought forward unabsorbed allowance | Amount of allowance set-off against the current year income | Balance Carried forward to the next year |
| (1) | (2) | (3) | (3a) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| i | Current Assessment Year | | | | | | | |
| ii | | | | | | | | |
| iii | | | | | | | | |
| iv | Total | | | (3xvi of BFLA) | | | (4xvi of BFLA) | |

| Schedule ICDS | | Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit | | |
|---------------|--|---|--------------------------|------------------|
| Sl. No. | ICDS | Increase in Profit (Rs.) | Decrease in profit (Rs.) | Net Effect (Rs.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Accounting Policies | | | |
| II | Valuation of Inventories (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI) | | | |
| III | Construction Contracts | | | |
| IV | Revenue Recognition | | | |
| V | Tangible Fixed Assets | | | |
| VI | Changes in Foreign Exchange Rates | | | |
| VII | Government Grants | | | |
| VIII | Securities (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI) | | | |
| IX | Borrowing Costs | | | |
| X | Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets | | | |
| XI | Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | | | |

| Schedule 10AA | | Deduction under section 10AA | | | |
|--------------------|---|------------------------------|--|----|---|
| DEDUCTION U/S 10AA | Deductions in respect of units located in Special Economic Zone | | | | |
| | Sl | Undertaking | Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services | Sl | Amount of deduction |
| | a | Undertaking No.1 | | a | (item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1) |
| | b | Undertaking No.2 | | b | (item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2) |
| c | Total deduction under section 10AA (a+b) | | | | c |

| Schedule 80G | | Details of donations entitled for deduction under section 80G | | | |
|----------------------|---------------------------|---|--|------------------------|-----------------------------|
| DETAILS OF DONATIONS | A | | Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit | | |
| | Name and address of donee | | PAN of Donee | | Amount of donation |
| | | | | | Eligible Amount of donation |
| | i | | Donation in cash | Donation in other mode | Total Donation |
| ii | | | | | |
| iii | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|-------|--------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | iv | Total | | | | | | |
| B | Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit | | | | | | | |
| | Name and address of donee | | PAN of Donee | Amount of donation | | | Eligible Amount of donation | |
| | i | | | Donation in cash | Donation in other mode | Total Donation | | |
| | ii | | | | | | | |
| | iii | | | | | | | |
| | iv | Total | | | | | | |
| C | Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit | | | | | | | |
| | Name and address of donee | | PAN of Donee | Amount of donation | | | Eligible Amount of donation | |
| | i | | | Donation in cash | Donation in other mode | Total Donation | | |
| | ii | | | | | | | |
| | iii | | | | | | | |
| | iv | Total | | | | | | |
| D | Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit | | | | | | | |
| | Name and address of donee | | PAN of Donee | ARN (Donation Reference Number) | Amount of donation | | | Eligible Amount of donation |
| | i | | | | Donation in cash | Donation in other mode | Total Donation | |
| | ii | | | | | | | |
| | iii | | | | | | | |
| | iv | Total | | | | | | |
| E | Total donations (Aiv + Biv + Civ + Div) | | | | | | | |

Schedule BFLA

Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years

| BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT | Sl. No. | Head/ Source of Income | Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA) | Brought forward loss set off | Brought forward depreciation set off | Brought forward allowance under section 35(4) set off | Current year's income remaining after set off |
|---------------------------------|---------|--|---|--|--|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | i | House property | (5ii of Schedule CYLA) | (B/f house property loss) | | | |
| | ii | Business (excluding Income from Insurance Business, speculation income and income from specified business) | (5iii of Schedule CYLA) | (B/f business loss, other than speculation or specified business loss) (Note: B/F loss set off will be restricted to business income excluding income u/s 44BB & 44BBB) | (Note: B/F depreciation set off will be restricted to business income excluding income u/s 44BB & 44BBB) | | |
| | iii | Profit and gains from life insurance business u/s 115B | (5iv of Schedule CYLA) | (B/f business loss, other than speculation or specified business loss) | | | |
| | iv | Speculation Income | (5v of Schedule CYLA) | (B/f normal business or speculation loss) | | | |
| | v | Specified Business Income | (5vi of Schedule CYLA) | (B/f normal business or specified business loss) | | | |
| | vi | Short-term capital gain taxable @ 15% | (5vii of Schedule CYLA) | (B/f short-term capital loss) | | | |
| | vii | Short-term capital gain taxable @ 30% | (5viii of Schedule CYLA) | (B/f short-term capital loss) | | | |
| | viii | Short-term capital gain taxable at applicable rates | (5ix of Schedule CYLA) | (B/f short-term capital loss) | | | |
| | ix | Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA | (5x of Schedule CYLA) | (B/f short-term capital loss) | | | |
| | x | Long-term capital gain taxable @ 10% | (5xi of Schedule CYLA) | (B/f short-term or long-term capital loss) | | | |
| | xi | Long term capital gain taxable @ 20% | (5xii of Schedule CYLA) | (B/f short-term or long-term capital loss) | | | |
| | xii | Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA | (5xiii of Schedule CYLA) | (B/f short-term or long-term capital loss) | | | |
| | xiii | Net income from other sources chargeable at normal applicable rates | (5xiv of Schedule CYLA) | | | | |

| Schedule UD | | Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4) | | | | | | |
|-------------|-------------------------|---|---|--|--|--|---|--|
| Sl No | Assessment Year | Depreciation | | | | Allowance under section 35(4) | | |
| | | Amount of brought forward unabsorbed depreciation | Amount as adjusted on account of opting for taxation section 115BAA | Amount of depreciation set-off against the current year income | Balance carried forward to the next year | Amount of brought forward unabsorbed allowance | Amount of allowance set-off against the current year income | Balance Carried forward to the next year |
| (1) | (2) | (3) | (3a) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| i | Current Assessment Year | | | | | | | |
| ii | | | | | | | | |
| iii | | | | | | | | |
| iv | Total | | | (3xvi of BFLA) | | | (4xvi of BFLA) | |

| Schedule ICDS | | Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit | | |
|---------------|--|---|--------------------------|------------------|
| Sl. No. | ICDS | Increase in Profit (Rs.) | Decrease in profit (Rs.) | Net Effect (Rs.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Accounting Policies | | | |
| II | Valuation of Inventories (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI) | | | |
| III | Construction Contracts | | | |
| IV | Revenue Recognition | | | |
| V | Tangible Fixed Assets | | | |
| VI | Changes in Foreign Exchange Rates | | | |
| VII | Government Grants | | | |
| VIII | Securities (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI) | | | |
| IX | Borrowing Costs | | | |
| X | Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets | | | |
| XI | Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | | | |

| Schedule 10AA | | Deduction under section 10AA | | | | |
|--------------------|---|--|--|----|--|---|
| DEDUCTION U/S 10AA | Deductions in respect of units located in Special Economic Zone | | | | | |
| | Sl | Undertaking | Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services | Sl | | Amount of deduction |
| | a | Undertaking No.1 | | a | | (item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1) |
| | b | Undertaking No.2 | | b | | (item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2) |
| | c | Total deduction under section 10AA (a+b) | | | | c |

| Schedule 80G | | Details of donations entitled for deduction under section 80G | | | | |
|----------------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| DETAILS OF DONATIONS | A | Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit | | | | |
| | | Name and address of donee | | PAN of Donee | Amount of donation | |
| | | | | Eligible Amount of donation | | |
| | | i | | Donation in cash | Donation in other mode | |
| | | ii | | Total Donation | | |
| | | iii | | | | |
| | | iv | Total | | | |
| | | B | Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit | | | |
| | | | Name and address of donee | | PAN of Donee | Amount of donation |
| | | | | | Eligible Amount of donation | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | current AY (8) |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| (add row option to be provided) | | | | | | | |
| Total | | | | | | | |

| Schedule 80-IA | | Deductions under section 80-IA | | | | | |
|---------------------|--|--|----|-------------------|--|--|---|
| DEDUCTION U/S 80-IA | a | Deduction in respect of profits of an enterprise referred to in section 80-IA(4)(i) [Infrastructure facility] | a1 | Undertaking no. 1 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) | | |
| | | | a2 | Undertaking no. 2 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) | | |
| | b | Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power] | b1 | Undertaking no. 1 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) | | |
| | | | b2 | Undertaking no. 2 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) | | |
| | c | Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(v) [Revival of power generating plant] | c1 | Undertaking no. 1 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) | | |
| | | | c2 | Undertaking no. 2 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) | | |
| d | Total deductions under section 80-IA (a1 + a2 + b1 + b2 + c1 + c2) | | | | | | d |

| Schedule RA | | Details of donations to research associations etc. [deduction under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA)] | | | | | | | |
|-------------|--|---|-------|--------------|--|--------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| | | Name and address of donee | | PAN of Donee | | Amount of donation | | Eligible Amount of donation | |
| | | | | | | Donation in cash | Donation in other mode | Total Donation | |
| | | i | | | | | | | |
| | | ii | | | | | | | |
| | | iii | Total | | | | | | |

| Schedule 80-IA | | Deductions under section 80-IA | | | | | |
|---------------------|--|--|----|-------------------|--|--|---|
| DEDUCTION U/S 80-IA | a | Deduction in respect of profits of an enterprise referred to in section 80-IA(4)(i) [Infrastructure facility] | a1 | Undertaking no. 1 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) | | |
| | | | a2 | Undertaking no. 2 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) | | |
| | b | Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power] | b1 | Undertaking no. 1 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) | | |
| | | | b2 | Undertaking no. 2 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) | | |
| | c | Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(v) [Revival of power generating plant] | c1 | Undertaking no. 1 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) | | |
| | | | c2 | Undertaking no. 2 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) | | |
| d | Total deductions under section 80-IA (a1 + a2 + b1 + b2 + c1 + c2) | | | | | | d |

| Schedule 80-IB | | Deductions under section 80-IB | | | | | | | |
|----------------|---|--|----|-------------------|---------------------------------------|--|--|---|--|
| | a | Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)] | a1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | | | | |
| | | | a2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | | | | |
| | b | Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)] | b1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | | | | |
| | | | b2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | | | | |
| | c | Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)] | c1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | | | | |
| | | | c2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | | | | |
| | d | Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)] | d1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | | | | |
| | | | d2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | | | | |
| | e | Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to d2) | | | | | | g | |

| Schedule 80-IC or 80-IE | | Deductions under section 80-IC or 80-IE | | | | | |
|-------------------------|--|---|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|---|---|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| DEDUCTION U/S 80-IC | a | Deduction in respect of undertaking located in Sikkim | a1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | | a2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | b | Deduction in respect of undertaking located in Himachal Pradesh | b1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | | b2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | c | Deduction in respect of undertaking located in Uttarakhand | c1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | | c2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | d Deduction in respect of undertaking located in North-East | | | | |
| | da | Assam | da1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | | da2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | db | Arunachal Pradesh | db1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | | db2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | dc | Manipur | dc1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | | dc2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | dd | Mizoram | dd1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | | dd2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | de | Meghalaya | de1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | | de2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | df | Nagaland | df1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | | df2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| dg | Tripura | dg1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | dg2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| dh Total deduction for undertakings located in North-east (total of da1 to dg2) | | | dh | | |
| e Total deduction under section 80-IC or 80-IE (a + d + c + dh) | | | e | | |

| Schedule VI-A | | Deductions under Chapter VI-A | | | | | |
|------------------|---|--|--|------------------------|-------|--------------|--|
| TOTAL DEDUCTIONS | 1 | Part B- Deduction in respect of certain payments | | | | | |
| | | a | 80G | b | 80GGB | | |
| | | c | 80GGA | d | 80GGC | | |
| | | Total Deduction under Part B (a + b + c + d) | | | | 1 | |
| | 2 | Part C- Deduction in respect of certain incomes | | | | | |
| | | e | 80-IA | (d of Schedule 80-LA) | f | 80-IAB | |
| | | g | 80-IAC | (7 of Schedule 80-IAC) | h | 80-IB | (e of Schedule 80-IB) |
| | | i | 80-IBA | | j | 80-IC/ 80-IE | (e of Schedule 80-IC/ 80-IE) |
| | | k | 80JJA | | l | 80JJAA | [Sl.no. 5I(eiv) +5II of Annexure to Form 10DA] |
| | | m | 80LA(1) | (9 of Schedule 80-LA) | n | 80LA(1A) | (9 of Schedule 80-LA) |
| | | o | 80M- Details of distribution of dividend as provided in e-filing utility | | p | 80-PA | |
| | | Total Deduction under Part C (total of e to p) | | | | 2 | |
| | 3 | Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2) | | | | 3 | |

| Schedule SI | | Income chargeable to tax at special rates [Please see instructions] for section and rate of tax] | | | | |
|--------------|-------|---|--|--------------------------|---------------------------------|------------------------|
| SPECIAL RATE | SI No | Section/Description | <input checked="" type="checkbox"/> | Special rate (%) | Income (i) | Tax thereon (ii) |
| | | 1 | 111A or section 115AD(1)(b)(ii)- Proviso (STCG on shares/equity oriented MF on which STT paid) | <input type="checkbox"/> | 15 | (5vi of Schedule BFLA) |
| | 2 | 115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid) | <input type="checkbox"/> | 30 | (part of 5vii of Schedule BFLA) | |
| | 3 | 112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 5x of Schedule BFLA) | |
| | 4 | 112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 5x of Schedule BFLA) | |
| | 5 | 115AB (LTCG for non-resident on units referred in section 115AB) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 5x of Schedule BFLA) | |
| | 6 | 115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 5x of Schedule BFLA) | |
| | 7 | 115AD (LTCG for FII on securities) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 5x of Schedule BFLA) | |
| | 8 | 112 (LTCG on others) | <input type="checkbox"/> | 20 | (5xi of Schedule BFLA) | |
| | 9 | 112A (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid) or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso | <input type="checkbox"/> | 10 | (5x) of Schedule BFLA) | |
| | 10 | STCG chargeable at special rates in India as per DTAA | <input type="checkbox"/> | | (part of 5ix of Schedule BFLA) | |
| | 11 | LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA | <input type="checkbox"/> | | (part of 5xii of Schedule BFLA) | |
| | 12 | 115B (Profits and gains of life insurance business) | <input type="checkbox"/> | 12.50 | (5iii of Schedule BFLA) | |
| | 13a | 115AC ((Income by way of interest received by non-resident from bonds purchased in foreign currency) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 2cx of Schedule OS) | |
| | 13b | 115AC (Income by way of Dividend received by non-resident on GDR purchased in foreign currency) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 2cxi of Schedule OS) | |
| | 14 | 115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.) | <input type="checkbox"/> | 30 | (2a of Schedule OS) | |
| | 15 | 115BBJ (Winnings from online games) | <input type="checkbox"/> | 30 | (2ab of Schedule OS) | |
| | 16 | 115BBH- Tax on Income from Virtual Digital asset | | | | |
| | | A Income under head business or profession | <input type="checkbox"/> | 30 | (3f of Schedule BP) | |
| | | B Income under head Capital Gain | <input type="checkbox"/> | 30 | (C2 of Schedule CG) | |
| | 17 | 115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D) | <input type="checkbox"/> | 60 | (2b of Schedule OS) | |
| | 18 | 115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B)(Income of a foreign company from Royalty & Fees for Technical Services) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 2cxix of Schedule OS) | |
| | 19 | 115BBF (Income from patent) | | | | |
| | a | Income under head business or profession | <input type="checkbox"/> | 10 | (3d of Schedule BP) | |
| | b | Income under head other sources | <input type="checkbox"/> | 10 | (2cxvii of Schedule OS) | |
| | 20 | 115BBG (Income from transfer of carbon credits) | | | | |
| | a | Income under head business or profession | <input type="checkbox"/> | 10 | (3e of Schedule BP) | |
| | b | Income under head other sources | <input type="checkbox"/> | 10 | (2cxviii of Schedule OS) | |
| | 21 | Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA | <input type="checkbox"/> | | (part of 2e of Schedule OS) | |
| | 22 | Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 15% | <input type="checkbox"/> | 15 | (part of 5vi of Schedule BFLA) | |
| | 23 | Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30% | <input type="checkbox"/> | 30 | (part of 5vii of Schedule BFLA) | |
| | 24 | Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% u/s 112A | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 5x of Schedule BFLA) | |
| | 25 | Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20% | <input type="checkbox"/> | 20 | (part of 5xi of Schedule BFLA) | |
| | 26 | Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% other than section 112A | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 5x of Schedule BFLA) | |
| | 27 | Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates (Drop down to be provided in e-filing utility) | <input type="checkbox"/> | | (2d of Schedule OS) | |
| | 28 | Income received in respect of units purchased in foreign currency by an off-shore fund-115AB(1) | <input type="checkbox"/> | 10 | (2cx of Schedule OS) | |
| | 29 | Income from royalty where agreement entered between 31.3.1961 to 31.3.1976 and income from fees for technical services where agreement entered between 29.2.1964 and 31.3.1976, and agreement is approved by the Central Government. Paragraph EII of Part I of first schedule of Finance Act | <input type="checkbox"/> | 50 | (2cxix of Schedule OS) | |
| | 30 | Any other income chargeable at special rate (Drop down to be provided in e-filing utility) | <input type="checkbox"/> | | (part of 2c of Schedule OS) | |
| | | | | Total | | |

| ENTITIES IN WHICH INVESTMENT IS HELD | Number of entities in which investment is held | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|--|-------------------------------|---|
| | Sl. No. | Name of the entity | Type of the entity | PAN of the entity | Whether the entity is liable for audit? (Yes/No) | Whether section 92E is applicable to entity? (Yes/No) | Percentage Share in the profit of the entity | Amount of share in the profit | Capital balance on 31 st March in the entity |
| | | | | | | | | i | ii |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4 | Total | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Schedule EI | | Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax) | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|---------------------|-----------------|----------------|----------------------------|---|---|---|--|
| EXEMPT INCOME | 1 | Interest income | | | | | | | 1 | | |
| | 2 | i | Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules) | | | | i | | | | |
| | | ii | Expenditure incurred on agriculture | | | | ii | | | | |
| | | iii | Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years | | | | iii | | | | |
| | | iv | Agricultural income portion relating to Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (from Sl. No. 39 of Sch. BP) | | | | iv | | | | |
| | | v | Net Agricultural income for the year (i – ii – iii + iv) (enter nil if loss) | | | | | | | 2 | |
| | | vi | In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land) | | | | | | | | |
| | | a | Name of district along with pin code in which agricultural land is located | | | | | | | | |
| | | b | Measurement of agricultural land in Acre | | | | | | | | |
| | | c | Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided) | | | | | | | | |
| | | d | Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided) | | | | | | | | |
| | 3 | Other exempt income (please specify) (3a+3b) | | | | | | | 3 | | |
| | a | Income u/s 10(23FB), 10(23FBA), 10(23FC), 10(23FCA), 10(23FE), 10(23FF), 10(4D) (Please provide details of Acknowledgement Number and Date of Form Filed if 10(23FF) and 10(4D) is claimed) Add row option and dropdown to be provided in utility | | | | 3a | | | | | |
| | b | Any other Income (Specify nature) – Add row option to be provided in utility | | | | 3b | | | | | |
| 4 | Income claimed as not chargeable to tax as per DTAA | | | | | | | | | | |
| | Sl. No. | Amount of income | Nature of income | Country name & Code | Article of DTAA | Head of Income | Whether TRC obtained (Y/N) | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pass through income claimed as not chargeable to tax (Schedule PTI) | | | | | | | 5 | | | |
| 6 | Total (1+2+3+4+5) | | | | | | | 6 | | | |

| Schedule PTI | | Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB | | | | | | | | |
|---------------------|------|--|---|--|------|----------------|-----------------------------|---|------------------------|----------------------------|
| PASS THROUGH INCOME | S.No | Invested in section 115UA/115UB | Name of business trust/ investment fund | PAN of the business trust/ investment fund | S.No | Head of income | Current year income | Share of Current year loss distributed by Investment fund | Net Income/ Loss 9=7-8 | TDS on such amount, if any |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | 1. | (drop down to be provided) | | | | i | House property | | | |
| | | | | | | ii | Capital Gains | | | |
| | | | | | | A | Short term | | | |
| | | | | | | Ai | Section 111A | | | |
| | | | | | | Aii | Others | | | |
| | | | | | | B | Long term | | | |
| | | | | | | Bi | Section 112A | | | |
| | | | | | | Bii | Section other than 112A | | | |
| | | | | | | iii | Other Sources | | | |
| | | | | | | A | Dividend | | | |
| | | | | | | B | Others | | | |
| | | | | | | iv | Income claimed to be exempt | | | |
| | | | | | | A | u/s 10(23FBB) | | | |
| | | | | | B | u/s | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | C | u/s | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | i | House property | | | | |
| | | | | | ii | Capital Gains | | | | |
| | | | | | a | Short term | | | | |
| | | | | | ai | Section 111A | | | | |
| | | | | | aii | Others | | | | |
| | | | | | b | Long term | | | | |
| | | | | | bi | Section 112A | | | | |
| | | | | | bii | Other than 112A | | | | |
| | | | | | iii | Other Sources | | | | |
| | | | | | a | Dividend | | | | |
| | | | | | b | Others | | | | |
| | | | | | iv | Income claimed to be exempt | | | | |
| | | | | | a | u/s 10(23FBB) | | | | |
| | | | | | b | u/s | | | | |
| | | | | | c | u/s | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

| Schedule MAT | | Computation of Minimum Alternate Tax payable under section 115JB | | |
|-----------------------|---|---|--|----|
| Minimum Alternate Tax | 1 | Whether the Profit and Loss Account is prepared in accordance with the provisions of Parts II of Schedule III to the Companies Act, 2013 (If yes, write 'Y', if no write 'N') | <input type="checkbox"/> | |
| | 2 | If 1 is no, whether profit and loss account is prepared in accordance with the provisions of the Act governing such company (If yes, write 'Y', if no write 'N') | <input type="checkbox"/> | |
| | 3 | Whether, for the Profit and Loss Account referred to in item 1 above, the same accounting policies, accounting standards and same method and rates for calculating depreciation have been followed as have been adopted for preparing accounts laid before the company at its annual general body meeting? (If yes, write 'Y', if no write 'N') | <input type="checkbox"/> | |
| | 4 | Profit after tax as shown in the Profit and Loss Account (enter item 56 of Part A-P&L) / (enter item 56 of Part A- P&L Ind AS) (as applicable) | 4 | |
| | 5 | Additions (if debited in profit and loss account) | | |
| | | a | Income-tax paid or payable or its provision including the amount of deferred tax and the provision thereof | 5a |
| | | b | Reserve (except reserve under section 33AC) | 5b |
| | | c | Provisions for unascertained liability | 5c |
| | | d | Provisions for losses of subsidiary companies | 5d |
| | | e | Dividend paid or proposed | 5e |
| | | f | Expenditure related to exempt income under sections 10, 11 or 12 [exempt income excludes income exempt under section 10(38)] | 5f |
| | | g | Expenditure related to share in income of AOP/ BOI on which no income-tax is payable as per section 86 | 5g |
| | | h | Expenditure in case of foreign company referred to in clause (fb) of explanation 1 to section 115JB | 5h |
| | | i | Notional loss on transfer of certain capital assets or units referred to in clause (fc) of explanation 1 to section 115JB | 5i |
| | | j | Expenditure relatable to income by way of royalty in respect of patent chargeable to tax u/s 115BBF | 5j |
| | | k | Depreciation attributable to revaluation of assets | 5k |
| | | l | Gain on transfer of units referred to in clause (k) of explanation 1 to section 115JB | 5l |
| | | m | Others (including residual unadjusted items and provision for diminution in the value of any asset) | 5m |
| | | n | Total additions (5a+5b+5c+5d+5e+5f+5g+5h+5i+5j+5k+5l+5m) | 5n |
| | 6 | Deductions | | |
| | a | Amount withdrawn from reserve or provisions if credited to Profit and Loss account | 6a | |
| | b | Income exempt under sections 10, 11 or 12 [exempt income excludes income exempt under section 10(38)] | 6b | |
| | c | Amount withdrawn from revaluation reserve and credited to profit and loss account to the extent it does not exceed the amount of depreciation attributable to revaluation of asset | 6c | |
| | d | Share in income of AOP/ BOI on which no income-tax is payable as per section 86 credited to Profit and Loss account | 6d | |
| | e | Income in case of foreign company referred to in clause (iid) of explanation 1 to section 115JB | 6e | |

| | | | | |
|----|--|----|--|--|
| f | Notional gain on transfer of certain capital assets or units referred to in clause (iie) of explanation 1 to section 115JB | 6f | | |
| g | Loss on transfer of units referred to in clause (iif) of explanation 1 to section 115JB | 6g | | |
| h | Income by way of royalty referred to in clause (iig) of explanation 1 to section 115JB | 6h | | |
| i | Loss brought forward or unabsorbed depreciation whichever is less or both as may be applicable | 6i | | |
| j | Profit of sick industrial company till net worth is equal to or exceeds accumulated losses | 6j | | |
| k | Others (including residual unadjusted items and the amount of deferred tax credited to P&L A/c) | 6k | | |
| l | Total deductions (6a+6b+6c+6d+6e+6f+6g+6h+6i+6j+6k) | 6l | | |
| 7 | Book profit under section 115JB (4+ 5n – 6l) | 7 | | |
| 8 | Whether the financial statements of the company are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards (Ind-AS) specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. If yes, furnish the details below:- | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | |
| | A. Additions to book profit under sub-sections (2A) to (2C) of section 115JB | | | |
| a | Amounts credited to other comprehensive income in statement of profit & loss under the head "items that will not be reclassified to profit & loss" | 8a | | |
| b | Amounts debited to the statement of profit & loss on distribution of non-cash assets to shareholders in a demerger | 8b | | |
| c | One fifth of the transition amount as referred to in section 115JB (2C) (if applicable) | 8c | | |
| d | Others (including residual adjustment) | 8d | | |
| e | Total additions (8a + 8b + 8c + 8d) | 8e | | |
| | B. Deductions from book profit under sub-sections (2A) to (2C) of section 115JB | | | |
| f | Amounts debited to other comprehensive income in statement of profit & loss under the head "items that will not be reclassified to profit & loss" | 8f | | |
| g | Amounts credited to the statement of profit & loss on distribution of non-cash assets to shareholders in a demerger | 8g | | |
| h | One fifth of the transition amount as referred to in section 115JB (2C) (if applicable) | 8h | | |
| i | Others (including residual adjustment) | 8i | | |
| j | Total deductions (8f + 8g + 8h + 8i) | 8j | | |
| 9 | Deemed total income under section 115JB (7 + 8e – 8j) | 9 | | |
| a | Deemed total income u/s 115JB from Units located in IFSC, if any | 9a | | |
| b | Deemed total income u/s 115JB from other Units (9-9a) | 9b | | |
| 10 | Tax payable under section 115JB [9% of (9a)+ 15% of (9b)] | 10 | | |

Schedule MATC Computation of tax credit under section 115JAA

| | | | | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-------------------------------|--|---|--|--|
| MAT CREDIT | 1 | Tax under section 115JB in assessment year 2024-25 (1d of Part-B-TTI) | | | | 1 | | |
| | 2 | Tax under other provisions of the Act in assessment year 2024-25 (2f of Part-B-TTI) | | | | 2 | | |
| | 3 | Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0] | | | | 3 | | |
| | 4 | Utilisation of MAT credit Available [Sum of MAT credit utilised during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of MAT Credit Brought Forward] | | | | | | |
| | S.No | Assessment Year (A) | MAT Credit | | Balance Brought forward (B3)=(B2)-(B1) | MAT Credit Utilised during the Current Year (C) | Balance MAT Credit Carried Forward (D)= (B3) – (C) | |
| | | | Gross (B1) | Set-off in earlier years (B2) | | | | |
| | i | 2009-10 | | | | | | |
| | ii | 2010-11 | | | | | | |
| | iii | 2011-12 | | | | | | |
| | iv | 2012-13 | | | | | | |
| | v | 2013-14 | | | | | | |
| vi | 2014-15 | | | | | | | |
| vii | 2015-16 | | | | | | | |
| viii | 2016-17 | | | | | | | |
| ix | 2017-18 | | | | | | | |
| x | 2018-19 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | xi | 2019-20 | | | | | | |
| | xii | 2020-21 | | | | | | |
| | xiii | 2021-22 | | | | | | |
| | xiv | 2022-23 | | | | | | |
| | xv | 2023-24 | | | | | | |
| | xvi | 2024-25[(SI no 1-SI no 2 of)-(SI No 6c - 2f of Schedule Part B-TTI, only if positive)] | | | | | | |
| | xvii | Total | | | | | | |
| 5 | Amount of tax credit under section 115JAA utilised during the year [enter 4(C)xvii] | | | | | | 5 | |
| 6 | Amount of MAT liability available for credit in subsequent assessment years [enter 4(D)xvii] | | | | | | 6 | |

| Schedule- BBS | | Details of tax on distributed income of a domestic company on buy back of shares | | | | | | |
|---------------|---|--|---|-----------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| Sl | Description | | Details of 1 st buy-back | | Details of 2 nd buy- back | | Details of 3 rd buy- back | |
| | (i) | (ii) | (iii) | | (iv) | | (v) | |
| 1 | Date of payments of any consideration to the shareholder on buy back of share | | (DD/MM/YYYY) | | (DD/MM/YYYY) | | (DD/MM/YYYY) | |
| 2 | Amount of consideration paid by the company on buy-back of shares | | | | | | | |
| 3 | Amount received by the company for issue of such shares | | | | | | | |
| 4 | Distributed Income of the company (2 – 3) | | | | | | | |
| 5 | Tax payable on distributed income | a | Additional income-tax @20% payable under section 115QA on 4 | | | | | |
| | | b | Surcharge on 'a' | | | | | |
| | | c | Health & Education cess on (a+b) | | | | | |
| | | d | Total tax payable (a+b+c) | | | | | |
| 6 | Interest payable under section 115QB | | | | | | | |
| 7 | Additional income-tax and interest payable (5d + 6) | | | | | | | |
| 8 | Tax and interest paid | | | | | | | |
| 9 | Net payable/refundable (7-8) | | | | | | | |
| 10 | Date(s) of deposit of tax on distribution income | | Date 1 | Date 2 | Date 1 | Date 2 | Date 1 | Date 2 |
| | | | (DD/M/YY) | (DD/M/YY) | (DD/MM/YY) | (DD/MM/YY) | (DD/MM/YY) | (DD/MM/YY) |
| 11 | Name of Bank and Branch | | | | | | | |
| 12 | BSR Code | | | | | | | |
| 13 | Serial number of challan | | | | | | | |
| 14 | Amount deposited | | | | | | | |

| Schedule-TPSA | | Details of Tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A) as per the schedule provided in e-filing utility | | | | | | |
|--|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TAX ON SECONDARY ADJUSTMENTS AS PER SECTION 92CE(2A) | 1 | Amount of primary adjustments on which option u/s 92CE(2A) is exercised & such excess money has not been repatriated within the prescribed time (please indicate the total of adjustments made in respect of all the AYs) | | | | | | |
| | 2 | a | Additional Income tax payable @ 18% on above | | | | | |
| | | b | Surcharge @ 12% on "a" | | | | | |
| | | c | Health & Education cess on (a+b) | | | | | |
| | | d | Total Additional tax payable (a+b+c) | | | | | |
| | 3 | Taxes paid | | | | | | |
| | 4 | Net tax payable (2d-3) | | | | | | |
| | 5 | Date(s) of deposit of tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A) | Date 1 | Date 2 | Date 3 | Date 4 | Date 5 | Date 6 |
| | | | (DD/MM/YYY) | (DD/MM/YYY) | (DD/MM/YYY) | (DD/MM/YYY) | (DD/MM/YYY) | (DD/MM/YYY) |
| | 6 | Name of Bank and Branch | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|--|--|
| 7 | BSR Code | | | | | |
| 8 | Serial number of challan | | | | | |
| 9 | Amount deposited | | | | | |

Schedule 115TD Accreted income under section 115TD

| | | | | | |
|----|---|--|----------------------|----------------------|--|
| 1 | Aggregate Fair Market Value (FMV) of total assets of specified person | | | 1 | |
| 2 | Less: Total liability of specified person | | | 2 | |
| 3 | Net value of assets (1 – 2) | | | 3 | |
| 4 | (i) | FMV of assets directly acquired out of income referred to in section 10(1) | 4i | | |
| | (ii) | FMV of assets acquired during the period from the date of creation or establishment to the effective date of registration/provisional registration u/s 12AB, if benefit u/s 11 and 12 not claimed during the said period | 4ii | | |
| | (iii) | FMV of assets transferred in accordance with third proviso to section 115TD(2) | 4iii | | |
| | (iv) | Total (4i + 4ii + 4iii) | 4iv | | |
| 5 | Liability in respect of assets at 4 above | | | 5 | |
| 6 | Accreted income as per section 115TD [3 – (4iv – 5)] | | | 6 | |
| 7 | Additional income-tax payable u/s 115TD at maximum marginal rate | | | 7 | |
| 8 | Interest payable u/s 115TE | | | 8 | |
| 9 | Specified date u/s 115TD | | | 9 | |
| 10 | Additional income-tax and interest payable | | | 10 | |
| 11 | Tax and interest paid | | | 11 | |
| 12 | Net payable (10 - 11) (Enter 0 if negative) | | | 12 | |
| 13 | Date(s) of deposit of tax on accreted income | Date 1 DD/MM/YYYY | Date 2 DD/MM/YYYY | Date 3 DD/MM/YYYY | |
| 14 | Name of Bank and Branch | | | | |
| 15 | BSR Code | | | | |
| 16 | Serial number of challan | | | | |
| 17 | Amount deposited | | | | |

| Schedule FSI | | | Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident) | | | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|------------------------|---|------------------------|---|--|--|
| INCOME FROM OUTSIDE INDIA AND TAX RELIEF | Sl. | Country Code (dropdown to be provided in the e-filing utility) | Taxpayer Identification Number | Sl. | Head of income | Income from outside India (included in PART B-TI) | Tax paid outside India | Tax payable on such income under normal provisions in India | Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower | Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A |
| | | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| | 1 | | | | i | House Property | | | | |
| ii | | | | | Business or Profession | | | | | |
| iii | | | | | Capital Gains | | | | | |
| iv | | | | | Other sources | | | | | |
| | | | | | Total | | | | | |
| 2 | | | | i | House Property | | | | | |
| | | | | ii | Business or Profession | | | | | |
| | | | | iii | Capital Gains | | | | | |
| | | | | iv | Other sources | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--|--|--|--|
| | | Total | | | | | |
| NOTE ▶ | | Please refer to the instructions for filling out this schedule. | | | | | |

| Schedule TR | | Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident) | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|--|--------|
| TAX RELIEF FOR TAX PAID OUTSIDE INDIA | 1 Details of Tax relief claimed | | | | | | |
| | | Country Code | Taxpayer Identification Number | Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country) | Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country) | Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91) | |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Total | | | | | |
| | | 2 Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d)) | | | | 2 | |
| | | 3 Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d)) | | | | 3 | |
| | | 4 Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below | | | | 4 | Yes/No |
| | | a | Amount of tax refunded | b | Assessment year in which tax relief allowed in India | | |
| NOTE ▶ | | Please refer to the instructions for filling out this schedule. | | | | | |

| Schedule FA | | Details of Foreign Assets and Income from any source outside India | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------|--|--|
| DETAILS OF FOREIGN ASSETS | A Details of Foreign Depository Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2023 | | | | | | | | | | | | |
| | Sl No | Country name | Country code | Name of financial institution | Address of financial institution | ZIP code | Account number | Status | Account opening date | Peak balance during the period | Closing balance | Gross interest paid/credited to the account during the period | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| | (i) | | | | | | | | | | | | |
| | (ii) | | | | | | | | | | | | |
| | A2 Details of Foreign Custodial Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2023 | | | | | | | | | | | | |
| | Sl No | Country name | Country code | Name of financial institution | Address of financial institution | ZIP code | Account number | Status | Account opening date | Peak balance during the period | Closing balance | Gross amount paid/credited to the account during the period (drop down to be provided specifying nature of amount viz. interest/dividend/proceeds from sale or redemption of financial assets/ other income) | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| | (i) | | | | | | | | | | | | |
| | (ii) | | | | | | | | | | | | |
| | A3 Details of Foreign Equity and Debt Interest held (including any beneficial interest) in any entity at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2023 | | | | | | | | | | | | |
| | Sl No | Country name | Country code | Name of entity | Address of entity | ZIP code | Nature of entity | Date of acquiring the interest | Initial value of the investment | Peak value of investment during the period | Closing value | Total gross amount paid/credited with respect to the holding during the period | Total gross proceeds from sale or redemption of investment during the period |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | (i) | | | | | | | | | | | | |
| | (ii) | | | | | | | | | | | | |
| A4 Details of Foreign Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Country name | Country code | Name of financial institution in which insurance contract held | Address of financial institution | ZIP code | Date of contract | The cash value or surrender value of the contract | Total gross amount paid/credited with respect to the contract during the period | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | | | | |
|---|--|----------------------------|--|---|---|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| (i) | | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | | |
| B Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Country Name and code | Zip Code | Nature of entity | Name and Address of the Entity | Nature of Interest- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary | Date since held | Total Investment (at cost) (in rupees) | Income accrued from such Interest | Nature of Income | Income taxable and offered in this return | | |
| | | | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule |
| (1) | 2a | 2b | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| (i) | | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | | |
| C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Country Name and code | Zip Code | Address of the Property | Ownership - Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary | Date of acquisition | Total Investment (at cost) (in rupees) | Income derived from the property | Nature of Income | Income taxable and offered in this return | | | |
| | | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule | |
| (1) | 2a | 2b | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| (i) | | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | | |
| D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Country Name and code | Zip Code | Nature of Asset | Ownership - Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary | Date of acquisition | Total Investment (at cost) (in rupees) | Income derived from the asset | Nature of Income | Income taxable and offered in this return | | | |
| | | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule | |
| (1) | (2a) | (2b) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| (i) | | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | | |
| E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2023 and which has not been included in A to D above. | | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Name of the Institution in which the account is held | Address of the Institution | Zip Code | Name of the account holder | Account Number | Peak Balance/ Investment during the year (in rupees) | Whether income accrued is taxable in your hands? | If (7) is yes, Income accrued in the account | If (7) is yes, Income offered in this return | | | |
| | | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule | |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| (i) | | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | | |
| F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor | | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Country Name and code | Zip Code | Name and address of the trust | Name and address of trustees | Name and address of Settlor | Name and address of Beneficiaries | Date since position held | Whether income derived is taxable in your hands? | If (8) is yes, Income derived from the trust | If (8) is yes, Income offered in this return | | |
| | | | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule |
| (1) | (2a) | (2b) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| (i) | | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | | |
| G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in,- (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession | | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Country Name and code | Zip Code | Name and address of the person from whom derived | Income derived | Nature of income | Whether taxable in your hands? | If (6) is yes, Income offered in this return | | | | | |
| | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule | | | |
| (1) | (2a) | (2b) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | | | |
| (i) | | | | | | | | | | | | |

NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule

SCHEDULE SH-1 **SHAREHOLDING OF UNLISTED COMPANY** (other than a company that is registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (or section 25 of the Companies Act, 1956) or a company limited by guarantee under section 3(2) of the Companies Act, 2013 or a start-up for which Schedule SH-2 is to be filled up)

If you are an unlisted company, please furnish the following details:-

Details of shareholding at the end of the previous year

| Name of the shareholder | Residential status in India | Type of share | PAN /Aadhaar No. | Date of allotment | Number of shares held | Face value per share | Issue Price per share | Amount received | | | |
|---|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|--|
| Details of equity share application money pending allotment at the end of the previous year | | | | | | | | | | | |
| Name of the applicant | Residential status in India | Type of share | PAN/Aadhaar No. | Date of application | Number of shares applied for | Application money received | Face value per share | Proposed issue price | | | |
| Details of shareholders who is not a shareholder at the end of the previous year but was a shareholder at any time during the previous year | | | | | | | | | | | |
| Name of the shareholder | Residential status in India | Type of share | PAN/Aadhaar No. | Number of shares held | Face value per share | Issue Price per share | Amount received | Date of allotment | Date on which cease to be shareholder | Mode of cessation | In case of transfer/sale, PAN of the new shareholder |

SCHEDULE SH-2 SHAREHOLDING OF START-UPS

If you are a start-up which has filed declaration in Form-2 under para 5 of DPIIT notification dated 19.02.2019, please furnish the following details of shareholding:-

Details of shareholding as at the end of the previous year

| Name of the shareholder | Category of shareholder (drop down to be provided- non-resident/ venture capital company/ venture capital fund/ specified company/ any other person) | Type of share | PAN/Aadhaar No. | Date of allotment | Number of shares held | Face value per share | Issue Price per share | Paid up value per share | Share premium |
|-------------------------|---|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | |

Details of share application money pending allotment as at the end of the previous year

| Name of the applicant | Category of applicant (drop down to be provided- non-resident/ venture capital company/ venture capital fund/ specified company/ any other person) | Type of share | PAN/Aadhaar No. | Date of application | Number of shares applied for | Face value per share | Proposed issue price per share | Share application money | Share application premium |
|-----------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | |

Details of shareholder who is not a shareholder at the end of the previous year but was a shareholder at any time during the previous year

| Name of the shareholder | Category of shareholder (drop down to be provided- non-resident/ venture capital company/ venture capital fund/ specified company/ any other person) | Type of share | PAN/Aadhaar no. | Date of allotment | Number of shares held | Face value per share | Issue Price per share | Paid up value per share | Date on which ceased to be shareholder | Mode of cessation | In case of transfer, PAN of the new shareholder |
|-------------------------|---|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------|---|
| | | | | | | | | | | | |

NOTE For definition of expressions- “venture capital company”, “venture capital fund” and “specified company”, please refer DPIIT notification dated 19.02.2019.

| Schedule AL-1 | | Assets and liabilities as at the end of the year (mandatorily required to be filled up by an unlisted company) (other than a start-up for which Schedule AL-2 is to be filled up) |
|---------------|---|---|
| 2 | A | Details of building or land appurtenant there to, or both, being a residential house |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------|--|--|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| Sl. No. | Address | Pin code | Date of acquisition | Cost of acquisition Rs. | Purpose for which used (dropdown to be provided) | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | | | | | |
| (i) | | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | | |
| B Details of land or building or both not being in the nature of residential house | | | | | | | | | | | | |
| Sl. No. | Address | Pin code | Date of acquisition | Cost of acquisition Rs. | Purpose for which used (dropdown to be provided) | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | | | | | |
| (i) | | | | | | | | | | | | |
| C Details of listed equity shares | | | | | | | | | | | | |
| Opening balance | | Shares acquired during the year | | | Shares transferred during the year | | | Closing balance | | | | |
| No. of shares | Type of shares | Cost of acquisition | No. of shares | Type of shares | Cost of acquisition | No. of shares | Type of shares | Sale consideration | No. of shares | Type of shares | Cost of acquisition | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| D Details of unlisted equity shares | | | | | | | | | | | | |
| Name of company | PAN | Opening balance | | Shares acquired during the year | | | | | Shares transferred during the year | | Closing balance | |
| | | No. of shares | Cost of acquisition | No. of shares | Date of subscription / purchase | Face value per share | Issue price per share (in case of fresh issue) | Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder) | No. of shares | Sale consideration | No. of shares | Cost of acquisition |
| | | | | | | | | | | | | |
| E Details of other securities | | | | | | | | | | | | |
| Type of securities | Whether listed or unlisted | Opening balance | | Securities acquired during the year | | | | | Securities transferred during the year | | Closing balance | |
| | | No. of securities | Cost of acquisition | No. of securities | Date of subscription / purchase | Face value per share | Issue price of security (in case of fresh issue) | Purchase price per security (in case of purchase from existing holder) | No. of securities | Sale consideration | No. of securities | Cost of acquisition |
| | | | | | | | | | | | | |
| F Details of capital contribution to other entity | | | | | | | | | | | | |
| Name of entity | PAN | Opening balance | Amount contributed during the year | Amount withdrawn during the year | Amount of profit/loss/dividend/interest debited or credited during the year | Closing balance | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| G Details of Loans & Advances to any other concern (If money lending is not assessee's substantial business) | | | | | | | | | | | | |
| Name of the person | PAN | Opening Balance | Amount received | Amount paid | Interest credited, if any | Closing balance | Rate of interest (%) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| H Details of motor vehicle, aircraft, yacht or other mode of transport | | | | | | | | | | | | |
| Particulars of asset | Registration number of vehicle | Cost of acquisition | Date of acquisition | Purpose for which used (dropdown to be provided) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| I Details of Jewellery, archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, any work of art or bullion | | | | | | | | | | | | |
| Particulars of asset | Quantity | Cost of acquisition | Date of acquisition | Purpose of use (dropdown to be provided) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| J Details of liabilities | | | | | | | | | | | | |

| H Details of archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, any work of art or bullion acquired since incorporation | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---|--|--|----------------------|
| | Particulars of asset | Quantity | Cost of acquisition | Date of acquisition | Purpose for which used (dropdown to be provided) | Whether transferred, if Yes date of transfer | Closing balance as at the end of the previous year, if any | |
| | | | | | | | | |
| I Details of liabilities | | | | | | | | |
| Details of loans, deposits and advances taken from a person other than financial institution | | | | | | | | |
| | Name of the person | PAN | Opening Balance | Amount received | Amount paid | Interest debited, if any | Closing balance | Rate of interest (%) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

NOTE ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule.

| Schedule GST INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST | | | |
|---|---------|--------------|---|
| DETAILS OF GST | Sl. No. | GSTIN No(s). | Annual value of outward supplies as per the GST return(s) filed |
| | (1) | (2) | (3) |
| | | | |

NOTE ▶ Please furnish the information above for each GSTIN No. separately

| Schedule FD Break-up of payments/receipts in Foreign currency (to be filled up by the assessee who is not liable to get accounts audited u/s 44AB) | | | |
|---|--------|--|--|
| Foreign Currency Transaction | S. No. | Amount (in Rs.) | |
| | i | Payments made during the year on capital account | |
| | ii | Payments made during the year on revenue account | |
| | iii | Receipts during the year on capital account | |
| | iv | Receipts during the year on revenue account | |

NOTE ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule.

Part B

| Part B – TI Computation of total income | | | | | |
|--|---|--|------|----|--|
| TOTAL INCOME | 1 | Income from house property (3 of Schedule-HP) (enter nil if loss) | 1 | | |
| | 2 | Profits and gains from business or profession | | | |
| | | i Profits and gains from business other than speculative business and specified business (A 38 of Schedule BP) (enter nil if loss) | 2i | | |
| | | ii Profits and gains from speculative business (3(ii) of Table E of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL) | 2ii | | |
| | | iii Profits and gains from specified business (3(iii) of Table E Schedule BP)(enter nil if loss and take the figure to schedule CFL) | 2iii | | |
| | | iv Income chargeable to tax at special rates (3d, 3e, 3f & 4b of Table E of Schedule BP) | 2iv | | |
| | | v Total (2i + 2ii+2iii + 2iv) | | 2v | |
| | 3 | Capital gains | | | |
| | | a Short term | | | |
| | | i Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG) | ai | | |

| | | | | | |
|-----------|--|--|-------|------------|-----------|
| | ii | Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG) | a ii | | |
| | iii | Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG) | a iii | | |
| | iv | Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG) | a iv | | |
| | v | Total Short-term (ai + aii + aiii + aiv) (enter nil if loss) | 3av | | |
| | b Long-term | | | | |
| | i | Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of schedule CG) | b i | | |
| | ii | Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of schedule CG) | b ii | | |
| | iii | Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG) | b iii | | |
| | iv | Total Long-term (bi + bii + biii) (enter nil if loss) | 3biv | | |
| | c Sum of Short-term/Long-term capital gains (3av + 3biv) (enter nil if loss) | | | | 3c |
| | d Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG) | | | | 3d |
| | e Total capital gains (3c + 3d) | | | | 3e |
| 4 | Income from other sources | | | | |
| | a | Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss) | 4a | | |
| | b | Income chargeable to tax at special rate (2 of Schedule OS) | 4b | | |
| | c | Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss) | 4c | | |
| | d | Total (4a + 4b + 4c) | | 4d | |
| 5 | Total of head wise income (1 + 2v + 3e + 4d) | | | | 5 |
| 6 | Losses of current year to be set off against 5 (total of 2xvii, 3xvii and 4xvii of Schedule CYLA) | | | | 6 |
| 7 | Balance after set off current year losses (5 – 6) (Also total of (ii, iii, v to xv of column 5 of Schedule CYLA+4b+2iv) | | | | 7 |
| 8 | Brought forward losses to be set off against 7 (total of 2xvi, 3xvi and 4xvi of Schedule BFLA) | | | | 8 |
| 9 | Gross Total income (7 – 8) (Also total of (i,ii,iv to xiv of column 5 of schedule BFLA+4b+2iv) | | | | 9 |
| 10 | Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 9 | | | | 10 |
| 11 | Deductions under Chapter VI-A | | | | |
| | a | Part-B of Chapter VI-A [1 of Schedule VI-A and limited upto total of (i, ii, iv, v, viii, xiii, xiv) of column 5 of Schedule BFLA] | | 11a | |
| | b | Part-C of Chapter VI-A [2 of Schedule VI-A] | | 11b | |
| | c | Total (11a + 11b) [limited upto (9-10)] | | 11c | |
| 12 | Deduction u/s 10AA (Total Sch. 10AA) | | | | 12 |
| 13 | Total income (9 - 11c - 12) | | | | 13 |
| 14 | Income chargeable to tax at special rates (total of (i) of Schedule SI) | | | | 14 |
| 15 | Income chargeable to tax at normal rates (13 - 14) | | | | 15 |
| 16 | Net agricultural income(2v of Schedule EI) | | | | 16 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|---|-------|--------|--|--|
| | 17 | Losses of current year to be carried forward (total of xix of Schedule CFL) | | | 17 | | |
| | 18 | Deemed total income under section 115JB (9 of Schedule MAT) | | | 18 | | |
| Part B – TTI | | Computation of tax liability on total income | | | | | |
| COMPUTATION OF TAX LIABILITY | 1 | a | Tax Payable on deemed total Income under section 115JB (10 of Schedule MAT) | | 1a | | |
| | | b | Surcharge on (a) above (if applicable) | | 1b | | |
| | | c | Health and Education Cess @ 4% on (1a+1b) above | | 1c | | |
| | | d | Total Tax Payable u/s 115JB (1a+1b+1c) | | 1d | | |
| | 2 | Tax payable on total income | | | | | |
| | | a | Tax at normal rates on 15 of Part B-TI | 2a | | | |
| | | b | Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI) | 2b | | | |
| | | c | Tax Payable on Total Income (2a + 2b) | | 2c | | |
| | | d | Surcharge | | | | |
| | | i | 25% of 16(ii) of Schedule SI | 2di | 2g(ii) | | |
| | ii | On [(2c) – (16(ii) of Schedule SI)] | 2dii | | | | |
| | iii | Total (i + ii) | | 2diii | | | |
| | e | Health and Education Cess @ 4% on (2c+2diii) | | 2e | | | |
| | f | Gross tax liability (2c+2diii+2e) | | 2f | | | |
| | 3 | Gross tax payable (higher of 1d and 2f) | | | 3 | | |
| | 4 | Credit under section 115JAA of tax paid in earlier years (if 2f is more than 1d) (5 of Schedule MATC) | | | 4 | | |
| | 5 | Tax payable after credit under section 115JAA [(3 - 4)] | | | 5 | | |
| | 6 | Tax relief | | | | | |
| | | a | Section 90/90A(2 of Schedule TR) | 6a | | | |
| | | b | Section 91(3 of Schedule TR) | 6b | | | |
| | | c | Total (6a + 6b) | | 6c | | |
| | 7 | Net tax liability (5 – 6c) (enter zero if negative) | | | 7 | | |
| | 8 | Interest and fee payable | | | | | |
| | | a | Interest for default in furnishing the return (section 234A) | 8a | | | |
| | | b | Interest for default in payment of advance tax (section 234B) | 8b | | | |
| | | c | Interest for deferment of advance tax (section 234C) | 8c | | | |
| | | d | Fee for default in furnishing return of income (section 234F) | 8d | | | |
| | | e | Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d) | | 8e | | |
| | 9 | Aggregate liability (7 + 8e) | | | 9 | | |
| TAXES PAID | 10 | Taxes Paid | | | | | |
| | | a | Advance Tax (from column 5 of 15A) | 10a | | | |
| | | b | TDS (total of column 9 of 15B) | 10b | | | |
| | | c | TCS (total of column 7 of 15C) | 10c | | | |
| | | d | Self-Assessment Tax (from column 5 of 15A) | 10d | | | |
| | | e | Total Taxes Paid (10a+10b+10c + 10d) | | 10e | | |
| | 11 | Amount payable (9 - 10e) (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0) | | | 11 | | |
| | 12 | Refund (If 10e is greater than 9) | | | 12 | | |
| | 13 | Net tax payable on 115TD income including interest u/s 115TE (Sr.no. 12 of Schedule 115TD) | | | 13 | | |
| | 14 | Tax payable u/s 115TD after adjustment of refund at Sl. No. 12 (13-12) | | | 14 | | |

| | | | | | |
|--------------|--|---|------------------|---------------------|---|
| 15 | Net refund after adjustment as per Sl. No. 14 (12-13) (refund, if any, will be directly credited into the bank account) | | | | 15 |
| BANK ACCOUNT | 16 Do you have a bank account in India | | | | |
| | (a) Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts) | | | | |
| | Sl. | IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India | Name of the Bank | Account Number | Type of account (Dropdown to be provided by E-filing utility) |
| | i | | | | |
| | ii | | | | |
| | Note: 1) All bank accounts held at any time are to be reported, except dormant A/c 2) In case of multiple accounts, the refund will be credited to one of the validated accounts after processing the return Row can be added as required | | | | |
| | (b) Non- residents, may, at their option, furnish the details of one foreign bank account: | | | | |
| | S. No. | SWIFT Code | Name of the Bank | Country of Location | IBAN |
| | | | | | |
| | Row can be added as required | | | | |
| 17 | Do you at any time during the previous year,- (15) (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? <i>[applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]</i> | | | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|
| 18 | TAX PAYMENTS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADVANCE/SELF ASSESSMENT TAX | Sl No | BSR Code | | | | Date of Deposit (DD/MM/YYYY) | | | | Serial Number of Challan | | | | Amount (Rs) | | | |
| | (1) | (2) | | | | (3) | | | | (4) | | | | (5) | | | |
| | i | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ii | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | iii | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NOTE ▶ Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 10a & 10d of Part B-TTI | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|-------------------------------------|--|-----------------------|---|---|--|--|----------------|----------------------------------|
| B | Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C/16D/16E furnished by Deductor(s)] | | | | | | | | | | | |
| Sl No | TDS credit relating to self /other person [other person as per rule 37BA(2)] | PAN/Aadhaar No. of Other Person (if TDS credit related to other person) | TAN of the Deductor/ PAN/aadhaar No. of Tenant/ Buyer | Unclaimed TDS brought forward (b/f) | TDS of the current Financial Year (TDS deducted during the FY 2023-24) | | | TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year not applicable if TDS is deducted u/s 194N) | | Corresponding Receipt /withdrawals offered | | TDS credit being carried forward |
| | | | | Fin. Year in which deducted | TDS b/f | Deducted in own hands | Deducted in the hands of any other person as per rule 37BA(2) (if applicable) | Claimed in own hands | Claimed in the hands of any other person as per rule 37BA(2) (if applicable) | Gross Amount | Head of Income | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--------|-----|--|--|--------|-----|------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | Income | TDS | | | Income | TDS | PAN/ Aadhaar No. | | | | |
| i | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| C Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)] | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|--|---|-------------------------------------|------------|---|---|------------------------------------|---|----------------------------------|
| TCS ON INCOME | Sl No | TCS credit relating to self /other person [other person as per rule 37i(1)] | Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector | PAN of Other Person (if TCS credit related to other person) | Unclaimed TCS brought forward (b/f) | | TCS of the current financial Year (TCS collected during the FY 2023-24) | | TCS credit being claimed this Year | | TCS credit being carried forward |
| | | | | | Fin. Year in which collected | Amount b/f | Collected in own hands | Collected in the hands of any other person as per rule 37i(1) (if applicable) | Claimed in own hands | Claimed in the hands of any other person as per rule 37i(1) (if applicable) | |
| | (1) | 2(i) | (2)(ii) | (3) | (4) | (5) | 6(i) | (6)(ii) | 7(i) | (7)(ii) | (8) |
| | | | | | | | | | | TCS | PAN |
| i | | | | | | | | | | | |
| NOTE ▶ Please enter total of column (7)(i) in 10c of Part B-TTI | | | | | | | | | | | |

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules thereto is correct and complete is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (drop down to be provided and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (Please see instruction).

I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)

| | | | | | |
|------|--|-------|--|-------------|----|
| Date | | Place | | Sign here → | ”. |
|------|--|-------|--|-------------|----|

[Notification No. 16/2024/F.No. 370142/49/2023-TPL]

SURBENDU THAKUR, Under Secy., Tax Policy and Legislation

Note:- The principal rules were published vide notification S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification G.S.R. 908(E), dated the 22nd December, 2023